आय-कर खाता तथा प्रकाशित खाता की समालोचना

लेखक

प्रो० हृषीकेश नारायण, एम० कॉम०

अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग राजेन्द्र कॉलेज, छपरा (बिहार)

मेम्बर, फेकल्टी ऑफ कामर्स, फेलो, सिनेट, पटना विश्वविद्यालय।

लेखक—आधुनिक बही-खाता का सिद्धान्त तथा मुद्रा एवं मौद्रिक संस्थाएँ

किताब महल

इलाहाबाद

१९५१

मूल्य ३॥)

शुद्धि पत्र

पृष्ठ	लाइन	अशुद्ध	शुद्ध
७	२५	पर नहीं	पर कर नहीं
१३	१६	३० मार्च	३१ मार्च
"	२१	काश्मीर से	काश्मीर में
२२	२	जोड़कर	जोड़कर कर
२५	१७	ब्याज ३	३ ब्याज
२६	४	२०२२ रु० ८ आ० २४३४ रु० ७ आ०	३०२२ रु० ८ आ० २४३४ रु० ७ आ०
३२	२५	वसूली व्यय%तक ६३६६	वसूली व्यय ६%तक ३६६
४८	१७	(१५०००-५०००- ०००)	(१५०००-५००० ८०००-२०००)
"	२१	{२००००-(१६०००-५०००)}	{२००००-(१५०००-५०००)
४६	८	लेने में	होने में
४६	१३	Local Expenses	Legal expenses
५६	३१	मैनेजिंग एजेन्ट का कमीशन ८००	मैनेजिंग एजेंट का कमीशन ८८००
५६	६	रु० की सरकारी	रु० की १०२ सरकारी
"	"	११००० रु० के शेयरों	११००० रु० शेयरों
६१	२७	१३०००	१३००
६४	१६	लेने देने से २०	लेने देने से २०००
६६	१०	१००० का ½	१०००० का ½
"	२०	औसत दर के	औसत दर से
७१	१४	सकल लाभ २८०,०००	सकल लाभ १८०,०००
"	२४	३,२०,००० (दोनों जोड़)	२,२०,०००
७२	१५	१०,००० रु० पूँजी है।	१०,००० रु० पूँजी लाभ है।
८३	१७	लाभांश ५६००	लाभांश ४२००
६४	३	अविभाजित	विभाजित
"	७	किसी फर्म करने को	किसी फर्म को
६६	६	जिसका ५०० रु०	जिसका ५००० रु०

भूमिका

आय-कर खाता तथा प्रकाशित खाता की समालोचना का विषय जितना आवश्यक है उतना ही गंभीर तथा जटिल भी है। इस विषय पर संभवतः यह पहली पुस्तक हिन्दी में प्रकाशित हो रही है। बी० कॉम तथा एम० कॉम० के विद्यार्थियों के पाठ्य-सूची में भी यह विषय है। पटना विश्वविद्यालय की वाणिज्य-शिक्षा के प्रारंभ से ही संबंध रहने से हम ऐसा कह सकते हैं कि इस विषय का स्पष्ट ज्ञान कुछ विद्यार्थियों को ही हो पाता है। प्रायः व्यापारी भी इस विषय से अनभिज्ञ ही रहते हैं। यह पुस्तक विद्यार्थी, व्यापारी तथा आय-कर से संबंध रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभप्रद होगी। इस पुस्तक को व्यवहारात्मक दृष्टिकोण से भी लिखा गया है। उदाहरणों द्वारा जटिल विषय सरल बनाने का प्रयत्न किया गया है।

हिन्दी में पुस्तक लिखने की कठिनाइयों का सामना हमें भी करना पड़ा है किन्तु मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं। यदि यह पुस्तक कुछ व्यक्तियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी तो मेरा परिश्रम सफल हो जायगा।

हम अपने सभी मित्रों के, उनके प्रोत्साहन तथा सहायता के लिए हृदय से आभारी हैं।

राजेन्द्र कॉलेज, छपरा
जुलाई १५, १९५१

लेखक

विषय सूची

प्रथम खण्ड

आय-कर

द्वितीय खण्ड प्रकाशित खाता की समालोचना

मुद्रक—ए० डब्ल्यू० आर० प्रेस, इलाहाबाद।

प्रथम खण्ड

अध्याय १

आय-कर का परिचय

(INTRODUCTION TO INCOME TAX)

भारतवर्ष में सं० १६२२ ई० में इन्कम् टैक्स ऐक्ट (Income Tax Act) पास हुआ जिसके अनुसार यहाँ के निवासियों तथा व्यापारियों की आय पर कर (Tax) लगाया जाता है। यह ऐक्ट समय-समय पर संशोधित होता रहा और इसमें महत्त्व-पूर्ण संशोधन सं० १६३६ ई० में हुआ। प्रत्येक वर्ष फाइनेंस (Finance Act) ऐक्ट के अनुसार आय-कर की दर निश्चित की जाती है।

आय की परिभाषा—इस ऐक्ट में आय की कोई विशेष परिभाषा नहीं दी गई है। इस ऐक्ट के अनुसार कुछ ऐसी आय का उल्लेख है जिन पर कर लगाया जाता है और अन्य प्रकार की आय पर कर नहीं लगाया जाता। जो आय आवर्ती (Recurring) होती है उस पर कर लगाया जाता है और जो आय अनावर्ती (Non-Recurring) होती है उस पर कर नहीं लगाया जाता। आवर्ती आय उस आय को कहा जाता है जो बार बार होती रहती है, जैसे वेतन, व्यापार का लाभ, इत्यादि और अनावर्ती आय उस आय को कहते हैं जो संयोग से कभी हो जाती है, जैसे क्रास वर्ड पज़िल (Cross-word Puzzle) का इनाम, लड़के का तिलक, कहीं से मिला हुआ उपहार (Gift) इत्यादि।

इस नियम में एक अपवाद है। कृषि आय (Agricultural Income) पर आय-कर नहीं लगता। कृषि आय ऐसी जमीन की आय को कहते हैं जो (१) कृषि के कार्य में व्यवहार की जाती है और (२) उस पर मालगुजारी (Land Revenue)

दी जाती हो। जो जमीन इन नियमों के अन्तर्गत नहीं है उसकी आय कृषि आय नहीं कही जा सकती।

इस नियमानुसार निम्न आय कृषि-आय नहीं हैं यद्यपि उनका सम्बन्ध जमीन से ही है—

(१) उस जमीन की आय जिसे ऐसे मवेशियों के चारागाह के लिये प्रयोग किया जाता है जो कृषि से सम्बन्ध नहीं रखते।

(२) जंगल की उत्पन्न वस्तुओं की बिक्री जैसे लकड़ी, शहतीर, पत्तियाँ।

(३) बाकी लगान पर ब्याज।

(४) हाट, बाजार, घाट, मछली इत्यादि की आय।

(५) खेतों में सिंचाई का पानी देने की आय।

(६) पत्थर की खानों की आय।

(७) किसी खान का अधिकार शुल्क (Royalty)।

(८) कृषि-कार्य को करने के लिये यदि मैनेजर रखा जाय तो उस मैनेजर की आय।

(९) किसी हिन्दू विधवा की आय जो कृषि से उसके पालन-पोषण के लिये मिले।

जिस आय पर आय-कर लगाया जाता है उसको निम्न कोटियों में विभाजित किया जा सकता है—

(१) वेतन (Salaries)

(२) लाभांश एवं ब्याज (Dividend and Interest)

(३) सम्पत्ति आय (Income from Property)

(४) व्यापार-लाभ (Business Profit)

(५) अन्य आय (Other incomes)

इन उपर्युक्त प्रकार की आयों का अध्ययन हम अगले कई अध्यायों में करेंगे।

कर-दाता—(Assessee)—आय-कर उस व्यक्ति से लिया जाता है जिसको उपर्युक्त किसी भी ढंग से आय हुई हो। यह 'व्यक्ति' शब्द बहुत व्यापक अर्थ में व्यवहार किया जाता है। इस शब्द से एक निजी व्यक्ति (Individual), कम्पनी (Company), कुछ व्यक्तियों का संघ (Association of Individuals), अविभाजित हिंदू परिवार (Undivided Hindu Family) तथा स्थानीय सरकार

(Local Authority) समझा जाता है। व्यक्तियों के अतिरिक्त साझा (firm) भी आय-कर देता है।

जिन व्यक्तियों से आय-कर लिया जाता है उन्हें उनके वास-स्थान (Residence) के अनुसार तीन भागों में बाँटा जा सकता है—

(१) करदेय प्रदेश (Taxable Territory) के लिये विदेशी (Non-Resident)।

(२) करदेय प्रदेश का असाधारण निवासी (Not ordinarily Resident)।

(३) करदेय प्रदेश का साधारण निवासी (Ordinarily Resident)।

करदेय प्रदेश (Taxable Territory) का अर्थ सम्पूर्ण भारतवर्ष से है जिसमें जम्मू तथा काश्मीर नहीं सम्मिलित हैं।

जो व्यक्ति निम्न किसी शर्त की पूर्ति करता है वह असाधारण निवासी (Not ordinarily Resident) समझा जाता है—

(१) जो वर्ष में कम से कम १८२ दिनों तक करदेय प्रदेश में रहा हो,या

(२) जिसका घर करदेय प्रदेश में कम से कम १८२ दिनों तक रहा हो और वह स्वयं कुछ भी समय के लिये इस करदेय प्रदेश में रहा हो, या

(३) वह वर्ष में थोड़े समय के लिए भी करदेय प्रदेश में रहा हो और पिछले चार वर्षों में कुल ३६५ दिनों तक करदेय प्रदेश में रह चुका हो, या

(४) वह वर्ष में थोड़े समय से भी हो और इन्कम् टैक्स अफसर (Income Tax Officer को यह विश्वास हो कि वह भविष्य में भी करदेय प्रदेश में कम से कम तीन वर्षों तक रहेगा।

जो इन नियमों में से किसी की पूर्त्ति नहीं करता वह विदेशी समझा जाता है।

और जो व्यक्ति उपर्युक्त किसी शर्त्त के अतिरिक्त निम्न अन्य दो नियमों की भी पूर्त्ति करता है वह साधारण निवासी (Ordinarily Resident) समझा जाता है।

(१) पिछले १० वर्षों में से कम से कम ६ वर्षों में वह असाधारण निवासी होने की कोई न कोई शर्त पूरी करता रहा हो, तथा

(२) वह करदेय प्रदेश में पिछले सात वर्षों में कम से कम दो वर्षों तक रहा हो।

नोट—(१) १८२ दिनों तक लगातार रहने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वह कई बार मिलाकर १८२ दिनों तक रहने की शर्त पूरी कर सकता है।

(२) घर शब्द से निजी घर नहीं समझना चाहिए बल्कि वह होटल में या किराये के मकान में भी रह सकता है, या किसी मित्र के घर भी रह सकता है।

(३) किसी शादी ब्याह अथवा बीमारी में करदेय प्रदेश में आने को उस व्यक्ति का आना नहीं समझा जायगा।

उदाहरण १—एक व्यक्ति १५ वर्षों तक भारतवर्ष में नौकरी करके फ्रांस चला गया। वह यदि १६४६ ई० में १ अप्रैल को यहाँ से गया हो और यदि फिर मार्च ३०, १६५० को लौट आता है तो वह असाधारण निवासी की तीसरी शर्त की पूर्त्ति करता है तथा साधारण निवासी की दोनों शर्तों की भी पूर्त्ति करता है। इसलिए वह १६४६-५० वर्ष के लिये साधारण निवासी है। यदि वह १ अप्रैल १६४६ को न जाकर ३१ मार्च (अर्थात् १ दिन पहले) चला जाता तो वह १६४६-५० वर्ष के लिए असाधारण निवासी हो जाता, क्योंकि वह साधारण निवासी की पहली शर्त की पूर्ति नहीं करता है।

उदाहरण २—यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका यहाँ घर नहीं है और वह स्वयं अफ्रिका में व्यापार करता है और दो तीन वर्षों में कभी एक दो महीनों के लिए यहाँ आता है तो वह विदेशी समझा जायगा, क्योंकि वह किसी भी शर्त की पूर्ति नहीं करता। परन्तु यदि उसका यहाँ घर होता और प्रत्येक वर्ष यहाँ दो महीनों तक रहता तो वह असाधारण निवासी हो जायगा, क्योंकि वह साधारण निवासी की दूसरी शर्त की पूर्त्ति नहीं करता।

उपर्युक्त नियम किसी एक व्यक्ति के लिए लागू है। कम्पनी यदि निम्न दो नियमों में से किसी एक की पूर्ति करती है तो उसे निवासी (साधारण अथवा असाधारण दोनों) समझा जाता है। अन्य कम्पनियों को विदेशी समझा जाता है—

(१) यदि उसका संचालन तथा प्रबन्ध करदेय प्रदेश से ही होता हो (चाहे उसका व्यापार कहीं भी होता हो, या

(२) उसकी आधे से अधिक आय करदेय प्रदेश में व्यापार करने से होती हो।

हिन्दू अविभाजित परिवार, साझा तथा व्यक्तियों का संघ यदि उपर्युक्त पहली शर्त की पूर्त्ति करता हो तो उसे निवासी समझा जायगा, अन्यथा विदेशी समझा जायगा।

आय-कर वर्ष—आय-कर वर्त्तमान वर्ष की आय पर नहीं लगाया जाता है, बल्कि पिछले वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है।

'वर्ष' शब्द से साधारणतः १ अप्रैल से ३१ मार्च तक समझा जाता है। जैसे यदि १६५१ ई० में १ अप्रैल के बाद १ अप्रैल १६५० से ३१ मार्च १६५१ तक की आय पर कर देना होगा। परन्तु यदि किसी व्यापार या व्यक्ति का खाता ३१ मार्च को न बन्द करके किसी अन्य तारीख पर बन्द किया जाता है तो उसके लिए वही वर्ष समझा जाता है और उसके पहले के वर्ष पर उसे कर देना पड़ता है। यदि किसी को कई प्रकार की आय हो तो वह प्रत्येक प्रकार की आय के लिए अलग-अलग तिथियों पर अपने वर्ष को अन्त कर सकता है। किसी भी तिथि को अपने वर्ष का अन्तिम

दिन बनाया जा सकता है परन्तु फिर उसको बिना इन्कम् टैक्स अफसर की अनुमति के बदला नहीं जा सकता।

परन्तु यदि वह व्यक्ति सदा के लिए भारतवर्ष से बाहर जाने वाला हो अथवा कोई व्यापार बन्द हो गया हो तो उनकी आय पर उसी वर्ष में आय-कर लगा दिया जायगा।

आय-कर अधिकारी—आय-कर के अधिकारियों को छः भागों में बाँटा जा सकता है। व्यक्तियों तथा साझों पर कर लगाना तथा उनकी असल आय का पता लगाना, उनका बही-खाता का निरीक्षण करना इत्यादि इनकम् टैक्स अफसर का काम है।

इनकम् टैक्स अफसर के कामों का निरीक्षण करने का भार इन्सपेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम् टैक्स (Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax) के ऊपर रहता है जो कमिश्नर ऑफ इनकम् टैक्स (Commissioner of Income Tax) के मातहत होते हैं।

हर प्रान्त में एक इनकम् टैक्स कमिश्नर (Income Tax Commissioner) होता है जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है।

यदि इनकम् टैक्स अफसर के कर लगाने पर किसी को उज्र करनी हो तो उसकी अपील की जाती है। इस अपील का फैसला करने के लिए अपिलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर ऑफ इनकम्टैक्स (Appellate Assistant Commissioner of Income Tax) होता है।

यदि इस फैसले से भी संतोष न हो तो अपिलेट ट्रिब्युनल (Appellate Tribunal) के यहाँ अपील हो सकती है जिसका फैसला अन्तिम होगा। परन्तु यदि इस ट्रिब्युनल का फैसला भी उचित नहीं मालूम हो तो हाई कोर्ट से उसका फैसला हो सकता है।

इनकम् टैक्स विभाग बोर्ड ऑफ रेवेन्यु (Board of Revenue) के मातहत होता है।

आय—कुछ आयें ऐसी हैं जिन पर कर नहीं लगता। इनका वर्णन हम देखेंगे।

(१) ऐसी आय जिसे न तो कुल आय (Total Income) में जोड़ा जाता है, न उस पर कर लगता है—

(अ) जो सम्पत्ति किसी धार्मिक कार्य के लिये अथवा दान देने के लिये रखी हो उसकी आय। यदि इस आय से कोई व्यापार भी किया जाय और उस व्यापार के लाभ को भी वैसे ही दान देने या धार्मिक काम में लगाया जाय तो उस व्यापार की आय पर भी कर नहीं लगता न उसे कुल अन्य आय में जोड़ा जाता है।

(ब) किसी दान संस्था अथवा धार्मिक संस्था द्वारा किये हुए व्यापार की आय। परन्तु यह आय उसी संस्था के काम में प्रयोग करना आवश्यक है।

(स) किसी दान-संस्था का मिला हुआ चन्दा।

(द) स्थानीय सरकार (Local Authorities) की आय। जैसे म्युनिसिपेल्टी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। परन्तु यदि वे किसी ऐसे पदार्थ या कार्य से लाभ उठाते हैं जो उनके क्षेत्र के बाहर का है तो उस आय पर कर लगेगा।

(इ) प्राविडेन्ट फन्ड (Provident Fund) की प्रतिभूतियों (Securities) की आय। यह केवल उन्हीं प्राविडेन्ट फन्ड के लिए है जिन पर १६२५ का प्राविडेन्ट फन्ड ऐक्ट लागू होता है।

(फ) किसी कार्य को करने के लिये विशेष व्यय के लिए मिली हुई आय। परन्तु यह आय उसे अपने कार्य को करने के लिये आवश्यक हो और उस कार्य को करने में अपना खर्च होता हो। जैसे यात्रा-व्यय।

(ज) आकस्मिक आय (Casual Income)। परन्तु यह आय किसी व्यापार, पेशा तथा रोजगार से नहीं हुआ हो और उससे उसका पारिश्रमिक (Remuneration) नहीं बढ़ा हो। जैसे किसी व्यापार के संचालक (Director) होने से यदि फीस मिली हो या इम्तहान की कापी देखने का पारिश्रमिक मिला हो तो यह आकस्मिक आय नहीं है। परन्तु क्रास वर्ड (Cross-word) का इनाम आकस्मिक आय है।

(च) कृषि आय।

(ई) प्रामाणित (Recognised) प्राविडेन्ट फन्ड की आय।

(उ) प्रामाणित अधिवार्षिकीय कोष (Approved Superannuation Fund) की आय।

(क) अविभाजित हिन्दू परिवार की आय का अपना हिस्सा।

(ल) डाकखाने में जमा रुपया पर ब्याज।

(म) डाकखाने के कैश सर्टीफीकेट या नेशनल सेविंग्स् सर्टीफीकेट (National Savings Certificates) की आय पर।

(न) यदि कोई नया मकान १ अप्रैल १६४६ से ३१ मार्च १६५२ तक के बीच में बना हो तो उसकी दो वर्षों की आय।

(२) ऐसी आय जिसे कुल आय में तो जोड़ा जाता है परन्तु उस पर कर नहीं लगाया जाता—

(क) जम्मू या काश्मीर से मिली हुई आय।

(ख) किसी सहकारी संस्था से मिली हुई आय। परन्तु इस आय में सहकारी संस्था के लाभ का वह अंश नहीं होना चाहिये जो उस सहकारी संस्था को प्रतिभूतियों (Securities), सम्पत्तियों अथवा अन्य करदेय (Taxable) ढङ्ग से हुआ हो।

(३) ऐसी आय जिसे कुल आय में जोड़ा जाता है, और जिस पर आय-कर नहीं लगता, परन्तु अधि-कर (Super Tax) लगता है—

(क) सरकारी नौकर के वेतन से जो रकम सरकार इस उद्देश्य से काट लेती है कि उससे उसके बाल बच्चों के लिए भविष्य में कोष तैयार हो जाय। यह रकम उसके वेतन के $\frac{1}{6}$ से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) कर-मुक्त (Tax-Free) सरकारी प्रतिभूतियाँ (Securities) का ब्याज।

(ग) अनधिकृत (Unregistered) साझा तथा व्यक्तियों के संघ के ऐसे लाभ को जिस पर पहले ही कर लग चुका है।

दान—यदि किसी संस्था को (जैसे, गरीब, विद्या, दवा,) कुछ दान दिया जाय तो उस पर कर नहीं लगता। ऐसी संस्था को केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

दान की रकम २५०) से कम नही होनी चाहिए। परन्तु यह रकम कुल आय का $\frac{1}{10}$ से (कम्पनी के लिए $\frac{1}{20}$) से अधिक भी नहीं होनी चाहिए। दान की रकम को कुल आय में जोड़ दिया जाता है और उस रकम पर औसत (Average) कर-दर (Tax-rate) से छूट (Rebate) दी जाती है।

नयी औद्योगिक संस्था—१६४६-५० से पाँच वर्षों तक किसी नयी औद्योगिक संस्था की उस आय पर कर नहीं लगता जो उसकी पूँजी के ६% तक हो। शर्त यह है कि उसमें ५० व्यक्तियों से अधिक काम करते हों और उसमें बिजली की मशीनों से उत्पादन होता हो।

उपार्जित आय (Earned Income)—किसी व्यक्ति, अविभाजित हिन्दू परिवार, अनधिकृत साझा (Unregistered Firm) या अन्य व्यक्तियों के संघ को उपार्जित आय के $\frac{1}{5}$ (या ४००० रु० दोनों में जो कम हो) पर नहीं लगता है। उपार्जित आय उस आय को कहते हैं जिसके उपार्जन में शारीरिक परिश्रम किसी प्रकार का करना पड़ा हो। जैसे वेतन, व्यापार का लाभ, कमीशन, इत्यादि। परन्तु घर का किराया उपार्जित आय नहीं है। कम्पनी, स्थानीय सरकार तथा अधिकृत साझा (Registered Firm) को यह छूट नहीं मिलती।

उपार्जित आय पर केवल आय-कर की ही छूट मिलती है; अधि-कर (Super Tax) की छूट नही मिलती।

आय-कर-दर—आय-कर-दर (Income Tax Rate) समय समय पर बदलती रहती है। इस समय (१९५१ ई० में) किसी भी व्यक्ति की ३६०० रु० से कम आय पर कर नहीं लगता तथा अविभाजित हिन्दू परिवार की ७२०० रु० से कम की आय पर भी कर नहीं लगता। कम्पनी की आय की कुल रकम पर कर लगता है। साझे की आय पर भी ३६०० रु० से कम होने पर कर नहीं लगता।

वर्त्तमान (१९५०) आय-कर-दर निम्न प्रकार से है। यह दर उन्हीं के लिए है जिनकी आय न्यूनतम सीमा से अधिक होती है अर्थात् जिनकी आय कर-देय (Taxable) है—

प्रथम	१५००	पर	कुछ नहीं		
उसके बाद	३५००	,,	$\frac{3}{4}$	आना	प्रति रु०
,, ,,	५०००	,,	१$\frac{3}{4}$	,,	,,
,, ,,	५०००	,,	२	,,	,,
,, ,,	शेष रकम	,,	४	,,	,,

इसी प्रकार जब आय २५,००० रु० से अधिक होती है तब अधि-कर (Super Tax) लगता है जिसकी दर निम्नलिखित है। यह अधि-कर आय-कर के अतिरिक्त लगता है—

प्रथम	२५०००	रु०	पर	कुछ नहीं		
इसके बाद	१५०००	,,	,,	प्रति रु०	तीन	आना।
,,	१५०००	,,	,,	,,	४	,, ।
,,	१५०००	,,	,,	,,	६	,, ।
,,	१५०००	,,	,,	,,	७	,, ।
,,	१५०००	,,	,,	,,	७$\frac{1}{2}$	,, ।
,,	५०,०००	,,	,,	,,	८	,, ।
,,	शेष आय	,,	,,		८$\frac{1}{2}$	,, ।

कम्पनियों की आय के प्रति रुपया ४ आ० आयकर तथा ४$\frac{1}{2}$ आ० प्रति रु० अधि-कर (जिसे कारपोरेशन कर Corporation Tax कहते हैं) लगता है, चाहे कम्पनी की आय कितनी भी हो।

कम्पनी शब्द से केवल ऐसी कम्पनियों को ही नहीं समझा जाता जो भारतीय कम्पनी ऐक्ट के अनुसार स्थापित की जाती हैं, बल्कि ऐसी संस्थाएँ भी जो रॉयल चार्टर (Royal Charter) अथवा किसी विशेष ऐक्ट (Act) के अनुसार स्थापित हुई

हों या कोई विदेशी संघ (Foreign Association) हो जिसे बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यु (Board of Revenue) ने कम्पनी होने की घोषणा की हो।

कम्पनी की कुल आय पर अधिकतम (Maximum) कर-दर से कर लगाया जाता है। परन्तु यदि कम्पनी ने कर-देय आय में से लाभांश (Dividend) करदेय प्रदेश (Taxable Territory) में दे और उस लाभांश में से अधि-कर (Super Tax) काट ले तो—

(अ) उसकी आय के उस अंश पर एक आना प्रति रु० छूट मिलता है जो अंश शेयरदारों (Share-holders) में वितरण नहीं किया गया है और जो (१) कुल आय के ६½ आ० प्रति रु० से अधिक हो, (२) जो आय जिस पर आय-कर नहीं लगता परन्तु कुल आय में सम्मिलित है, तथा (३) जो पिछले वर्ष के लिए लाभांश इस वर्ष में दिया गया हो या

(आ) कुल आय में से ६½ आ० प्रति रु० घटाने के बाद जो रकम बचे यदि उस रकम से पिछले वर्ष का लाभांश अधिक हो तो उस अधिक रकम पर पिछले वर्ष के आय-कर और इस वर्ष के आय-कर के अन्तर के बराबर अधिक कर लगाया जाता है।

उदाहरण ३—एक कम्पनी की आय ८०,००० रु० पिछले वर्ष है जिसमें से उसने इस वर्ष में पिछले वर्ष के लिए (१) ३५,००० रु० (२) ६०,००० रु० लाभांश दिया है।

कुल आय	रु० ८०,०००	
घटाया ६½ आ० प्रति रु०	३२,५००	
	४७,५००	
(१) आय कर ८०,००० रु० पर ४ आ० प्रति		रु० २०,०००
घटाया १२५,०० रु० (४७५,००-३५,०००) पर १ आ० प्रति रु०		७८१-४
आय-कर इस वर्ष का		१६,२१८-१२

(२) ६०,००० रु० लाभांश देने से १२५,०० रु० अधिक दिया गया है। पिछले वर्ष अधिकतम कर-दर ५ आ० प्रति रु० था। उसे १ आ० प्रति रु० छूट मिलने पर ४ आ० प्रति रु० कर लगा होगा। इसलिए इस वर्ष में उसे अधिक कर नहीं देना होगा।

कुल आय पर ४ आ० प्रति रु० कर=रु० २०,००० यही कर देना होगा।

इसी प्रकार कम्पनी को अधि-कर (Super Tax) में भी निम्न परिस्थितियों में छूट मिलती है—

(१) जो कम्पनी (अ) कर-देय आय में से अधि-कर काटकर करदेय प्रदेश में लाभांश देती है और (आ) जो लोक-कम्पनी (Public Company) है जिसकी आय २०००० रु० से अधिक नहीं है, तो उसे प्रति रु० ३½ आ० की छूट मिलती है।

(२) जो कम्पनी उपर्युक्त नं० १ के (अ) शर्त की पूर्ति करती है परन्तु (आ) शर्त की पूर्ति नहीं करती उसे प्रति रु० २ आ० की छूट मिलती है।

(३) जो कम्पनी उपर्युक्त न० १ की किसी शर्त की पूर्ति नहीं करती और (अ) जो लोक-कम्पनी (Public Company) है जिसके शेयर को पिछले वर्ष फाटका बाजार (Stock Exchange) द्वारा बेचा गया अथवा (आ) जिसके कुल शेयर पिछले वर्ष ऐसी कम्पनियों ने खरीदा है जो (अ) शर्त की पूर्ति करती हैं, तो प्रति रु० १ आ० छूट मिलती है।

सभी व्यक्तियों पर एक समान कर नहीं लगता। उनके निवास के अनुसार कर लगाने की विधि भी बदल जाती है।

साधारण निवासी (Ordinarily Resident) को निम्न आय पर कर लगता है—

(१) जो आय उसने करदेय प्रदेश में प्राप्त की हो, चाहे वह कहीं से भी क्यों न मिली हो।

(२) किसी दूसरे देश की आय जिसे वह यहां नहीं भी मँगाता हो (जम्मू तथा काश्मीर की आय जो यहाँ नहीं आवे उसे उसकी कुल आय में जोड़कर औसत कर-दर निकाला जाता है फिर उस आय पर छूट दी जाती है।)

असाधारण निवासी (Not ordinarily Resident) को निम्न आय पर कर देना पड़ता है—

(१) जो आय करदेय प्रदेश में उसे मिली हो, चाहे वह इस देश से या विदेश से मिली हो।

(२) जो आय विदेश मे ऐसे व्यापार अथवा कार्य से हुई हो जिसका संचालन भारतवर्ष से होता हो।

विदेशी (Non-Resident) को उस आय पर कर देना पड़ता है जो आय उसे भारतवर्ष में प्राप्त हुई हो चाहे कहीं से मिली हो।

साधारण अथवा असाधारण निवासी की उस आय में से जो विदेश की आय हो ४५०० रु० घटा दिया जाता है, क्योंकि इस रकम पर कर नहीं लगता।

———

अध्याय २

वेतन

(SALARIES)

वेतन का अर्थ—वेतन शब्द से निम्न प्रकार की आय समझी जाती है—

(१) वेतन तथा पारिश्रमिक (Wages) जो मिल चुका हो।

(२) वेतन तथा पारिश्रमिक जिसे उसी वर्ष में मिलना चाहिए परन्तु अभी तक मिला न हो।

(३) वेतन जो पेशगी ले लिया गया हो।

(४) अन्य अधि-देय (Allowances) जो मिला हो जैसे मकान-भाड़ा (House Rent)। मकान भाड़ा के लिए वेतन के १०% तक दिया जाता है। यदि १०% से अधिक भी मिले तो १०% ही वेतन में जोड़ा जायगा। यदि १०% से कम मकान भाड़ा मिले तो वही रकम जोड़ी जाती है।

परन्तु यदि ऐसे अधि-देय (Allowance) दिये जाँय जो सर्वथा उसी कार्य को ही करने के लिए आवश्यक हों जैसे साइकिल या मोटर या रेल-यात्रा के लिए अधि-देय (Allowance) दिया जाय तो उसे वेतन में नहीं जोड़ा जाता।

(५) एक मुष्टि (Lump sum) कोई आय मिले तो उसे भी वेतन में जोड़ा जाता है जैसे बोनस (Bonus)। परन्तु यदि वृत्ति (Employment) के छूट जाने पर कोई एक मुष्टि रकम हानि पूर्ति (Compensation) के लिए दी जाय तो उसे नहीं जोड़ा जाता, अथवा प्राविडेन्ट फन्ड (Provident Fund) या अधिवार्षिकी (Superannuation) की रकम वापस मिले तो उसे नहीं जोड़ा जाता।

(६) प्रामाणित प्राविडेन्ट फन्ड (Recognised Provident Fund) पर मिला हुआ व्याज नहीं जोड़ा जाता। परन्तु यदि व्याज की दर ६% से अधिक हो या यह व्याज उसके वेतन के $\frac{1}{3}$ से अधिक हो तो उस अधिक रकम को भी वेतन में जोड़ दिया जाता है।

(७) अप्रमाणित प्राविडेन्ट फन्ड (Unrecognised Provident Fund) की मिली हुई रकम को जोड़ा जाता है। (जो रकम उस व्यक्ति ने स्वयं इस फन्ड में जमा की है उस रकम को नहीं जोड़ा जाता, बल्कि जो उसके मालिक ने इस फन्ड में जमा की है उस रकम को जोड़ा जाता है।)

(८) जो रकम आय-कर के लिए वेतन से काट ली जाती है उसे भी वेतन ही समझा जाता है। वेतन पर आय-कर काट कर शेष रकम ही दी जाती।

नोट—१. भारतीय सरकार का यदि कोई नौकर देश के बाहर किसी कार्य के लिए नियुक्त किया गया हो तो उसके वेतन पर भी कर लगेगा।

२. उपार्जित आय (Earned Income) के लिए वेतन की रकम के $\frac{1}{5}$ पर छूट मिलती है (परन्तु अधिकतम सीमा ४००० रु० तक है।)

सीमान्त-सहायता पद (Marginal Relief Clause)—यदि किसी व्यक्ति की आय न्यूनतम (Minimum) करदेय (Taxable) रकम से थोड़ी ज्यादा हो तो उसके लिए यह पद लागू होता है। ऐसे व्यक्ति को उस अधिक रकम की आधी रकम कर के रूप में देनी पड़ती है।

उदाहरण ३—किसी व्यक्ति की मासिक आय ३०५ रु० है तो उस पर आयकर इस प्रकार लगेगा—

साल भर का वेतन	रु० ३६६०
घटाया उपार्जित आय $\frac{1}{5}$	७३२
करदेय आय	२६२८

न्यूनतम करदेय आय ३६०० रु० है। इस व्यक्ति की आय ३,६६० रु० है इसलिए उसे कर देना होगा। परन्तु उपार्जित आय घटाने से २६२८ हो जाता है जो ३६०० रु० से कम है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार कर निकाला जाता है—

∵ ३६६० रु० पर कर (सीमान्त-सहायता पद के अनुसार) = ३० रु०।

∴ २६२८ " " " $= \frac{३० \times २६२८}{३६६०}$ रु०

= २४ रु०।

उदाहरण ४—अ को ५०० रु० मासिक वेतन मिलता है और ४० रु० मासिक मकान-भाड़ा के लिए मिलता है। वह अपनी लड़की की शादी के लिए दो महीनों का वेतन पेशगी ले चुका है।

वार्षिक वेतन	रु० ६०००
मकान भाड़ा	४८०
दो महीनों का पेशगी वेतन	१०००
	कुल आय...७,४८०
घटाया उपार्जित आय के लिए ⅕	१,४९६
	५,९८४

प्रथम	१५००	रु०	पर	कर	=	× रु०
उसके बाद	३५००	"	"		=	१६४—१
" "	९८४	"	"		=	१०७-१०
			कुल कर		=	२७१-११

उदाहरण ५—अ एक व्यापार में २०० रु० मासिक वेतन पर काम करता है। उसने १ जून को काम छोड़ दिया और उसे अप्रामाणित प्राविडेन्ट फन्ड से ६००० रु० मिला जिसमें उसका दिया हुआ रुपया तथा उस पर व्याज ४५०० रु० था। वह १ जुलाई से दूसरी जगह २५० रु० मासिक वेतन पर नौकर हो गया।

उसका वेतन (१ अप्रैल से १ जून तक)		४०० रु०
" " (१ जुलाई से ३० मार्च तक)		२२५० रु०
प्राविडेन्ट फन्ड की रकम	६०००	
घटाया उसका अपना हिस्सा	४५००	१५००
कुल आय		४,१५०

उदाहरण ६—एक व्यक्ति को (१) कानपुर में ६००० रु० वेतन मिलता है। (२) कानपुर का ६००० रु० वेतन उसे काश्मीर से मिलता है। (३) उसे काश्मीर में ६००० रु० वेतन मिलता है। (४) उसे काश्मीर का वेतन ६००० रु० कानपुर में मिलता है। (५) उसे काश्मीर में ६००० रु० वेतन मिलता है जिसे वह कानपुर ले आता है।

ऐसी स्थिति में साधारण निवासी, असाधारण निवासी, तथा विदेशी को कितने पर कर देना पड़ेगा।

(१) साधारण निवासी को प्रत्येक प्रकार के वेतन पर कर देना पड़ेगा। केवल नं० ३ अर्थात् काश्मीर में मिले हुए वेतन पर ४५०० रु० की छूट मिलेगी।

(२) असाधारण निवासी को प्रत्येक प्रकार के वेतन पर कर देना पड़ेगा। केवल नं० ३ पर उसे कर नहीं लगेगा।

(३) विदेशी को केवल नं० १ तथा नं० २ पर कर देना पड़ेगा।

प्राविडेन्ट फन्ड (Provident Fund)—प्राविडेन्ट फन्ड तीन प्रकार का होता है—

(१) वैधिक प्राविडेन्ट फन्ड (Statutory Provident Fund)—१९२५ के प्राविडेन्ट फन्ड ऐक्ट के अनुसार यह प्राविडेन्ट फन्ड रहता है। इसमें केवल अपने हिस्से पर कर की छूट मिलती है। यदि इस फन्ड में उसका मालिक भी कुछ चन्दा देता है अथवा इस पर यदि व्याज मिलता है तो उस पर छूट नहीं मिलती।

इस फन्ड में अपने हिस्सा की रकम तथा बीमा के प्रीमियम की रकम दोनों मिलाकर ६००० रु० अथवा उसकी आय के १/६ से अधिक नहीं होना चाहिये।

(२) प्रामाणित प्राविडेन्ट फन्ड (Recognised Provident Fund)—जो प्राविडेन्ट फन्ड इनकम् टैक्स कमिश्नर प्रामाणित कर देता है उसे प्रामाणित प्राविडेन्ट फन्ड कहते हैं। इस फन्ड में चन्दा देने वालों के वेतन में उनके मालिक का दिया हुआ चन्दा तथा इस फन्ड का व्याज दोनों जोड़ दिया जाता है। अपने और मालिक के चन्दे पर तथा व्याज पर छूट मिलती है। यह रकम उसके असली वेतन के १/६ या ६००० रु० से कम होनी चाहिए। प्राविडेन्ट फन्ड के चन्दे की कुल (अपनी और अपने मालिक की) रकम तथा उसके जीवन पर बीमा का प्रीमियम दोनों मिल कर उसकी कुल आय का १/६ अथवा ६००० रु० तक हो सकता है। इस कुल आय को निकालने के लिए मालिक का चन्दा तथा फन्ड पर मिला हुआ व्याज नहीं जोड़ा जाता।

(३) अ प्रामाणित प्राविडेन्ट फन्ड (Unrecognised Provident Fund)—इस फन्ड में चन्दा देने पर छूट नहीं मिलती।

उदाहरण ७—अ को ५०० रु० मासिक वेतन मिलता है तथा ४० रु० मकान भाड़ा मिलता है। उसे वर्ष में १००० रु० बोनस मिलता है। वह अपने वेतन का १०% प्राविडेन्ट फन्ड में चन्दा देता है तथा उसका मालिक भी १०% चन्दा देता है। इस फन्ड पर इस वर्ष का व्याज ३०० रु० है। वह बीमा का प्रीमियम भी ६०० रु० देता है।

(१) जब यह प्राविडेन्ट फन्ड वैधिक हो—

वेतन	रु०	६०००
बोनस		१०००
मकान भाड़ा		४८०
कुल आय		७४८०

छूट की रकम—

१—प्राविडेन्ट फन्ड (चन्दे का अपना हिस्सा)	६०० रु०
२—बीमा का प्रीमियम	६४७
कुल आय का $\frac{1}{6}$ तक	१२४७ रु०

(२) जब यह प्राविडेन्ट फन्ड प्रामाणित हो—

वेतन, बोनस, मकान भाड़ा	७४८० रु०
मालिक का चन्दा	६०० "
ब्याज	३०० "
कुल आय	८३८० "

छूट की रकम—

१. प्राविडेन्ट फन्ड (६००+६००=१२०० परंतु असली वेतन ६००० का $\frac{1}{6}$ तक)	१००० रु०
२. ब्याज	३०० "
३. प्रीमियम	२४७ "
	१५४७

नोट—इस स्थिति में उसकी कुल आय ७४८० रु० ही है क्योंकि मालिक का चन्दा तथा ब्याज—इस कुल आय में नहीं जोड़ा जाता। ७४८० का $\frac{1}{6}$= १२४७ रु०। इसलिये प्रीमियम पर केवल २४७ रु० की छूट मिलेगी।

(३) जब यह प्राविडेन्ट फन्ड अप्रामाणित हो—

वेतन, बोनस तथा मकान भाड़ा	७४८० रु०

छूट की रकम—

प्रीमियम (कुल आय के $\frac{1}{6}$ तक)	६०० रु०

नोट—अधिवार्षकी (Superannuation Fund) पर तथा प्रीमियम पर छूट एक ही प्रकार से दी जाती है। यह रकम कुल आय के $\frac{1}{6}$ अथवा ६००० रु० से अधिक नहीं होनी चाहिये।

बीमा का प्रीमियम—(Insurance Premium)—अपने अथवा अपनी स्त्री या बच्चों के जीवन बीमा पर दिये हुये प्रीमियम पर छूट मिलती है। परन्तु यह प्रीमियम बीमा की रकम के १०% से अधिक नहीं होना चाहिये।

प्रीमियम की रकम, या कुल आय का $\frac{1}{6}$ या ६००० रु० (अविभाजित हिन्दू परिवार के लिये १२००० रु०) तीनों में जो रकम कम हो उसी पर छूट मिलती है।

परन्तु यदि प्राविडेन्ट फन्ड की रकम से बीमा का प्रीमियम दिया जाय तो उस पर छूट नहीं मिलती।

नोट १—कर का सदा निकटतम आने में और आय का निकटतम रुपये में आगणन किया जाता है।

२—कर तथा अधि-कर सदा मालिक को पहले ही काटकर शेष वेतन देना चाहिए।

३—प्रीमियम तथा प्राविडेन्ट फन्ड पर केवल आयकर की छूट मिलती है, अधिकर की नहीं।

४—पत्नी की आय को पति की आय में नहीं जोड़ा जाता।

उदाहरण ८—एक व्यक्ति को ३००० रु० मासिक पर १ मई १६४६ में नियुक्ति हुई। उसके वेतन का स्केल ३०००–५००–५००० है। उसने लड़की की शादी के लिए २ महीने का वेतन पेशगी लिया। वह ६१०० रु० बीमा का प्रीमियम देता है।

१९४९-५० में उसकी करदेय आय

वेतन (१० महीनों का। मार्च का वेतन १ अप्रैल को मिलेगा इसलिए उसे अगले वर्ष की आय समझेंगे)	३०,००० रु०
पेशगी वेतन	६,०००
कुल आय	३६,०००
घटाया है उपार्जित आय के लिये	४,०००
करदेय आय	३२,०००

आयकर—

प्रथम		१५०० रु०	पर ×	रु०
उसके बाद		३५०० ,,	,, दर ६ पा०	१६४—१
,,		५००० ,,	,, १$\frac{3}{4}$ आ०	५४६—१४
,,		५००० ,,	,, २ आ०	६२७—८
,,	शेष	१७००० ,,	,, ४ आ०	४२५०—०
कुल आय		३२००० पर कर	रु०	५८६८—७

औसत कर-दर $= \frac{५८६८-७}{३२०००} = ३५.३६$ पा०

प्रीमियम पर छूट ६००० रु० पर (जो ३६००० कुल आय का १/६ है)

६००० × ३५'३६ पा०

= ११०५ – १५ रु०

आय-कर = रु० ५८६८ – ७

घटाया छूट = ११०५ – १५

आय-कर = ४७६२ – ८

अधिकर— रु०

प्रथम २५००० पर ×

उसके बाद ११००० ,, दर ३ आ० रु० २०६२ – ८

कुलकर—

आयकर रु० ४७६२ – ८

अधिकर २०६२ – ८

कुलकर ६८५५ – ०

१९५०=५१ में करदेय आय

वेतन एक वर्ष का ३००० रु० की दर से	रु० ३६०००
वेतन की वृद्धि १ मई, १९५० से १० महीनों का	५०००
	४१०००
घटाया जो पेशगी वेतन लिया था	६०००
कुल आय—	३५०००
घटाया उपार्जित आय १/५	४०००
करदेय आय	३१०००

उदाहरण ९—अ जो एक सरकारी नौकर है उसकी मासिक वेतन ८०० रु० है तथा उनको यात्रा-व्यय के लिये वर्ष में १६०० रु० मिलता है। उनका यात्रा पर असल व्यय केवल १२०० रु० है। वह सरकारी प्राविडेन्ट फन्ड में एक आना रु० चन्दा देते हैं और सरकार भी उसमें १ आ० रुपया चन्दा देती है। प्राविडेन्ट फन्ड का उस वर्ष का ब्याज १५०० रुपया है। वह अपने तथा अपनी स्त्री के जीवन बीमा पर ११०० रुपया प्रीमियम देते हैं।

वेतन	रु० ६६००
छूट— प्राविडेन्ट फन्ड का चन्दा	रु० ६००
बीमा का प्रीमियम	१०००
६६०० रु० १/६ तक	१६००

उदाहरण १०—अ की करदेय आय निकालो—

वह वर्ष के छः महीनों तक ४०० रुपया मासिक पाता है जिसका १०% अप्रामाणित प्राविडेन्ट फन्ड में चन्दा देता है। फिर उसे दूसरी नौकरी ३०० रुपया मासिक पर ४ महीनों के लिये मिलती है। उसे पहली नौकरी छोड़ने पर प्राविडेन्ट फन्ड से ९००० हजार रुपया मिलता है जिसमें उसका अपना चन्दा तथा उस पर ब्याज ७००० रु० है। नौकरी छूटने का हर्जाना (Compensation) उसे ३००० रु० मिला था। उसे बीमा का भी ५००० रु० उसी वर्ष में मिला और डाकखाने में जमा रुपया पर उसे ५० रु० ब्याज मिला। उसे अविभाजित हिन्दू परिवार का हिस्सा २००० रुपया मिला और पटने की जमीन का लगान ३०० रु० तथा काश्मीर की जमीन का लगान ५०० रु० मिला। वह ५०० रु० प्रीमियम देता है।

वेतन (२४००+१२००)	रु० ३६००
प्राविडेन्ट फन्ड (९०००—७०००)	२०००
काश्मीर की आय जो उसे मिली	५००
कुल आय	६१००
घटाया उपार्जित आय १/५	१२२०
करदेय आय	४८८०

छूट ५०० रु० प्रीमियम पर मिलेगी।

उदाहरण ११—बिहार सरकार का एक पेन्शन पाने वाला कर्मचारी काश्मीर के एक कालेज में प्रोफेसर हो जाता है। उसका अपना मकान पटने में है जहाँ वह गर्मी की छुट्टी में हर साल जाता है। उसकी निम्न आय है—

(१) उसे बिहार सरकार से २०० रु० पेन्शन मिलता है।

(२) उसे काश्मीर में ८०० रुपया मासिक वेतन तथा ४० रुपया मँहगाई मिलती है।

(३) वह काश्मीर में रहते हुए इम्तहानी कार्य के लिए पटना विश्वविद्यालय से १००० रु०, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से १५०० रु०, काश्मीर विश्वविद्यालय से ८०० रु० पाता है।

(४) उसे काश्मीर के बैंक से ५० रु० ब्याज मिला।

(५) उसने गांधी-मेमोरियल कोप में ५०० रु० चन्दा दिया तथा काश्मीर के कालेज के प्राविडेन्ट फन्ड में ३० रु० महीना दिया।

(६) उसने इम्तहानी कार्य की कुल आय से पटने में मकान बनाया।

भारतीय आय—		
(१) पेन्शन	२४०० रु०	रु०
(२) इम्तहानी आय	२५००	
विदेशी आय—		४९००
(१) इम्तहानी आय जो उसने भारतवर्ष में भेजा	८००	
(२) वह आय जो भारतवर्ष में नहीं भेजी गई		
वेतन १००८० + ब्याज ५० – ४५००	५६३०	६४३०
कुल आय		११३३०
घटाया उपार्जित आय		
४९०० + ८०० का $\frac{१}{५}$		११४०
करदेय आय		१०१९०

उसे ३७६० रु० पर १०१९०–६४३० औसत कर-दर (औसत कर-दर १०१९० पर निकाली जायगी) के अनुसार कर देना होगा।

विभाजित हिंदू परिवार—जिस हिन्दू परिवार की सम्पत्ति, भोजन तथा पूजन Worship (एकजाई) common हो उसे अविभाजित हिंदू परिवार कहा जाता है। यदि ऐसे परिवार के किसी सदस्य की निजी आय किसी दूसरे कार्य से हो तो वह आय उस परिवार की आय में नहीं जोड़ी जाती। इसी प्रकार हिंदू अविभाजित परिवार की आय उस सदस्य की अन्य आय में भी नहीं जोड़ी जाती। जैन तथा सिख अविभाजित परिवार को भी हिंदू अविभाजित परिवार समझा जाता है।

अविभाजित हिंदू परिवार के लिये दो प्रकार के हिंदू नियम Hindu Law लागू हैं—दायभाग तथा मिताक्षरा। दायभाग नियम के अनुसार पुत्र को पिता के जीवन पर्यन्त परिवार की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। मिताक्षरा नियमानुसार हिंदू परिवार के किसी भी पुत्र को उसके जन्म से ही परिवार की सम्पत्ति में हिस्सा हो जाता है। दायभाग नियम बंगाल में लागू है और अन्य स्थानों पर मिताक्षरा नियम ही लागू होता है।

अविभाजित हिन्दू परिवार को ७२०० रु० तक की आय होने पर कुछ भी कर नहीं देना पड़ता। परन्तु उस परिवार को निम्न दो शर्तों में से किसी एक का पालन करना पड़ता है —

(१) उस परिवार में कम से कम दो ऐसे हिस्सेदार हों जिनकी आयु १८ वर्ष से कम न हो, या

(२) उस परिवार में कम से कम ऐसे दो हिस्सेदार हों जो एक दूसरे का पुत्र न हो या किसी जीवित व्यक्ति के दोनों पुत्र न हों।

जो इनमें से किसी शर्त की पूर्त्ति नहीं करता है उसे ३६०० रु० तक की आय पर ही कर नहीं देना पड़ता।

उदाहरण १२—यदि एक हिन्दू परिवार में एक पिता तथा दो नाबालिग पुत्र हैं तो उसे ३६०० रु० तक की आय पर ही कर नहीं देना होगा। परन्तु यदि एक लड़का बालिग हो तो ७२०० रु० की सीमा हो जायगी। यदि उस परिवार में केवल दो नाबालिग भाई हों तो भी ७२०० रु० की सीमा होगी क्योंकि उनका बाप नहीं जीवित है।

अविभाजित हिन्दू परिवार के किसी सदस्य के जीवन बीमा का प्रीमियम उसकी आय का $\frac{1}{6}$ अथवा १२००० रु० (दोनों में जो कम हो) तक दिया जा सकता है।

यदि इस परिवार के सदस्यों में बँटवारा हो जाय तो इनकमटैक्स अफसर को संतुष्ट करना पड़ेगा। यह साबित करना होगा कि वे अलग हो गये हैं और सम्पत्ति का विभाजन कानूनी तौर पर हो चुका है। इसका यह अर्थ नहीं कि वे अपने व्यापार को अलग अलग कर लें। वे उसी पुराने व्यापार को चला सकते हैं। केवल अपना अपना खाता अलग अलग कर लेना चाहिए।

अध्याय ३

लाभांश एवं ब्याज

(DIVIDENDS AND INTEREST)

ब्याज (Interest) ब्याज प्रतिभूतियों (Securities) पर मिलता है। प्रतिभूतियों को निम्न ढंग से विभाजित किया जा सकता है—

(प्रतिभूतियाँ Securities)

- सरकारी प्रतिभूतियाँ (Govt. Securities)
  - कर-मुक्त (Tax Free) → ऐसी प्रतिभूतियों की आय सकल (Gross) आय समझी जाती है जिस पर छूट मिलती है।
  - कर-युक्त (Less Tax) → ऐसी प्रतिभूतियों की आय सकल आय है
- व्यापारिक प्रतिभूतियाँ (Commercial Securities)
  - कर-मुक्त (Tax Free) → ऐसी प्रतिभूतियों की आय शुष्क (Net) आय है जिसे सकल (Gross) बनाना पड़ता है।
  - कर-युक्त (Less Tax) → ऐसी प्रतिभूतियों की आय सकल आय है।

उपर्युक्त तालिका से ही प्रतिभूतियों का भेद स्पष्ट हो जाता है। सारांश यह कि प्रतिभूतियाँ चार प्रकार की होती हैं—

(१) कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों की आय को अन्य आय में जोड़ दिया जाता है। परन्तु उस पर औसत कर-दर के अनुसार छूट मिल जाती है।

(२) कर-युक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ—ऐसी प्रतिभूतियों की आय को अन्य आय में जोड़ कर (Tax) लगाया जाता है।

(३) व्यापारिक कर-मुक्त प्रतिभूतियाँ—ऐसी प्रतिभूतियों की आय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इनकी आय को शुष्क आय समझा जाता है क्योंकि कम्पनी ही ऐसी प्रतिभूतियों की आय पर अपनी ओर से कर देने का भार ले लेती है। प्रतिभूतियों की आय पर अधिकतम कर-दर से कर लगता है (अर्थात् ४ आ० प्रति रु०)। ऐसी आय को पहले सकल (Gross) बनाना पड़ता है तब अन्य आय में जोड़ा जाता है।

शुष्क आय (Net Income) को सकल बनाने की विधि—

एक रुपये में कर १/४ रु० है। अर्थात् यदि १ रु० सकल आय है तो कर काटने के बाद शुष्क आय ३/४ रु० होगी।

∴ जब शुष्क आय ३/४ रु० है तो सकल आय १ रु० है।

∴ " " " अ " " " ४/३ × अ।

अर्थात् कर-मुक्त व्यापारिक प्रतिभूतियों की आय में ४/३ से गुणा कर देने से सकल आय मालूम हो जायगी। यदि अधिकतम दर बदल जाय तो इसी ढंग से सकल आय निकाली जायगी।

(४) कर-युक्त व्यापारिक प्रतिभूतियों की आय सकल आय होती है और उसे अन्य आय में जोड़कर कर (Tax) लगाया जाता है।

नोट १—यदि प्रश्न मे कुछ भी न मालूम हो कि प्रतिभूतियाँ सरकारी हैं अथवा व्यापारिक तो उन्हें व्यापारिक प्रतिभूतियाँ समझना चाहिये।

२—यदि यह भी न मालूम हो कि वे कर-मुक्त हैं या कि कर-युक्त हैं तो उन्हें करयुक्त ही समझना चाहिए।

प्रतिभूतियों की आय पर पहले ही आय-कर (अधिकतम कर-दर के अनुसार) काटकर शेष दिया जाता है। आयकर काटते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि उस आय की रकम ३६०० रु० से कम है या अधिक। अर्थात् यह आय कितनी भी कम क्यों न हो उस पर उसी दर से कर काटना होगा। परन्तु यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स अफसर का लिखित प्रमाण दे कि उस व्यक्ति को अन्य आय ऐसी नहीं है कि उसे कर देना पड़े तो उस व्यक्ति की प्रतिभूतियों की आय पर बिना कर काटे कुल आय दे दी जाती है।

नोटे—कभी कभी प्रश्न में यह रहता है कि अ को ५०० रु० प्रतिभूतियों की आय मिली। मिली शब्द से यह प्रतीत होता है कि उसे कर काटने के बाद ५०० रु०

मिला। इसलिए यह ५०० शुष्क आय है और उसे भी ४/३ से गुणा करके सकल बनाना पड़ेगा।

यदि प्रतिभूतियों की आय पाने में कुछ व्यय देना पड़े तो उसे उसी आय में से घटाकर तब अन्य आय में जोड़ा जायगा। जैसे बैंक को आय वसूलने के लिए कमीशन देना पड़े या ऋण लेकर प्रतिभूतियाँ खरीदी गई हों तो उसे ऋण पर व्याज देना पड़ेगा। यह व्याज भी उस आय में से घटाना पड़ेगा। ऐसा भी सम्भव है कि ऋण का व्याज उस आय से अधिक हो तो ऐसी परिस्थिति में घाटा लगेगा और इस घाटे को अन्य आय में से घटा दिया जायगा।

निम्न आयों पर कर नहीं लगता—

(१) पोस्ट आफिस कैश सर्टीफीकेट (Post office cash certificate) की आय पर।

(२) पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक खाता (Post office savings bank deposit)

(३) प्राविडेन्ट फन्ड से खरीदी हुई प्रतिभूतियों पर।

उदाहरण १३—अ को निम्न आय है—८% अधिमान-शेयर (Preference shares) जिनका मूल्य १९२०० रु० है। १०% अधिमान-शेयर कर मुक्त-मूल्य ३१९०० रु०। १०% कर मुक्त ६३८०० रु० के साधारण शेयर (Ordinary shares) पर। ५% कर-मुक्त १५९५० रु० के आस्थगित शेयर (Deferred shares) पर। ४% ४८००० रु० के ब्रोकर-बान्ड (Broker's Bonds) पर। ५½% कर-मुक्त सरकारी बान्ड ५०००० रु० पर। १०% १६०,००० रु० के कर-युक्त सरकारी बान्ड पर स्थायी जमा (Fixed deposit) १५००० रु० पर ५%। चालू खाता (Current account) पर ४०० रु० व्याज।

विवरण		शुष्क आय	सकल आय	कर जो आय मिलने के पहले कट चुका है।
		रु०	रु०	रु०
१. ८% अधिमान शेयर १९२००	रु०	—	१५३६	३८४–०
२. १०% करमुक्त अधिमान शेयर ३१९००	रु०	३१९०	४२५३	१०६३–४
३. १०% „ साधारण „ ६३८००	„	६३८०	८५०७	२१२६–१२
४. ५% „ आस्थगित „ १५९५०	„	७९७	१०६३	२६५–१२
५. ४% करयुक्त ब्रोकर बान्ड ४८०००	„	—	१९२०	४८०–०
६. ५½% करमुक्त सरकारी बान्ड ५००००	„	—	२७५०	छूट

७. १०% करयुक्त ”	१६०००० ”	—	१६०००	४,०००–०
८. ५% स्थायी जमा	१५००० ”	—	७५०	—
६. चालू खाता पर ब्याज		—	४००	—
			३७,१७९	८,३१९–१२

आयकर—

प्रथम	१५००	पर		रु०	×
उसके बाद	२५००	”	दर	६ पा०	१६४–१
”	५०००	”	”	१३/४ आ०	५४६–१४
”	५०००	”	”	३ आ०	६३७–८
”	शेष २२१७६	”	”	४ आ०	५५४४–१२
	३७१७६	आय-कर		=	७१६३– ३

औसत कर दर = $\frac{७१६३–३}{३७१७६}$ = ३७·१४७ पा०

२७५० रु० पर छूट = ५३२ रु०—२ आ०

अधिकर—

प्रथम	२५००० रु०	पर	रु०	×
उसके बाद	१२१७६ ”	” दर २ आ०		२२८३–६

देयकर—

आय-कर	=	रु०	७१६३– ३
अधिकर	=		२२८३– ६
			६४७६–१२

घटाया—

छूट	रु०	५३२–२ आना	
पहले कटा हुआ कर		८३१६–१२	८८५१–१४
		देयकर	६२४–१४

उदाहरण १४—अ की निम्न आय है—

(१) वेतन ६०० रु० मासिक।

(२) मकान भाड़ा ४० रु० ”।

(३) बोनस १००० ”।

(४) अविभाजित हिन्दू परिवार से २००० रु०।

(५) सरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियों से १००० रु० ।

(६) लाभांश ८८०० रु० ।

वह एक प्रामाणित प्राविडेन्ट फन्ड में १५०० रु० देता है और उसका मालिक उसमें ५०० देता है। उसका ब्याज ६०० रु० है। वह बीमा प्रीमियम २६०० रु० देता है।

विवरण	आय	कर जो कट चुका है।
	रु०	रु०
१. वेतन	७२००	२८६-२
२. मकान भाड़ा	४८०	
३. बोनस	१०००	
४. सरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियाँ	१०००	
५. लाभांश	८८००	२,२००-०
६. मालिक का प्राविडेन्ट फन्ड चन्दा	५००	
७. प्राविडेन्ट फन्ड पर ब्याज	६००	
कुल आय	१६८८०	
घटाया उपार्जित आय $\frac{1}{5}$	१७३६	
(७२००+४८०+१०००) करदेय आय	१८१४४	२४८६-२

१८१४४ रु० पर आयकर = रु० २४३४-७

औसत कर-दर = '२५'७६१

छूट—

१ प्राविडेन्ट फन्ड (असली वेतन ७२०० रु० के $\frac{1}{6}$ तक)	रु० १२००
२ प्रीमियम (कुल आय के $\frac{1}{6}$ तक— जिसमें मालिक का चन्दा तथा ब्याज नहीं जोड़ा जायगा १६८८०-५००-६०० का $\frac{1}{6}$)	१८८०
	३०८०
ब्याज ३	६००
कुल छूट	३६८०

छूट पर कर-औसत दर से =५३३ रु० – ५ आ०
कर जो कट चुका है =२४८६ – ३
३०२२ – ८

इसलिये उसे ३०२२ रु० ८ आ० २४३४ रु० ७ आ० =५८८ रु० १ आ० वापस (Refund) मिलेगा।

उदाहरण १५—एक व्यक्ति की निम्न आय है—

१ ५%म्युनिसिपैल्टी ऋण-पत्र (Debentures) २०,००० रु० का।

२ ४½%पोर्ट ट्रस्ट बान्ड (Port Trust Bond) ६०००० रु० का।

३ ३%सरकारी बान्ड जिसे वह लाभ-सहित (Cum-dividend) ६२½ रु० की दर से २०,००० रु० मूल्य का बान्ड १ अगस्त को खरीदा। उस पर १ जून तथा १ दिसम्बर को ब्याज मिलता है।

४ ५%इम्प्रूवमेन्ट ऋण-पत्र (Improvement Trust Debentures) २५००० रु० का। जिसे वह बैंक से ६% पर ऋण लेकर खरीदा था।

५ उसे बैंक को ब्याज वसूलने के लिये २५ रु० कमीशन देना पड़ा।

विवरण		आय	कर जो कट चुका है।
		रु०	रु०
१. ५%म्युनिसिपैल्टी ऋण पत्र २०००० रु० पर		१०००	२५० – ०
२. ४½%पोर्ट ट्रस्ट बान्ड ६०००० रु० पर		२७००	६७५ – ०
३. ३%सरकारी बान्ड २०,००० रु० पर छः महीनों का		३००	७५ – ०
४. ५%इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ऋण पत्र १५००० रु० पर		७५०	१८७ – ८
		४७५०	
घटाया—बैंक कमीशन	रु० २५		
बैंक ब्याज	६००	६२५	
कर-देय आय		३८२५	११८७ – ८

लाभांश Dividend —लाभांश कम्पनियों से मिलता है। कम्पनी इस लाभांश पर आय कर तथा अधिकर Super Tax दोनों काट कर शेष देती है। जो आय कर कम्पनी काट लेती है उसे लाभांश पाने वाला का दिया हुआ कर समझा जाता है और उसको उसकी कुल आय के कुल कर से घटा दिया जाता है जैसा उपर्युक्त उदाहरणों में किया गया है। परन्तु यदि कम्पनी ने अधिकर भी

काट लिया है और लाभांश पाने वाले को भी अधिकर अपनी आय पर देना पड़े तो उसके अधिकर में से कम्पनी का दिया हुआ अधिकर नहीं घटाया जाता और उस व्यक्ति को दोबारा अधिकर देना पड़ता है।

लाभांश कई प्रकार से दिया जा सकता है। जैसे नकद Cash या किसी वस्तु द्वारा (In Kind) परन्तु बोनस शेयर (Bonus Share) को लाभांश नहीं समझा जाता क्योंकि इसके देने से कम्पनी की कोई सम्पत्ति नहीं घटती। इसलिये यदि लाभांश को बोनस शेयर द्वारा दिया जाय तो इस पर कर नहीं लगेगा। यदि ऐसे शेयर को शेयरदार (Shareholder) बेच भी दे तो भी उसको कर नहीं देना पड़ेगा। किन्तु यदि कम्पनी ने किसी दूसरी कम्पनी का ऋण-पत्र (Debenture) या शेयर खरीद कर अपने शेयरदारों को लाभांश दे तो इसे लाभांश समझा जायगा और उस पर कर लगेगा क्योंकि ऐसा करने में कम्पनी की सम्पत्ति कम हो जाती है। लेकिन डिपाजिट सर्टीफिकेट (Deposit Certificates) तथा आस्थगित लाभांश वारन्ट (Deferred Dividend Warrant) के रूप में लाभांश देने पर कर नहीं लगता।

यदि कम्पनी बोनस ऋण पत्र (Bonus Debentures) के रूप में लाभांश दे तो उस पर कर लगता है। यदि कम्पनी के समापन (Liquidation) पर पिछले छः वर्षों के लाभ का कुछ अंश मिले तो उस पर भी कर लगता है। यदि कम्पनी पुराने लाभ के आधार पर अपनी पूँजी घटाती है तो इस लाभ पर भी कर लगेगा।

यदि कम्पनी का लाभ ऐसे कारणों से हुआ है जिन पर कर नहीं लगता जैसे कृषि-आय, तब भी उसके दिये हुये लाभांश पर कर लगेगा। कम्पनी की ऐसी आय जिस पर कर नहीं लगता निम्न हैं—

(१) कृषि आय (Agricultural Income)।

(२) सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूतियों का ब्याज।

(३) कम्पनी की पुरानी हानि।

इन आयों में से मिले लाभांश को सकल नहीं बनाया जाता, बल्कि उसे (जितना मिला हो) अन्य आय में जोड़ दिया जाता है। परन्तु यदि किसी नई औद्योगिक संस्था (जो ३१ मार्च १९४८ के बाद की स्थापित हो) की उपर्युक्त तीनों आयों में से मिले हुये लाभांश पर पाँच वर्षों तक कर नहीं लगेगा।

यदि कम्पनी विदेशी कम्पनी है तो उससे मिले हुये लाभांश को भी सकल (Gross) नहीं बनाया जाता।

कम्पनी से मिला हुआ लाभांश शुष्क ही होता है क्योंकि कम्पनी आय कर काट कर शेष रकम हीं देती है। शुष्क आय को सकल बनाने का नियम पहले बताया जा चुका है। शुष्क रकम में वर्त्तमान कर-दर के अनुसार $\frac{४}{३}$ से गुणा कर देने से सकल आय मालूम होगी। परन्तु यह दर बदलती रहती है। इसलिये निम्न सूत्र (Formula) से भी सकल बनाया जा सकता है—

$$\text{शुष्क आय} \times \frac{१}{१ - \frac{\text{दर}}{१९२}}$$ (दर का अर्थ अधिकतम दर से है)

परन्तु यदि कम्पनी की आय का कुछ अंश ही करदेय है, तो शुष्क लाभांश को सकल बनाने के लिये निम्न सूत्र लागू होगा—

$$\text{शुष्क आय} \times \frac{१}{१ - \left\{ \frac{\text{प}}{१००} \times \frac{\text{दर}}{१९२} \right\}} = \text{सकल आय}$$

इसमें 'प' =कंपनी की आय का वह प्रतिशत जिस पर कर लगता है।

जैसे यदि एक कंपनी के लाभ के ३०%पर कर लग सकता है और शेष ७०%पर कर नहीं लग सकता है, तो १०० रु० लाभांश मिलने का अर्थ यह होगा कि ३० रु० पर ४ आ० की दर से ७ रु० ८ आ० कर देना होगा अर्थात् कंपनी ७ रु० ८ आ० कर काट कर शेष ९२ रु० ८ आ० लाभांश देगी। इस ९२ रु० ८ आ० शुष्क आय का सकल १०० रु० है।

अध्याय ४

सम्पत्ति की आय

(INCOME FROM PROPERTY)

मकान (House Property)—सम्पत्ति की आय से मकान का किराया समझा जाता है। यदि किसी व्यक्ति का अपना मकान हो तो उसके किराया पर कर लगता है। परन्तु यदि यह मकान अपने ऐसे रोजगार (Business), व्यवसाय (Profession) तथा धंधा (Vocation) में प्रयोग किया जाय जिस पर आय-कर लगता है तो उस मकान के किराया पर कर नहीं लगता।

मकान के किराया में से निम्न छूट घटा दी जाती है और शेष पर ही कर लगता है—

(१) मकान मरम्मत के लिये मकान के किराया का $^1/_6$ घटाया जाता है। यदि मकान मरम्मत में सचमुच $^1/_6$ से कम या अधिक खर्च हुआ हो या कुछ भी खर्च नहीं हुआ हो तो भी $^1/_6$ ही घटाया जाता है। यदि मकान कुछ दिनों के लिए खाली भी रहा हो तो भी मकान के कुल किराया का $^1/_6$ ही मरम्मत के व्यय के लिये घटाया जाता है।

(२) यदि मकान बनाने के लिये, अथवा उसकी मरम्मत के लिए, अथवा उस मकान के ऊपर (जर पेशगी या रेहन रखकर) ऋण लिया जाय (ऋण किसी भी कार्य के लिये मकान के रेहन पर लिया जा सकता है) तो उस ऋण पर दिये गए ब्याज को घटा दिया जाता है।

(३) यदि उस मकान पर कोई वार्षिक प्रभार (Annual Charge) हो जो पूँजी की प्रकृति (Capital Nature) का न हो। जैसे यदि किसी अविभाजित हिन्दू परिवार को उस परिवार की किसी विधवा को २०० रु० वार्षिक देने का उत्तरदायित्व हो और यदि यह कचहरी से फैसला हो गया हो कि यह वार्षिक प्रभार मकान के किराया से दिया जायगा तो उस मकान के किराया में से यह प्रभार घटा दिया जायगा।

नोट—परन्तु उपर्युक्त दोनों छूट विदेशी को नहीं दी जाती जब तक कि उस आय पर अधिकतम कर दर के अनुसार कर न काट लिया गया हो।

(४) उस मकान पर दिये हुए जमीन का भाड़ा, जमीन का किराया या अग्नि बीमा, भू-कम्प बीमा, विद्युत पात (Lightning) या बलवा-बीमा (Civil Commotion) इत्यादि के लिये दिये हुए प्रीमियम को भी घटा दिया जाता।

(५) उस मकान का किराया वसूल करने के व्यय को भी घटा दिया जाता है। किन्तु यह व्यय उस किराये के ६% से अधिक नहीं होना चाहिए।

वैधिक व्यय (Legal Expenses) को भी किराया वसूली व्यय समझा जाता है। किन्तु यदि किरायेदार से वैधिक व्यय का कुछ अंश भी वसूल हो जाय तो उस अंश को वैधिक व्यय में से घटा कर शेष व्यय को ही किराये में से घटाया जाता है।

(६) यदि मकान कुछ दिनों तक खाली रहा हो तो उतने दिनों के किराया की भी छूट मिलती है। इसे मकान खाली छूट (Vacancy Allowance) कहते हैं।

मकान का किराया म्युनिसिपैल्टी (Municipality) भी नियुक्त करती है जिसे म्युनिसिपैल्टी मूल्य कहते हैं। मकान का जो किराया सचमुच मिला हो अथवा म्युनिसिपैल्टी मूल्य दोनों में जो अधिक हो उसी पर कर लगता है।

यदि मकान का कुछ किराया न मिला हो (अर्थात् बाकी हो) तो उस बाकी किराया को किराया में से घटा दिया जाता है।

यदि मकान का किराया ऐसे व्यक्ति को मिलता है जो उस मकान का मालिक नहीं है तो उसको उस किराया पर कर नहीं देना पड़ता जैसे पट्टा। (Lease) का घर।

यदि उपर्युक्त छूटों का योग (Total) मकान के किराया से अधिक हो तो उसकी हानि को अन्य आय में से घटा दिया जाता है।

यदि मकान कई टुकड़ों में बँटा हो, अर्थात् कई स्थानों में हो तो प्रत्येक मकान के किराया पर अलग अलग छूट नहीं दी जाती बल्कि सब मकानों की आय पर एक साथ पर ही कर लगाया जाता है।

यदि किसी मकान के कई हिस्सेदार हों और उनके हिस्से का आगणन अलग अलग किया जा सकता है तो उनका हिस्सा उनकी अन्य आय में जोड़ कर अलग-अलग कर लगाया जाता है।

जो मकान १ अप्रैल १९४६ तथा ३१ मार्च १९५२ के बीच में बना हो उस पर दो वर्षों तक बिल्कुल कर नहीं लगता।

निवास गृह (Residential House)—यदि किसी अपने मकान में मालिक स्वयं रहता है तो उसका म्युनिसिपैल्टी मूल्य अथवा उसकी कुल आय

का अन्य आय में निवासगृह की आय भी जोड़ने से कुल आय मालूम होती है। $^1/_{10}$ दोनों में जो कम हो उस पर ही कर लगता है। इस $^1/_{10}$ में से मरम्मत के लए $^1/_6$ घटाया जाता है। अन्य छूट जो मकान के किराया पर दी जाती है। निवास गृह की आय में भी दी जाती है।

परन्तु कुल आय का जानना बहुत कठिन है। जब तक निवासगृह की आय न मालूम हो कुल आय नहीं मालूम होगी और जब तक कुल आय न मालूम हो तब तक निवास गृह की आय नहीं मालूम होगी।

जैसे यदि अन्य सभी आय ११००० रु० हो और निवासगृह की आय 'क' हो तो कुल आय = ११०००+क। अब

$$क = \left\{ \frac{1}{10} \times (11000 + क) \right\} - {}^1/_6 \times \left\{ \frac{1}{10} (11000 + क) \right\}$$

(मरम्मत व्यय घटा कर)।

इसकी गणना करना कठिन है। इसलिए अन्य आय का $^1/_{11}$ कर देने से 'क' की गणना आसानी से हो जाती है। इसमें से मरम्मत के लिये $^1/_6$ नही घटाया जाता है।

जैसे अन्य आय ११००० रु० का $^1/_{11}$ = १००० = निवासगृह की आय। कुल आय = १२००० रु०।

अब उपर्युक्त सूत्र के अनुसार—

१२००० रु० का $^1/_{10}$ = १२०० रु०

मरम्मत के लिए $^1/_6$ = २००

निवासगृह की आय १०००

यदि म्युनिसिपैल्टी मूल्य १२०० रु० से अधिक होगा तो १२०० रु० ही लिखा जायगा।

यदि निवासगृह पर कुछ छूट देने योग्य व्यय हैं तो अन्य आय में से पहले उन व्ययों को घटा लिया जायगा तब उसका $^1/_{11}$ निकाला जायगा। इससे निवासगृह की आय मालूम हो जायगी। अब इस निवासगृह की आय में से उन व्ययों को घटा दिया जायगा।

जैसे यदि निवासगृह पर अग्नि बीमा के लिये ११० रु० दिया गया हो तो—

अन्य आय ११००० रु०

निवासगृह की आय

$$\left\{(११०००-११०)\left(\times\frac{१}{१२}\right)\right\} = ९९०$$

घटाया अग्नि बीमा प्रीमियम	११०	८८०
कुल आय		११८८०

अब उसी सूत्र के अनुसार—

११८८० का $^{१}/_{१०}$	=	११८८
घटाया $^{१}/_{६}$ मरम्मत का	=	१९८
निवासगृह आय	=	९९०

उदाहरण १६—अ को निम्न आय है—

(१) वेतन रु० ६०००

(२) प्रितभूतियों की आय रु० १६००

(३) मकान का किराया रु० ६६००

वह मकान पर रेहन का ब्याज ५०० रु०, जमीन का किराया २०० रु०, किराया व वसूली व्यय ५०० रु० देता है। उसका निवासगृह भी है जिसके किराया का मूल्य २००० रु० है और जिस पर वह जमीन का किराया २०० रु०, अग्नि प्रीमियम १०० रु० है।

	विवरण		रु०	आय रु०
१	वेतन		६०००	
	घटाया $\frac{१}{५}$ उपार्जित आय		१२००	४८००
२	प्रतिभूतियों की आय			१६००
३	मकान का किराया		६६००	
	घटाया $\frac{१}{६}$ मरम्मत	११००		
	रेहन ब्याज	५००		
	जमीन किराया	२००		
	वसूली व्यय% तक	३९६	२१९६	४४०४
				१०८०४

४ निवासगृह की आय २०००
घटाया ⅙ मरम्मत ३३३
१६६७

परन्तु अधिकतम सीमा
कुल आय का $\frac{1}{10}$
{ (१०८०४ – ३००) × $\frac{1}{10}$ } ६५५
घटाया जमीन का किराया २००
„ अग्नि बीमा १०० ३०० ६५५
(10804)
कुल आय ११४५६

उदाहरण १७–अ को निम्न आय है—वेतन ६००० रु० । प्रतिभूतियों की आय (शुष्क) ६००० रु० । मकान किराया ७००० रु० । वह मरम्मत के लिये ७०० रु०, जमीन किराया ५०० रु०, वसूली व्यय ३०० रु०, फुलवारी का व्यय १०० रु० देता है । उसके पास निवासगृह है जिसका मूल्य १००० रु० है जिस पर वह ऋण का व्याज १०० रु०, बिजली का व्यय ५० रु०, म्युनिसीपैल्टी का कर १०० रु० देता है ।

	विवरण		रु०	आय
१	वेतन		६०००	रु०
	घटाया ⅕ उपार्जित आय		१२००	४८००
२	प्रतिभूतियों की आय		शुष्क ६०००	८०००
३	मकान का किराया		७०००	
	घटाया ⅙ मरम्मत	११६७		
	„ जमीन का किराया	५००		
	„ वसूली व्यय	३००	१९६७	५०३३
				१७८३३
४	निवासगृह—			
	कुल आय का $\frac{1}{10}$			
	($\frac{1}{10}$ × १७७३३)	१६१२		
	परन्तु उसका मूल्य है		१०००	
	घटाया ⅙ मरम्मत	१६७		
	„ व्याज	१००	२६७	७३३
		कुल आय		१८५६६

नोट—फुलवारी व्यय, म्युनिसिपैल्टी कर, तथा बिजली व्यय पर छूट नहीं मिलती।

उदाहरण १८—एक व्यक्ति को मकान से ३०५०० रु० की आय है जिसका युनिसिपैल्टी मूल्य २६१०० रु० है। उस पर वह ५५०० रु० मरम्मत व्यय, २५० रु० अग्नि बीमा प्रीमियम, २१० रु० जमीन किराया, १८५० रु० वसूली व्यय, १२०० रु० म्युनिसिपैल्टी का कर, १५०० रु० ऋण पर व्याज देता है तथा मकान के खाली रहने की हानि ४५० रु० की है। उसकी अन्य आय ५३६०० की है।

	रु०	रु०
मकान का किराया		३०५००
घटाया $\frac{1}{6}$ मरम्मत	५०८३	
,, अग्नि बीमा	२५०	
,, जमीन किराया	२१०	
,, वसूली व्यय	१८३०	
,, ऋण का व्याज	१५००	
,, खाली रहने की हानि	४५०	६३२३
		२११७७
अन्य आय		५३६००
कुल आय		७४७७७

उदाहरण १९—एक व्यक्ति के चार मकान हैं जिनका म्युनिसिपैल्टी मूल्य ७०० रु०, ८०० रु०, ५०० रु० तथा १६०० रु० क्रमशः है। वह पहले मकान में अपना व्यापार करता है जिसके लाभ पर कर देना पड़ता है। दूसरे मकान में वह स्वयं रहता है और तीसरे मकान के $\frac{1}{3}$ हिस्से में भी स्वयं रहता है। तीसरे मकान का शेष $\frac{2}{3}$ हिस्सा ७५ रु० मासिक पर किराया दिया है और चौथे मकान से १०० रु० मासिक किराया पाता है। उसके व्यापार का लाभ २४००० रु० है।

पहले मकान की आय पर कर नहीं लगेगा।

तीसरे मकान का किराया	रु० ६००
चौथे " "	१६०० (क्योंकि उसका म्युनिसिपैल्टी मूल्य अधिक है)
निवास गृह की आय	
(तीसरे का $\frac{३}{४}$=४५० रु०, दूसरे का ८०० रु०)	१२५०
	३७५०
घटाया $\frac{१}{६}$ मरम्मत	६२५
व्यापार का लाभ	३१२५
($\frac{१}{६}$ उपार्जित आय घटा कर) ४००० रु० तक	२००००
कुल आय	२३१२५

उदाहरण २०—एक व्यक्ति के पास एक मकान है जिसका किराया १०० रु० मासिक मिलता है। यह मकान ३ महीनों तक खाली रहा। उसका व्यय इस प्रकार था—मरम्मत १०० रु०, जमीन किराया ५० रु०, अग्निबीमा ३० रु०, वसूली खर्च ७० रु०, उस मकान पर ऋण का व्याज ६०० रु०, उस मकान को मरम्मत कराने के लिए हुए ऋण पर व्याज १०० रु०। अन्य आय ३०० रु०।

अन्य आय			रु० ३००
मकान का किराया		रु० १२००	
घटाया मरम्मत $\frac{१}{६}$	२००		
" खाली रहने का	३००		
" जमीन का किराया	५०		
" अग्निबीमा	३०		
" वसूली व्यय	७०		
" ऋण का व्याज	६००		
" " " "	१००	१३५०	—१५०
कुल आय			१५०

उदाहरण २१—अ के पास निम्न घर हैं—

मकान नं० १—जिसका म्युनिसिपैल्टी मूल्य २००० रु० है। उसके आधे में वह स्वयं रहता है और आधे में उसका व्यापार है जिसकी आय १६००० रु० है।

" नं० २—जिसका म्युनिसिपैल्टी मूल्य ६०० रु० है। उसका किराया ७० रु० मासिक है।

मकान नं० ३—	"	"	"	२५००	"	"	"	२००	" ।
" नं० ४—	"	"	"	४००	"	"	"	४०	" ।
" नं० ५—	"	"	"	१५००	"	"	"	१५०	" ।

उसके पास एक खाली जमीन का टुकड़ा है जिसको उसने २० रु० मासिक किराये पर दिया है।

उसके व्यय इस प्रकार हैं—नं० ३ मकान के रहने का व्याज ४०० रु० है जिसको उसने अपनी लड़की की शादी में रेहन रखा था। नं० ४ मकान की मरम्मत के लिए ऋण पर व्याज ३०० रु० है। सभी मकानों के अग्नि-बीमा के लिए ५०० रु० प्रीमियम देता है। वसूली व्यय ६०० रु० है। नं० ३ मकान ३ महीनों तक खाली रहा और नं० ४ मकान २ महीनों तक खाली था। वर्ष के बीच में उसने नं० २ मकान को १००० रु० के लाभ पर बेच दिया।

मकान की आय

मकान नं० १		१००० रु०
" नं० २	(छः महीनों का)	४५०
" नं० ३		२५००
" नं० ४		४८०
" नं० ५		१८००
		६२३०

कुल मकान की आय		६२३० रु०
घटाया $\frac{1}{6}$ मरम्मत	रु० १०३८	
" रेहन का व्याज (नं० ३)	४००	
" ऋण " " (नं० ४)	३००	
" अग्निबीमा (व्यापार वाले हिस्से का अनुपात ६९ रु० हुआ)	४३१ *	
" वसूली व्यय (५२३० पर ६%तक) क्योंकि नं० १ में वह स्वयं रहता है)	३१४	
" खाली रहने का नं० ३	६२५	
" " " नं० ४	८०	३१८८
मकान की आय		३०४२

कुल आय—		
(१) मकान की आय		रु० ३०४२
(२) जमीन का किराया		२४०
(३) व्यापार का लाभ	१६०००	
घटाया $\frac{1}{5}$	३२००	१२८००
कुल आय		१६०८२

* नोट—चूँकि कुल मकान की आय ६२३०+१००० (व्यापार का)= ७२३० रु० पर ५०० रु० बीमा के लिए दिया जाता है। इसलिए १००० रु० (व्यापार का हिस्सा) पर ६९ रु० हुआ।

उदाहरण २२—एक कॉलेज का प्रोफेसर जिसका वेतन ६०० रु० मासिक है रुपये में एक आना वह स्वयं और एक आना वह कॉलेज प्रामाणित प्रॉविडेन्ट फन्ड में चन्दा देता है। प्रॉविडेन्ट फन्ड का व्याज (४$\frac{1}{2}$%की दर से) ६०० रु० है। उसके पास दो मकान है। एक, जिसका म्युनिसिपैल्टी मूल्य ७५० रु० है, उसका निवास-गृह है और दूसरा, जिसका म्युनिसिपैल्टी मूल्य ९७५ रु० है १०० मासिक किराये में है। मकानों पर उसका निम्न व्यय हैं—

(१) दोनों मकानों के रेहन पर व्याज	८५० रु०।
(२) " " की जमीन का लगान	५० "।
(३) " " की बीमा का प्रीमियम	१०० "।
(४) निवासगृह की मरम्मत के लिए ऋण पर व्याज	१५० "।
(५) निवासगृह में बिजली लगाने का व्यय	३०० "।

उसका दूसरा मकान १ महीने तक खाली रहा । वह ८०० रु० जीवन बीमा प्रीमियम देता है।

नोट—उसकी कुल आय इतनी अधिक है कि उसके निवासगृह का म्युनिसिपैल्टी मूल्य ही कम होगा।

१. वेतन		७२०० रु०		रु०
घटाया $\frac{1}{5}$ उपार्जित आय का		१४४०		
		५७६०		
कालेज का प्रॉविडेन्ट फन्ड का चन्दा		४५०		
ब्याज		६००		६८१०
संपत्ति—				
निवासगृह	७५०			
किराये का मकान	१२००		१९५०	
घटाया—रेहन का ब्याज	८५०			
जमीन का लगान	५०			
बीमा प्रीमियम	१००			
ऋण पर ब्याज	१५०			
मरम्मत का $\frac{1}{6}$	३२५			
खाली रहने का	१००		१५७५	३७५
कुल आय—				७१८५

नोट—इस प्रश्न को निवासगृह तथा किराया के मकान के अनुसार अलग-अलग निकाला जा सकता है। जो व्यय दोनों मकानों पर हुए हैं उन्हें उनके मूल्य (७५०: १२००) के अनुपात में बाँटा जायगा।

अध्याय ५

व्यापार का लाभ

(BUSINESS PROFITS)

व्यापार के लाभ से तीन प्रकार के लाभ का बोध होता है—

(१) रोजगार (Business) जिसमें व्यापार (Trade), वाणिज्य (Commerce), निर्माण (Manufacture) अथवा उपक्रम (Adventure) के लाभ सम्मिलित हैं ।

(२) व्यवसाय (Profession) जिसमें केवल कौशल (Skill), या हस्तकला (Manual Skill), अथवा बुद्धि की आवश्यकता पड़ती हो जैसे डाक्टर, वकील इंजीनियर, सर्जन या आडिटर का व्यवसाय ।

(३) धंधा (Vocation)—कोई अन्य धंधा जिससे जीविका (Livelihood) का उपार्जन होता है जैसे दलाल, नृतक, गवैया, बीमा का एजेन्ट ।

इन तीनों प्रकार की आय के लिए 'व्यापार' (Business) शब्द का प्रयोग किया जायगा ।

साझा (Firm) आय-कर की दृष्टि में साझा दो प्रकार का होता है—

(१) अधिकृत साझा (Registered Firm)—जिस साझे या फर्म की इनकम टैक्स आफिस से रजिस्ट्री करा ली जाती है उसे अधिकृत साझा कहा जाता है ।

अधिकृत साझे के लाभ को उसके साझेदारों में बाँट दिया जाता है और उन साझेदारों की अन्य आय में उस लाभ को जोड़ कर उस पर कर लगाया जाता है ।

(२) अनधिकृत साझा (Unregistered Firm)—जिस साझे या फर्म की इनकमटैक्स आफिस में रजिस्ट्री नहीं कराई जाती है उसे अनधिकृत साझा कहा जाता है ।

अनधिकृत साझा के लाभ पर उसी प्रकार कर लगाया जाता है जैसे किसी व्यक्ति (Individual) पर । ऐसे साझे के लाभ को साझेदारो की अन्य आय में जोड़ा तो जाता है परन्तु उस लाभ की रकम पर औसत कर-दर से छूट दी जाती है ।

व्यापार के निम्न व्ययों को आय में से घटा कर लाभ निकाला जाता है—

(१) मकान-भाड़ा ।

(२) मकान की मरम्मत ।

(३) उधार ली हुई पूँजी पर ब्याज ।

(४) मशीन, फर्नीचर तथा स्टॉक पर बीमा प्रीमियम ।

(५) मशीन की मरम्मत ।

(६) ह्रास (Depreciation) ।

(७) अप्रचलन छूट (Obsolescence allowance) ।

(८) जमीन का लगान, म्युनिसिपल कर तथा स्थानीय कर (Local Tax)

(९) कर्मचारियों को दिया हुआ कमीशन तथा बोनस ।

(१०) अप्राप्य ऋण (Bad debts)

(११) व्यापार के अन्य साधारण व्यय ।

(१२) ऋण-पत्र (Debenture) पर ब्याज ।

(१३) प्राविडेन्ट फन्ड का चन्दा ।

(१४) पहले की हानि ।

उपर्युक्त सभी व्यय स्वयं स्पष्ट हैं । लेकिन उनमें से कुछ का विशेष उल्लेख करना आवश्यक है—

ह्रास (Depreciation) ह्रास लिखने की विधि ह्रासित-मूल्य विधि (Written down Method या Diminishing Balance Method) है । किसी अन्य ढङ्ग से ह्रास नहीं काटा जा सकता । सभी स्थायी सम्पत्तियों पर ह्रास काटा जाता है । परन्तु यदि कोई सम्पत्ति प्रयोग में नहीं लाई गई है तो उस पर ह्रास नहीं मिलता । यदि कोई सम्पत्ति वर्ष के बीच में खरीदी गई हो तो उस पर उतने ही समय के लिए ह्रास दिया जायगा जितने समय वह व्यापार में थी और प्रयोग की गई । यदि कोई व्यापार सामयिक (Seasonal) हो जैसे चीनी फैक्टरी तो ऐसे व्यापार की कुल सम्पत्ति पर पूरे वर्ष का ह्रास मिलता है । फर्नीचर तथा पुस्तकों पर ह्रास का एक अन्य ढङ्ग भी हो सकता है । यदि व्यापारी चाहे तो वह उनके नवकरण (Replacement) करने के व्यय को ह्रास समझ सकता है । ह्रास मकान; मशीन, प्लान्ट, तथा फर्नीचर पर दिया जाता है ।

यदि कोई नया मकान, नई मशीन या प्लान्ट १ अप्रैल १९४८ के बाद खरीदी गई है तो उस पर पाँच वर्षों तक (१ अप्रैल १९४९ से ३१ मार्च १९५४ तक) अधिक ह्रास दिया जाता है । यह अधिक ह्रास साधारण ह्रास के बराबर होता है ।

यदि कोई मशीन दो या तीन शिफ्ट (Shift) में काम करती है तो दो शिफ्ट में काम करने वाली मशीन पर ह्रास की निश्चित दर का ५०% अधिक ह्रास मिलता है और जो मशीन तीन शिफ्ट में काम करती है उस पर दुगना तक ह्रास मिल सकता है। मशीन के काम करने का वर्ष ३०० दिनों का ही समझा जाता है। जो मशीन ३०० दिनों तक काम कर लेती है उस पर पूरे वर्ष का ह्रास मिलता है। जो मशीन १०० दिनों तक दो शिफ्ट में काम करती है उस पर ⅓ साल का अधिक ह्रास मिलेगा।

ह्रास की दर इनकम टैक्स के लिए निश्चित रहती है जो निम्न है—

(१) मकान (Building)—

(अ) प्रथम श्रेणी की वस्तुओं से बने हुए मकान पर	२.५%
(आ) द्वितीय " " " "	५%
(इ) तृतीय " " " "	७.५%

(ई) अस्थायी (Temporary) मकान जैसे लकड़ी का मकान—

इस पर ह्रास की दर निश्चित नहीं है बल्कि जब इसका नवकरण किया जायगा तो इसको व्यय समझा जायगा।

(उ) यदि मकान में फैक्टरी हो तो इन दरों का दुगना ह्रास की दर होगी।

(२) फर्नीचर तथा फिटिंग (Furniture and Fittings)—

(अ) साधारण	६%
(आ) होटल तथा बोर्डिंग हाउस के लिए	९%

(३) मशीन तथा प्लान्ट (Machinery and Plant)—

(अ) साधारण दर	७%
(आ) आटा मिल, चांवल मिल, चीनी मिल, बर्फ मिल, तथा दियासलाई फैक्टरियों के लिए	९%
(इ) कागज फैक्टरी, दफ्ती फैक्टरी, जहाज फैक्टरी, इञ्जीनियरिंग फैक्टरी, रसायन फैक्टरी, सिमेन्ट फैक्टरी इत्यादि पर	१०%
(ई) सिल्क मिल की बुनने वाली मशीन पर	१२%
(उ) बिजली वाली मशीनों (Electrical Machinery) पर	१०%
परन्तु बैट्रीज (Batteries) पर	२०%
(ऊ) हवाई जहाज (Aircraft) पर	२०%
हवाई जहाज के इञ्जन (Aero-engine) पर	४०%
फोटो के कैमरा इत्यादि पर	२५%

(ए) सूती कपड़े की मशीन पर — १०%
जूट की मशीन पर — ६%
ऊनी कपड़े की मशीन पर — १०%
(ऐ) गणना करने, हिसाब लगाने की मशीन तथा टाइप राइटर तथा आफिस की अन्य मशीनों पर — १५%
(क) चीर-फाड़ (Surgical) आलों पर — १५%
(ख) मोटरकार, तथा साइकिल पर — २०%
(ग) रेलवे लाइन (Sidings) पर — ७%

(४) नये मकान तथा नई मशीन तथा प्लान्ट पर उस वर्ष के लिए जब वे बनाये गये या कार्य में लगाये गये एक प्रारम्भिक ह्रास (Initial Depreciation) निम्नदर के अनुसार दिया जाता है—

(क) ऐसा मकान जो १ अप्रैल १९४६ के बाद और ३१ मार्च १९५२ के पहले बने उन पर—१५%

(ख) ऐसा मकान जो ३१ मार्च १९४५ के बाद बनना आरम्भ हुआ और १ अप्रैल १९४६ के पहले बन कर तैयार हो गया उस पर—१०%

(घ) ऐसा मकान जो ३१ मार्च १९५२ के बाद बनना शुरू होगा उस पर—१०%

(घ) ऐसी मशीन या प्लान्ट जो ३१ मार्च १९४५ के बाद स्थापित की गई—२०%

नोट—यह नई दर उपर्युक्त नं० १, तथा ३ की दरों के अतिरिक्त दी जाती है।

अविलयित ह्रास (Unabsorbed Depreciation) यदि किसी वर्ष में लाभ इतना कम हुआ कि सम्पत्तियों के ह्रास की पूर्ति नहीं हो सकती तो उस ह्रास को अविलयित ह्रास कहते हैं। ऐसे ह्रास को अगले वर्षों के लाभ से लिया जाता है जब तक कि कुल ह्रास की रकम खत्म न हो जाय। यदि कोई अन्य आय हो तो उस आय में से भी अविलयित ह्रास को काटा जा सकता है।

यदि व्यापार को पिछले वर्ष हानि हुई हो तो इस वर्ष के लाभ में पहले हानि का प्रतिसाद (Set off) किया जायगा और जो लाभ शेष बचेगा उसमें ह्रास को काटा जायगा। अब यदि लाभ ह्रास की पूर्ति करने के योग्य नहीं होगा तो यह ह्रास अविलयित ह्रास होगा।

उदाहरण २३—एक व्यापार ने २० जून १९४९ में ३०,००० रु० की नई

मशीन खरीदा जिसे १६४६ में १०० दिनों तक दो शिफ्ट और १६५० में २०० दिनों तक तीन शिफ्ट काम करना पड़ा। ह्रास की दर १०% है।

१६४६–५० के लिए ह्रास—

मशीन का मूल्य		३०,००० रु०
ह्रास घटाया—		
प्रारम्भिक ह्रास (२०%)	६०००	
ह्रास ६ महीनों का १०%	१५००	
अधिक ह्रास (साधारण ह्रास से बराबर)	१५००	
दो शिफ्ट का ह्रास (१०० दिनों का ५०%)	५००	३५००
	६५००	२६५००

नोट १—अधिक ह्रास इसलिए दिया गया है कि यह मशीन १ अप्रैल १६४८ के बाद खरीदी गई है।

२—२० जून को खरीदी गई मशीन पर भी दिनों का ध्यान नहीं दिया गया है क्योंकि पूरे महीनों का ह्रास निकाला जाता है। १६४८ के पहले पूरे वर्ष पर ह्रास दिया जाता था।

३—दो शिफ्ट का ह्रास इस प्रकार निकाला गया है।

छः महीना = १५० दिन (वर्ष ३०० दिन का ही माना जाता है)

∴ १०० दिन = $\frac{२}{३}$

∴ ह्रास = $\frac{२}{३}$ × १५०० × $\frac{१}{२}$ (५०% = ५०० रु०)

१६५०–५१ के लिए ह्रास—

मशीन का मूल्य		रु० २६,५००
घटाया ह्रास—		
साधारण ह्रास १०%	२६५० रु०	
अधिक ह्रास साधारण ह्रास के बराबर	२६५० ,,	
तीन शिपट ह्रास (२०० दिनों का १००%)	१७६७ ,,	७,०६७
	७०६७	१६,४३३

नोट—प्रारंभिक ह्रास को मशीन के मूल्य में से नहीं घटाया जाता।

उदाहरण २४—एक फैक्टरी ने १ अप्रैल १६४६ में २००,००० रु० की नई मशीन खरीदी। मशीन का मूल्य ३१ मार्च १६५३ में १६०००० रु० है। इस व्यापार का वर्ष ३१ मार्च को प्रतिवर्ष अन्त होता है। ह्रास की दर १०% है। चार वर्षों का ह्रास निकालो।

१९४९-५० मशीन का मूल्य		२००,००० रु०
घटाया ह्रास—		
प्रारम्भिक (२०%)	४०,००० रु०	
साधारण ह्रास १०%	२०,००० ,,	
अधिक ह्रास (साधारण ह्रास के बराबर)	२०,००० ,,	४०,००० रु०
	८०,००० ,,	१६०,००० ,,
१९५०-५१ मशीन का मूल्य		१६०,००० रु०
घटाया ह्रास—		
साधारण ह्रास (१०%)	१६,००० रु०	
अधिक ह्रास	१६,००० ,,	३२,००० रु०
		१२८,००० ,,
१९५१-५२ मशीन का मूल्य		१२८,००० रु०
घटाया ह्रास		
साधारण ह्रास (१०%)	१२८००	
अधिक ह्रास	१२८००	२५,६०० रु०
		१०२,४०० ,,
१९५२-५३ मशीन का मूल्य		१०२,४०० रु०
घटाया ह्रास—		
विशेष ह्रास (यदि मशीन १६०,००० रु० में शुरू में, खरीदी गई होती तो आज उसका मूल्य ८१६२० रु० होता। इसलिए १०२४०० और ८१६२० का अन्तर विशेष ह्रास हुआ)	२०४८० रु०	
साधारण ह्रास १०% (८१६२० रु० पर)	८१६२ ,,	२८,६७२ रु०
		७३,७२८ ,,

नोट—यदि किसी मशीन का बाजार मूल्य ३१ मार्च १९५२ को उस मशीन के खरीद-मूल्य से कम हो तो उसे उपर्युक्त ढंग से ह्रास मिलता है।

उदाहरण २५—यदि एक मशीन ५०,००० रु० की मार्च १९४८ में खरीदी गई जिस पर १०% ह्रास दर है तो उसका ह्रास दो वर्षों का क्या होगा।

१९४९–५० मशीन का मूल्य		५०,००० रु०
घटाया ह्रास—		
प्रारम्भिक ह्रास (२०%)	१०,००० रु०	
साधारण ह्रास १०%	५,००० ,,	५,००० ,,
	१५,००० ,,	४५,००० ,,
१९५०–५१ मशीन का मूल्य		४५,००० ,,
साधारण ह्रास घटाया १०%		४,५०० ,,
		४०,५०० ,,

नोट—चूँकि मशीन १ अप्रैल १९४८ के पहले खरीदी गई है उस पर अधिक ह्रास नहीं मिलेगा।

उदाहरण २६—एक व्यापार ने, जिसका अन्तिम खाता प्रत्येक वर्ष ३१ मार्च को बनता है, १९४३ ई० के जुलाई में एक मशीन ३०,००० रु० में खरीदा। ह्रास की दर १०% है। १९५०–५१ तक उस मशीन पर ९००० रु० ह्रास दिया जा चुका है परन्तु १९५०–५१ का १५०० रु० ह्रास अविलयित (Unabsorbed) है। १९५१–५२ में कितना ह्रास होगा।

१९५१–५२ मशीन का मूल्य		३०,००० रु०
१९५०–५१ तक का ह्रास		९,००० ,,
ह्रासित मूल्य		२१,००० ,,
साधारण ह्रास १०%	२१००	
अविलयित ह्रास	१५००	३,६०० ,,
		१७,४०० ,,

उदाहरण २७—एक व्यापार के मकान तथा मशीन पर १९५०–५१ का ह्रास निकालो जिसका अन्तिम खाता ३१ दिसम्बर को बन्द होता है—

(१) मकान—३१ दिसम्बर १९४९ तक मकान का मूल्य २००,००० रु० है जिसमें १ जनवरी १९४८ का बना नया मकान ७५,००० रु० का तथा १ जुलाई

१९४९ का बना नया मकान २५००० रु० का है। मकान पर १९४९–५० तक कुल ४८२५० रु० ह्रास हो चुका है। ह्रास की दर ५% है।

(२) मशीन—३१ दिसम्बर १९४९ तक मशीन का मूल्य ४५०००० रु० है जिसमें १ जनवरी १९४८ की नई मशीन ५०००० रु० की तथा १ जनवरी १९४९ की नई मशीन १००,००० रु० की सम्मिलित है। १९४९–५० तक कुल ह्रास ७५००० रु० का हो चुका है। ह्रास की दर १०% है। १९४९ में १०० दिनों तक मशीन को दो शिफ्ट और १०० दिनों तक तीन शिफ्ट काम में लाया गया।

१९५०—५१ (१) मकान पर ह्रास—

मकान का मूल्य (३१-१२-१९४९ तक)	३००,००० रु०
घटाया अभी तक का ह्रास (४८२५० रु० में से १ जनवरी १९४८ के नये मकान ७५,००० रु० पर १५% प्रारंभिक ह्रास बिना घटाये=४८२५०–११२५०)	३७,००० रु०
मकान का ह्रासित मूल्य १९५०-५१ का	२६३,००० ,,

१९५०-५१ का ह्रास—

प्रारंभिक ह्रास २५००० रु० पर १५%	३,७५० रु०
साधारण ह्रास ५% २३८००० रु० पर (३००,०००–२५०००—३७०००=२३८०००) पूरे वर्ष का ह्रास	११,९०० ,,
साधारण ह्रास ५% २५००० रु० पर छः महीनों का	६२५ ,,
अधिक ह्रास २५००० रु० पर	६२५ ,,
कुल ह्रास	१६,९०० ,,

(२) मशीन पर ह्रास—

मशीन का मूल्य (३१–१२–४९ तक)	४५०,००० रु०
घटाया अभी तक का ह्रास (७५००० रु० में से ५०००० रु० १ जनवरी १९४८ की मशीन पर २०% प्रारंभिक ह्रास घटा कर (७५०००–१०,०००=६५००० रु०)	६५,००० रु०
१९५०–५१ का ह्रासित मूल्य	३८५,००० ,,

१६५०-५१ का ह्रास—

प्रारंभिक ह्रास १००,००० रु० पर २०%	२०,००० रु०
साधारण ह्रास ३८५००० रु० पर १०%	३८,५०० ,,
अधिक ह्रास १००००० रु० पर १०%	१०,००० ,,
दो शिफ्ट का ह्रास १०० दिनों का	
(३८५०० × $\frac{1}{3}$ × ५०%	६,४१७ ,,
तीन शिफ्ट का ह्रास १०० दिनों का	
(३८५०० × $\frac{1}{3}$ × १००%)	१२,८३३ ,,
कुल ह्रास	८७,७५० ,,

अप्रचलन छूट अथवा संतुलनात्मक ह्रास (Obsolescence Allowance or Balancing Depreciation)—यदि कोई मकान, मशीन या प्लान्ट जिसे व्यापार में प्रयोग किया जाता था, गिरा दिया जाय, या नष्ट हो जाय अथवा पुराना होने से बेकार हो जाय या वह अप्रचलित हो जाय तो उसके वर्त्तमान ह्रासित मूल्य (Written down value) तथा उसका विक्री-मूल्य (Sale price) या क्षेप्य-मूल्य (Scrap value) के अन्तर को अप्रचलन छूट या संतुलनात्मक ह्रास कहते हैं और इस पर छूट मिलता है। किन्तु इस हानि को सचमुच अपनी बहियों में लिखना आवश्यक है। यदि उस सम्पत्ति को बेचने में उसके ह्रासित मूल्य से अधिक मिले तो उसे लाभ समझा जाता है और उस पर कर लगता है। यदि उस सम्पत्ति को बेचने से उसके खरीद के दाम से भी अधिक मिले तो बिक्रय मूल्य तथा उसके क्रय-मूल्य के अन्तर पर कर नहीं लगता।

इसी प्रकार यदि उस सम्पत्ति का बीमा हुआ हो और उसका रुपया मिले और यदि यह रुपया उसके ह्रासित मूल्य से अधिक हो तो उसे भी लाभ समझा जायगा।

यदि कोई मकान पहले निवासगृह की तरह प्रयोग में आता हो और कुछ दिनों से उसमें व्यापार होता हो तो उसका वर्तमान ह्रासित मूल्य जानने के लिए उस पर शुरू से (जब वह निवासगृह भी था) ही ह्रास निकाला जायगा और तब संतुलनात्मक ह्रास की रकम निश्चित की जायगी।

उदाहरण २८—एक मशीन जिसको ५०,००० रु० में खरीदा गया था इस समय उसका ह्रासित मूल्य १५००० रु० है। अब यदि वह मशीन अप्रचलित होने के कारण बेच दी गई। तो उस पर कितना संतुलनात्मक ह्रास होगा यदि वह मशीन ५,००० रु० में, १५००० रु० में, २५००० रु० में, ५०,००० रु० तथा ६०,००० रु० में बिके।

(१) यदि मशीन ५००० रु० में बिके तो १०,००० रु० संतुलनात्मक ह्रास होगा।

(२) यदि उसे १५००० रु० में बेचा जाय तो संतुलनात्मक ह्रास कुछ नहीं होगा।

(३) यदि उसे २५००० रु० में बेचा जाय तो संतुलनात्मक ह्रास कुछ नहीं होगा। किन्तु १०००० रु० लाभ हुआ जिस पर कर लगेगा। ऐसे लाभ को संतुलनात्मक प्रभार (Balancing charge) कहते हैं।

(४) यदि मशीन ५०,००० रु० में बिकेगी तो संतुलनात्मक ह्रास कुछ नहीं होगा किन्तु संतुलनात्मक प्रभार ३५००० रु० का होगा।

(५) यदि उसे ६०,००० रु० में बेचा जाय तो संतुलनात्मक ह्रास कुछ नहीं होगा। ३५००० रु० संतुलनात्मक प्रभार होगा और शेष १०,००० रु० पूँजी-लाभ (Capital profit) होगा जिस पर कर नहीं लगेगा।

उदाहरण २९—यदि उपर्युक्त मशीन पर बीमा कराया गया होता और मशीन के जल जाने के बाद केवल ५००० रु० का क्षेप्य-मूल्य (Scrap value) बच जाता और यदि बीमा कम्पनी से ८००० रु०, १०,००० रु०, २०,००० रु०, ४०,००० रु०, या ५५००० रु० मिलता है तो संतुलनात्मक ह्रास निम्न होता—

(१) जब ८००० रु० बीमा का मिलता तो २००० रु० संतुलनात्मक ह्रास होता (१५०००–५०००–८०००–२०००)।

(२) जब १०,००० रु० बीमा का मिलता तो कुछ भी संतुलनात्मक ह्रास नहीं होता। (१५०००–५०००–१०००० = ०)।

(३) जब २०००० रु० बीमा का मिलता तो संतुलनात्मक ह्रास कुछ नहीं होगा बल्कि संतुलनात्मक प्रभार १०००० रु० का होता { २००००–(१५०००–५०००) }

(४) जब ४०,००० रु० बीमा का मिलता तो संतुलनात्मक ह्रास नहीं होगा बल्कि संतुलनात्मक प्रभार ३०,००० रु० का होगा। { ४०,०००—(१५,०००–५,०००) } = ३०,००० रु०।

(५) जब ५५,००० रु० बीमा का मिलता तो संतुलनात्म ह्रास नहीं होगा बल्कि संतुलनात्मक प्रभार ३५,००० रु० का होगा और १०,००० रु० पूँजी-लाभ होगा।

अप्राप्य ऋण (Bad Debts)—व्यापार का जो ऋण अप्राप्य हो जाता है उस पर भी छूट मिलता है। किन्तु अप्राप्य ऋण के संचय (Reserve forBad

Debts) पर छूट नहीं मिलता है। अप्राप्य ऋण के लिए उतनी ही रकम पर छूट मिलता है जो सचमुच बहियों में लिखी गई हो।

यदि अप्राप्य ऋण का रुपया बाद में कभी किसी ऋणी के पास से मिल जाय तो उसे लाभ समझा जायगा और उस पर कर देना होगा।

व्यापार के साधारण व्यय—व्यापार के सभी साधारण व्ययों पर भी छूट मिलता है। परन्तु यह व्यय पूँजी-व्यय (Capital Expenditure) नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ व्ययों को नीचे दिया जाता है। जिनमें पूँजी-व्यय तथा आगम-व्यय (Revenue Expenditure) लेने में सन्देह उत्पन्न हो सकता है :—

(अ) विज्ञापन (Advertising)—साधारण विज्ञापन-व्यय आगम-व्यय है और उस पर छूट मिलती है। किन्तु यदि असाधारण विज्ञापन इसलिए किया गया हो कि उससे व्यापार की वृद्धि हो अथवा किसी नये व्यापार की ओर लोगों का आकर्षण हो तो ऐसे व्यय को पूँजी-व्यय कहा जायगा।

(आ) कानूनी खर्च (Local Expenses)—जो कानूनी खर्च किसी पूँजी के सिलसिले में नहीं किया जाय उसे साधारण व्यय समझा जायगा। परन्तु इनकम टैक्स की अपील इत्यादि के खर्च को साधारण व्यय नहीं समझा जायगा।

(इ) साधारण बही खाता लिखने तथा उसके ऑडिट (Audit) करने का व्यय साधारण व्यय है। परन्तु इनकम-टैक्स की अपील में यदि ऐसा कोई खर्च करना पड़े तो वह पूँजी-व्यय समझा जाता है। इनकम-टैक्स अफसर तक ऑडिट या एकाउन्टेन्ट का व्यय साधारण व्यय है।

(ई) छलहरण या चोरी (Embezzlement or Theft)—यदि कोई कर्मचारी छलहरण या चोरी से व्यापार का कुछ रुपया गबन कर देता है तो उसे साधारण व्यय समझा जाता है। माल के स्टॉक की क्षति (किसी कर्मचारी की चोरी के कारण) भी साधारण व्यय है। जो चोरी व्यापार से आनुषंगित (Incidental) है अथवा जो चल-सम्पत्ति (Circulating asset) की चोरी है उसे तो साधारण व्यय समझा जाता है। इसलिए दूकान बन्द हो जाने पर की हुई चोरी (किसी कर्मचारी द्वारा भी) या दूकान खुली रहने पर की हुई डकैती पूँजी-व्यय है।

(उ) दलाली (Brokerage)—माल बेचने के लिए दी हुई दलाली साधारण व्यय है किन्तु पूँजी उठाने के लिये या ऋण लेने के लिए दी हुई दलाली पूँजी-व्यय है।

(ऊ) अधिकार शुल्क (Royalty)—खानों, पुस्तकों या पेटेन्ट-वस्तुओं (Patents) पर दिया हुआ अधिकार शुल्क साधारण व्यय है।

(ए) बीमा—लाभ का बीमा कराने पर उसका प्रीमियम साधारण व्यय समझा

जाता है। किसी ऐसे कर्मचारी के जीवन पर बीमा का प्रीमियम देना पड़े जो व्यापार के लाभ के लिए बहुत आवश्यक हो तो वह प्रीमियम भी साधारण व्यय है। अपने कर्मचारियों को किसी जोखिम (Accident) से बचाने के लिए या वर्कमेन्स कम्पेनसेशन ऐक्ट (Workmen's Compensation Act) के अनुसार दिये हुए प्रीमियम को भी साधारण व्यय समझा जाता है।

(ऐ) प्रामाणित प्रॉविडेन्ट फन्ड का चन्दा भी साधारण व्यय है। किन्तु अप्रामाणित प्रॉविडेन्ट फन्ड का चन्दा यदि ऐसा हो जिसे व्यापार फिर वापस नहीं ले सकता या उस प्रॉविडेन्ट फन्ड के संचालन का भार उस पर न हो तो यह चन्दा भी साधारण व्यय समझा जायगा।

(क) यदि किसी कर्मचारी को किसी प्रसंविदा (Contract) के अनुसार कुछ हानि-पूरण (Compensation) देना पड़े तो वह साधारण व्यय समझा जायगा। यदि बिना किसी प्रसंविदा के हानिपूरण दिया जाय तो वह पूँजी-व्यय समझा जायगा।

(ख) यदि किसी कर्मचारी को बुढ़ापे में काम छोड़ते समय पेन्शन या आनुतोषिक (Gratuity) दिया जाय तो उसे साधारण व्यय समझा जाता है।

(ग) कर्मचारियों को दी हुई भेंट (Presents) इत्यादि भी साधारण व्यय है। यदि यह भेंट साधारणतः सबको मिलती रही हो, तभी इसे साधारण व्यय समझा जायगा। किसी विशेष व्यक्ति को इस प्रकार की भेंट देना साधारण व्यय नहीं होगा।

(घ) दिवाली तथा मुहूर्त्त के मनाने के लिए २०० रु० तक साधारण व्यय है।

(ङ) यदि किसी कार्य में चन्दा देने से व्यापार को कोई लाभ होता हो या यह चन्दा अनिवार्य हो तो यह भी साधारण-व्यय समझा जाता है।

(च) किसी माल के खरीदने का (जो पूँजी-सम्पत्ति न हो) प्रसंविदा रद्द करने के लिए कुछ हानिपूरण देना पड़े तो वह भी साधारण व्यय है।

(छ) कर्मचारियों के कल्याण (Welfare) के लिए किया हुआ व्यय साधारण व्यय है।

पिछले वर्षों की हानि—यदि किसी वर्ष व्यापार में हानि हो जाय तो उस हानि को अगले छः वर्षों तक के लाभ में प्रतिसाद (Set off) किया जा सकता है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि व्यापार की हानि को व्यापार के लाभ में ही प्रतिसाद करें। किसी प्रकार की हानि को किसी प्रकार के लाभ में प्रतिसाद किया जा सकता है।

यदि किसी साझे के पिछले वर्षों की हानि रहते हुए ही साझेदारों में कुछ परिवर्तन हो जाय तो उस हानि को केवल उन्हीं साझेदारों के हिस्से के लाभ में प्रतिसाद करेंगे जिनके समय की हानि है। नये साझेदार को इस हानि से कोई सम्बन्ध नहीं होगा (जब तक वह पुराने साझेदार का पुत्र या उत्तराधिकारी न हो)।

वैज्ञानिक अन्वेषण (Scientific Research)—यदि व्यापार से सम्बन्धित किसी वैज्ञानिक अन्वेषण पर व्यय किया जाय तो उस पर भी छूट मिलती है।

यदि किसी ऐसे वैज्ञानिक अन्वेषण सङ्घ को कुछ चन्दा दिया जाय जो उसी प्रकार के लाभ के लिए अन्वेषण करता हो तो इस पर भी छूट मिलती है।

यदि किसी ऐसे वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए पूँजी-व्यय भी किया जाय तो उस पर पाँच वार्षिक किस्तों में छूट मिलती है। ऐसा व्यय व्यापार के स्थापित करने के तीन वर्ष पूर्व भी किया गया हो तब भी छूट मिलेगी।

व्यापार के निम्न व्ययों पर छूट नहीं मिलती

(१) साझेदारों के ऋण या पूँजी के व्याज पर।
(२) किसी साझेदार को कमीशन या वेतन देने पर।
(३) खैरात (Charity) पर।
(४) आय पर दिए हुए कर पर।
(५) लोकप्रियता (Goodwill) पर।
(६) पूँजी-व्यय अथवा आय पर।
(७.) किसी उद्देश्य से स्थापित किए हुए सञ्चय (Reserve) पर।
(८) शेयरों की बिक्री के अवमूल्यन (Discount) या अधिमूल्यन (Premium) पर।
(९) शेयरों को बेचने के व्यय पर।
(१०) निजी व्यय पर।
(११) उपहार या भेंट पर।
(१२) रोड या पब्लिक सेस (Cess) पर।
(१३) उस हानि पर जिसका बीमा हुआ हो।
(१४) पुराने साझेदारों के पेन्शन पर।
(१५) अन्य कोई हानि या लाभ जो उस व्यापार से सम्बन्धित न हो।
(१६) सञ्चय (Reserve) के व्याज पर।

यदि कोई आय (जैसे लाभांश, व्याज इत्यादि) व्यापार की आय में नहीं लिखी गई हो तो उनको अलग अलग शीर्षक (Heading) में लिखकर कुल आय निकाली जाती है। यदि कोई ऐसी आय जिस पर कर नहीं लगता, व्यापार के लाभ में सम्मिलित हो तो उसे उस लाभ में से घटा कर शेष पर कर लगाया जाता है।

नकद साख (Cash Credit)—कभी कभी व्यापारी अपने सम्बन्धियों या घर की औरतों के नाम से जमा रकम लिख देते हैं और उसको उन लोगों से लिया

हुआ ऋण बताते हैं। ऐसा सच भी हो सकता है और झूठ भी। झूठ इसलिए किया जाता है कि लाभ की उतनी रकम इस तरह छिपा ली जाती है। इसलिए इनकम् टैक्स अफसर कुल नकद-साख को लाभ मान लिया करते हैं। ऐसी परिस्थिति में नकद-साख का पूरा पूरा सबूत देना पड़ता है।

चाय की कम्पनियाँ (Tea Companies)—जो कम्पनी चाय को खेतो में उत्पन्न करती है और उससे चाय की पत्तियाँ तैयार करके बेचती है तो उसकी कुल आय पर कर नहीं लगता है। केवल ४०% लाभ को व्यापार का लाभ समझा जाता है और शेष ६०% लाभ को कृषि आय समझा जाता है जिसपर कर नहीं लगता।

चीनी मिल (Sugar Factory)—यदि चीनी की फैक्टरी खेतों में गन्ना उत्पन्न करके चीनी बनाती है तो उसके कुल लाभ पर कर नहीं लगता। जो गन्ना उसने स्वयं खेतों में उत्पन्न किया है उस गन्ने का बाजार मूल्य उसके कुल लाभ में से घटा कर शेष पर कर लगाया जाता है।

उदाहरण ३०—एक व्यापारी का निम्न व्यापार-वृद्धि खाता (Trading A/c) तथा लाभालाभ खाता (Profit and Loss A/c) है—

माल का शेप (प्रारम्भिक) रु०	१५००	बिक्री	रु० ४२००
क्रय	१८००	माल का अन्तिम शेप	१३००
सकल लाभ (Gross Profit)	२२००		
	५५००		५५००
किराया	१५०	सकल लाभ	रु० २२००
स्थानीय कर	३०	कमीशन	४०
बिजली-व्यय	२०	लाभांश	१६०
खैरात	१५	मकान का चेप्य (Scrap) माल बेचने से	१००
मरम्मत	३०		
कमीशन	२०		
ह्रास	५५		
लोकप्रियता	२००		
मकान बनाने का खर्च	४००		
आय-कर	१००		
शुद्ध लाभ (Net Profit)	१४८०		
	२५००		२५००

शुष्क लाभ		रु० १४८०
जोड़ा ऐसे व्यय जिन पर छूट नहीं मिलती—		
खैरात	१५	
लोकप्रियता	२००	
मकान बनाने का व्यय	४००	
आय-कर	१००	७१५
		२१९५
घटाया ऐसी आय जो व्यापार की नहीं है—	१००	
मकान का चेप्य माल बेचने का लाभांश	१६०	२६०
कर-देय (Taxable) आय		१९३५

उदाहरण ३१—'क' और 'ख' के साझे के फर्म का लाभालाभ खाता निम्न है।

किराया		रु० ५००	सकल लाभ	रु० १०,०००
वेतन—			शुष्क हानि	३०
'क' को	५०००			
'ख' को	१००			
कर्मचारियों को	१०००	६,१००		
अप्राप्य ऋण संचय		१५०		
दान		३०		
मरम्मत		१००		
पूंजी पर व्याज—				
'क' को	३०००			
'ख' को	१५०	३,१५०		
		१०,०३०		१००३०

ऐसे व्यय जिन पर छूट नहीं मिलती—	
साझेदारों का वेतन	रु० ५१००
अप्राप्य ऋण संचय	१५०
दान	३०
पूँजी पर व्याज	३१५०
	८४३०
घटाया—शुष्क हानि	३०
करदेय आय	८४००

साझेदारों में आय का वितरण

साझे की करदेय आय		रु० ८४००
घटाया पूँजी पर व्याज	३१५०	
,, वेतन	५१००	८२५०
व्यापार का लाभ		१५०

	'क'	'ख'	
व्याज	३०००	१५०	
वेतन	५०००	१००	
लाभ (बराबर बराबर)	७५	७५	
कुल आय	८०७५	३२५	= ८४०० रु०

केवल 'क' को कर देना पड़ेगा, 'ख' को कर नहीं देना पड़ेगा। परन्तु यदि यह साझा अनधिकृत (Unregistered) होगा तो पूरा ८४०० रु० पर कर देना होगा।

उदाहरण ३२—'क' और 'ख' का लाभालाभ खाता निम्न प्रकार का है—

लाभालाभ खाता

कर्मचारियों का वेतन	रु० ४,०००	सकल लाभ	रु० ३५,०००
अन्य साधारण व्यय	१,०००	छूट (Discount)	१,०००
अप्राप्य ऋण	५००	कमीशन	२,०००
अप्राप्य ऋण संचय	५००	अप्राप्य ऋण मिला	५००
बैंक के ऋण पर व्याज	२,०००	सरकारी प्रतिभूतियों पर व्याज	१,१००
अग्नि बीमा का प्रीमियम	१,०००	प्रतिभूतियों के बेचने से लाभ	३,६००
विज्ञापन	३,०००	अन्य आय	५००
आय-कर	१,०००		
मोटरकार बेचने की हानि	१,५००		
ऑडिट फीस	१००		
दलाली	४००		
कर्मचारी द्वारा गबन	५००		
खैरात	७००		
पूँजी पर व्याज	१,८००		
'क' को वेतन	३००		
'ख' को कमीशन	७००		
ह्रास	१,०००		
शुद्ध लाभ	२४,०००		
	४४,०००		४४,०००

विज्ञापन में १००० रु० ऐसा व्यय है जो विशेष विज्ञापन पर खर्च हुआ है। ह्रास केवल ६०० रु० तक नियमानुसार होना चाहिये था।

शुष्क लाभ		रु० २४०००
जोड़ा उन व्ययों को जिनपर छूट नहीं मिलती—		
अप्राप्य ऋण संचय	५००	
आय कर	१०००	
मोटरकार बेचने की हानि	१५००	
खैरात	७००	
पूँजी पर व्याज	१८००	
'क' का वेतन	३००	
'ख' का कमीशन	७००	
विशेष विज्ञापन	१०००	
ह्रास	१००	७६००
		३१६००
घटाया ऐसी आय जो व्यापार की नहीं है—		
सरकारी प्रतिभूतियों का व्याज	११००	
प्रतिभूतियों की बिक्री का लाभ	३९००	५०००
व्यापार की करदेय आय		२६,६००

कुल आय—	
व्यापार की आय	रु० २६,६००
व्याज ११००—सकल	१४६७
कुल आय	२८,०६७

उदाहरण ३३—'क' और 'ख' के व्यापार का लाभ ४५०० रु० है। 'क' को अन्य आय २०,००० रु० की है और 'ख' को अन्य आय १०,००० रु० की है।

उत्तर— (१) यदि फर्म रजिस्टर्ड है—

	क	ख
व्यापार का लाभ	रु०	रु०
(⅘ उपार्जित आय घटा कर)	१८००	१८००
अन्य आय	२००००	१००००
कुल आय	२१८००	११८००

∴ २१८०० रु० पर 'क' का कर = रु० ३३४८—७ आ०
११८०० " 'ख' " " = रु० ८६८—७ "

'क' की औसत कर-दर = २६·४६ पा०

'ख' ,, ,, ,, = १४·६१ पा०

इसलिए फर्म की आय पर कर—

'क' ने दिया २६·४६ × १८०० पा० = रु० २७८–८

'ख' ,, १४·६१ × १८०० पा० = रु० १३७–०

रजिस्टर्ड फर्म होने पर कुल कर मिला = ४१५–८

(१) यदि फर्म अनधिकृत (Unregistered) हो—

व्यापार का लाभ (‍ै उपार्जित आय घटाकर) = ३६०० रु०

३६०० रु० पर कर = रु० ११२–८

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि फर्म के रजिस्टर्ड होने से इनकम् टैक्स आफिस को अधिक लाभ है। इसलिए यदि फर्म रजिस्टर्ड नहीं भी हो तो भी इनकम् टैक्स अफसर उसे रजिस्टर्ड फर्म ही समझ कर कर लगायेगा।

उदाहरण ३४—निम्न लाभालाभ खाता एक कम्पनी का है। उसकी करदेय आय निकालो—

	रु०		
		बिक्री	रु० ५३,०००
माल का प्रारम्भिक स्टॉक	१२,५००	माल का अन्तिम स्टॉक	८,०००
क्रय	१८,५००	शेयर के हस्तान्तरण (Transfer) की फीस	२००
साधारण अन्य व्यय	६,०००		
चन्दा	१,०००	मकान का किराया	१,८००
बीमा प्रीमियम	२,०००	लाभांश	२,०००
आफिस व्यय	५००		
दलाली	४००		
डाइरेक्टर की फीस	५००		
आडिटर की फीस	६००		
मकान की मरम्मत	५००		
मशीन की मरम्मत	२००		
कानूनी व्यय	८०		
मजदूरों के कल्याण का व्यय	३२०		
कर्मचारियों के प्राविडेन्ट फन्ड में चन्दा	६००		
मैनेजिंग एजेन्ट का कमीशन	८००		
शुध्द लाभ	१२,५००		
	६५,०००		६५,०००

दलाली का २०० रु० कम्पनी ने ऋण लेने के लिए दिया था; कानूनी व्यय का ५० रु० जमीन खरीदने में हुआ था, बीमा का ५०० रु० तथा मरम्मत का १०० रु० किराया पर दिए हुए मकान पर हुआ था।

शुष्क लाभ		रु० १२,५००
जोड़ा वह व्यय जिस पर छूट नहीं मिलती—		
चन्दा	१०००	
बीमा (मकान का)	५००	
दलाली	२००	
मरम्मत (मकान का)	१००	
कानूनी व्यय	५०	१,८५०
		१४,३५०
घटाया उस आय को जो व्यापार की नहीं है—		
मकान का किराया	१८००	
लाभांश	२०००	३,८००
करदेय आय		१०,५५०

कुल आय—

व्यापार की आय			रु० १०,५५०
मकान की आय		१८००	
घटाया मरम्मत का $\frac{1}{6}$	३००		
” बीमा	५००	८००	१,०००
लाभांश २००० सकल			२,६६७
कुल आय		=	१४,२१७

इसलिये ½ व्यापार का हुआ। आफिस पर आधे का लाभ ५००० रु० हुआ। इसलिये ८०००—५०००=३००० लिखा गया है।

(२) मकान की आय—

किराया (११४००+३६००)		१५,००० रु०
घटाया है मरम्मत	२५००	
,, बीमा	६००	
,, लगान	५००	
,, वसूली व्यय (६% ११४०० का)	६८४	४,५८४ रु०
		१०,४१६ ,,

(३) अन्य आय—

कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों का व्याज	१०,००० रु०
लाभांश ११००० रु०—सकल	१४,६६७ ,,
	२४६६७ ,,

कुल आय—

व्यापार की आय	७६,२०० रु०
मकान की आय	१०,४१६ ,,
अन्य आय	२४,६६७ ,,
कुल आय	११४,२८३ ,,

उदाहरण ३६—निम्न आयों के 'क' की कुल आय निकालो।

उसके पास एक मकान है जिसका म्युनिसिपल मूल्य ४००,००० रु० है जिसमें १००,००० रु० निवासगृह का सम्मिलित है। पूरे मकान पर वह ४०,००० रु० बीमा का प्रीमियम देता है।

कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों का व्याज ६०,०००, ऋणियों से व्याज १८००० रु०, डाइरेक्टर फीस १०,००० रु०, अविभाजित हिन्दू परिवार से अपना हिस्सा ३०,००० रु०, कमीशन २००० रु०, एक कम्पनी से लाभांश १२००० रु० ऋण-पत्र पर व्याज १८००० रु०, काश्मीर सरकार से पेन्शन ६००० रु०, विश्वविद्यालय के इम्तहान से २००० रु० पाता है और उसका एक व्यापार में 'ख' के साथ साझा है जिसमें उसका आधा हिस्सा है।

व्यापार का लाभालाभ खाता निम्न है—

वेतन	रु० ८,०००	सकल लाभ	रु० ६५,०००
किराया	१०,०००	व्याज	१५,०००
दफ्तर का व्यय	७,०००	सरकारी कर-मुक्त	
'क' को वेतन	८,०००	प्रतिभूतियों पर व्याज	१०,०००
'ख' " "	८,०००		
'क' के ऋण पर व्याज	१२,०००		
'क' की पूँजी पर व्याज	८,०००		
'ख' " "	९,०००		
अप्राप्य ऋण	८,०००		
शुद्ध लाभ—'क'	६,०००		
'ख'	६,०००		
	९०,०००		९००००

'क' ने कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों को ऋण लेकर खरीदा था जिस पर वह २०,००० रु० व्याज देता है।

व्यापार की आय

शुद्ध लाभ		रु० १२,०००
जोड़ो ऐसे व्यय जिन पर छूट नहीं मिलती—		
वेतन	१६,०००	
ऋण पर व्याज	१२,०००	
पूँजी पर व्याज	१७,०००	४५,०००
		५७,०००
घटाओ ऐसी आय जो व्यापार की नहीं है—		
सरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियों पर व्याज		१०,०००
व्यापार की आय		४७,०००

व्यापार के लाभ का साझेदारों में बँटवारा

	'क'	'ख'
वेतन	८०००	८०००
पूँजी पर व्याज	८०००	९०००
ऋण पर व्याज	१२०००	—
शेष लाभ	१०००	१०००
	२९०००	१८०००
सरकारी प्रतिभूतियों पर व्याज	५०००	५०००

उदाहरण ३५—'क' का लाभालाभ खाता नीचे दिया गया है जिससे करदेय आय निकालना है—

वेतन		रु० ३८,०००	सकल लाभ	रु० १६०,०००
विज्ञापन		४,४००		
प्रकाशन		१,६००		
मोटरकार व्यय		७,०००		
डाक व्यय		३,०००		
बिजली व्यय		६००		
खैरात		३,०००		
मोटर बेचने की हानि		१,०००		
ब्याज		५,०००		
अप्राप्य ऋण		१,०००		
अप्राप्य ऋण संचय		५,१००		
आडिट फीस		१,५००		
कर्मचारियों को बोनस		१,५००		
आय-कर		२,२००		
मकान पर व्यय—				
मरम्मत	८०००			
बीमा	१८००			
जमीन का लगान	१०००			
म्युनिसिपल कर	३०००			
		१३८००		
ह्रास—				
मशीन पर	११०००			
फैक्टरी के मकान पर	१०००			
आफिस के मकान पर	८०००	२०,०००		
शुद्ध लाभ		५१,०००		
		१६०,०००		१६०,०००

४०० रु० वेतन मालिक के घर के नौकरों को दिया गया है जो कुल वेतन में सम्मिलित है। बिजली व्यय में उसके घर की बिजली का व्यय $\frac{1}{3}$ है। मोटरकार आधा व्यापार में और आधा उसके निजी कार्य में प्रयुक्त हुआ। मशीन पर नियमित

दर से ह्रास ८००० रु०, फैक्टरी मकान पर ७०० रु० और आफिस मकान पर १०,००० रु० होना चाहिए। दोनों आफिस तथा फैक्टरी के मकान उसकी निजी सम्पत्ति है जिनका म्युनिसिपल-मूल्य ३०,००० रु० तथा १०,००० रु० क्रमशः है। आफिस मकान का एक हिस्सा ३०० रु० मासिक किराये के मूल्य का उसके निवास-गृह के काम में आता है और एक अंश ११४०० रु० पर किराये में दिया गया है जिस पर उसे वसूली व्यय ६२० रु० व्यय करना पड़ता है। उसके पास १००,००० रु० की सरकारी प्रतिभूतियाँ कर-मुक्त हैं और वह ११००० रु० के शेयरों पर लाभांश पाता है जिसका $\frac{१}{१०}$ उन कम्पनियों से मिलता है जो देश के बाहर की हैं।

(१) व्यापार की आय—

शुष्क लाभ			५१,००० रु०
जोड़ा ऐसा व्यय जिस पर छूट नहीं मिलती—			
वेतन (निजी)		४००	
मोटरकार का व्यय $\frac{१}{२}$		३५००	
बिजली व्यय $\frac{१}{३}$		३००	
खैरात		३०००	
कार बेचने की हानि $\frac{१}{२}$		५००	
अप्राप्य ऋण संचय		५१००	
आय कर		२२००	
मकान का व्यय—			
मरम्मत $\frac{१}{२}$	४,०००		
बीमा $\frac{१}{२}$	६००		
लगान $\frac{१}{२}$	५००		
म्युनिसिपल कर	१५००	६६००	
ह्रास—			
मशीन पर	३०००		
फैक्टरी मकान पर	३००		
आफिस मकान पर	३०००	६३००	२८,२०० रु०
व्यापार की आय—			७६,२०० रु०

नोट—आफिस का म्युनिसिपल मूल्य ३०,००० रु० है जिसके १५००० रु० (११४०० + ३६००) के मूल्य में वह स्वयं रहता है तथा किराये में दिया गया है।

'क' की आय—

उपार्जित आय—

पेन्शन (काश्मीर का)	६,००० रु०	
व्यापार का लाभ	२६,००० ,,	
ऋणियों से मिला व्याज	१८,००० ,,	
डाइरेक्टर फीस	१०,००० ,,	
कमीशन	२,००० ,,	
विश्वविद्यालय की फीस	२,००० ,,	
	६७,००० ,,	
घटाओ है उपार्जित आय	४,००० ,,	६३,००० रु०

अन्य आय—

कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों का व्याज		६०,००० रु०		
,, ,, ,, (फर्म का)		५,००० ,,		
		६५,००० ,,		
घटाओ प्रतिभूतियों के लिए ऋण पर व्याज		३०,००० ,,		३५,००० रु०
लाभांश (सकल)				१२,००० ,,
ऋण-पत्र पर व्याज (सकल)				१८,००० ,,
मकान की आय		३००,००० रु०		
घटाया है मरम्मत	५०,०००			
,, बीमा	३०,०००	८०,००० ,,		२,२०,००० रु०
निवासगृह		१००,००० ,,		
किन्तु अधिकतम सीमा है		३०,७२७ ,,		
घटाया बीमा		१०,००० ,,		२०,७२७ रु०
कुल आय				३६८,७२७ रु०

उदाहरण ३७—कलकत्ता के एक ऐडवोकेट का निम्न आय व्यय खाता है। वह एक बंगले में रहता है जो उसी का है और जिसका म्युनिसिपल मूल्य १६००० रु० है। बंगले पर निम्न व्यय होते हैं—जमीन का लगान १००० रु०, अग्निबीमा का प्रीमियम ३०० रु०।

आय-व्यय खाता

दफ्तर के व्यय	१२,००० रु०	अपने पेशे की आय	१५०,००० रु०
अपनी स्त्री के लिए गहना	८,००० ,,	सम्पत्ति (जिसे १० वर्ष पूर्व खरीदा था) के बेचने से लाभ	१०,००० रु०
घर का खर्च	४०,००० ,,	जमीन का किराया	१,००० ,,
लड़की की शादी का व्यय	२५,००० ,,	डाइरेक्टर फीस	४,००० ,,
खैरात	५,००० ,,	करमुक्त प्रतिभूतियों पर व्याज	६,००० ,,
जीवन बीमा का प्रीमियम	१२,००० ,,	लड़की की शादी में मिले उपहार	२०,००० ,,
लड़कों की पढ़ाई का व्यय	४,००० ,,		
फाटका बाजार की हानि (यह कार्य वह बराबर करता है)	१०,००० ,,		
शेष	७५,००० ,,		
	१९१,००० रु०		१९१,००० रु०

पेशे की आय			१५०,००० रु०
घटाओ दफ्तर का व्यय			१२,००० ,,
			१३८,००० ,,
डाइरेक्टर की फीस			४,००० ,,
			१४२,००० ,,
घटाओ उपार्जित आय			४,००० ,,
			१३८,००० ,,
करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों की आय			६,००० ,,
जमीन का किराया			१,००० ,,
			१४५,००० ,,
फाटका बाजार की हानि			१०,००० ,,
			१३५,००० ,,
निवासगृह की आय		१२,१४५	
घटाओ जमीन का लगान	१०००		
,, बीमा	३००	१,३०००	१०,८५४ ,,
कुल करदेय			१४५,८५४ रु०

उदाहरण ३८—'क', 'ख', तथा 'ग' साझे में व्यापार करते हैं उनका लाभालाभ खाता निम्न है—

दफ्तर का व्यय		रु० २,०००	सकल लाभ	रु० ७५,०००
वेतन		६,०००	अप्राप्य ऋण की प्राप्ति	५००
किराया		८,०००	छूट	५००
पूँजी पर ब्याज			बैंक का ब्याज	१,०००
'क'	५००			
'ख'	५००	१,०००		
वेतन—				
'क'	३०००			
'ख'	१०००			
'ग'	१०००	५,०००		
बीमा प्रीमियम		१००		
खैरात		६००		
शुष्क लाभ				
क $\frac{1}{2}$		२७,०००		
ख $\frac{1}{3}$		१८,०००		
ग $\frac{1}{6}$		९,०००		
		७७,०००		७७,०००

'क' की अन्य आय इस प्रकार है— मकान से ७००० रु० लाभांश (सकल) ४००० रु० । 'ख' को कर-मुक्त प्रतिभूतियों से ४८०० रु० शेयर के लेन-देन से २[illegible] रु० की आय है । 'ग' को जमीन का किराया ४००० रु० और कमीशन १००० रु० मिलता है ।

व्यापार का लाभ

शुष्क लाभ	५४,००० रु०
जोड़ो पूँजी पर ब्याज	१,०००
वेतन	५,०००
खैरात	६,०००
	६०,६००

व्यापार की आय का विभाजन

	क	ख	ग
पूँजी पर ब्याज	५०० रु०	५०० रु०	— रु०
वेतन	३,०००	१,०००	१,०००
शेष लाभ	२७,४५०	१८,३००	९,१५०
कुल व्यापार की आय	३०,९५०	१९,८००	१०,१५०

साझेदारों की करदेय आय

		क	ख	ग
		रु०	रु०	रु०
व्यापार की आय		३,०६५०	१६,८००	१०,१५०
शेयर का लेन-देन		—	२,०००	—
कमीन		—	—	१,०००
कुल उपार्जित आय		३०,६५०	२१,८००	११,१५०
घटाया दे		४,०००	४,०००	२,२३०
		२६,६५०	१७,८००	८,६२०
सम्पत्ति	७०००			
घटाया है	१२६६	५,८३४	—	—
लाभांश (सकल)		४,०००	—	—
प्रतिभूतियों का ब्याज		—	६,४००	—
जमीन का किराया		—	—	४,०००
कुल आय		३६,७८४	२४,२००	१२,६२०

उदाहरण ३९—एक व्यापार का निम्न लाभालाभ खाता है—

	रु०		रु०
वेतन	४,०००	सकल लाभ	५५,०००
अन्य साधारण व्यय	२,०००	कमीशन	३,०००
अप्राप्य ऋण	२,०००	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज (शुष्क)	३,०००
अप्राप्य ऋण संचय	३,०००	प्रतिभूतियों के क्रय पर लाभ	१,०००
आय-कर	१,५००		
मकान की अग्नि क्षति (बीमा नहीं हुआ है)	१,०००		
वैज्ञानिक अन्वेषण	१०,०००		
मजदूरों के कल्याण (Welfare) पर व्यय	२,०००		
कर्मचारियों के प्रामाणित प्राविडेन्ट फन्ड का चन्दा	१,५००		
शुष्क लाभ	३५,०००		
	६२,०००		६२,०००

अन्य साधारण व्यय में ५०० रु० एक विद्यालय को दिया हुआ चन्दा सम्मिलित है। वैज्ञानिक अन्वेषण का ¾ पूँजी-व्यय है।

शुष्क लाभ		३५,००० रु०
जोड़ा ऐसा व्यय जिस पर छूट नहीं मिलती—		
अप्राप्य ऋण संचय	रु० ३०००	
आय-कर	१५००	
मकान की अग्नि क्षति (यह पूँजी-व्यय है)	१०००	
वैज्ञानिक अन्वेषण (पूँजी-व्यय पाँच वर्षों में बाँटा जाता है, अर्थात्— (१०००० का ¾ का ⅘=२०००)	२०००	७,५०० रु०
		४२,५०० ,,
घटाया ऐसी आय जो व्यापार की नहीं है—		
प्रतिभूतियों का व्याज	३०००	
,, पर लाभ (पूँजी-लाभ है)	१०००	४,००० रु०
कुल व्यापार की आय		३८,५०० ,,

कुल आय—	
व्यापार की आय	३८,५०० रु०
प्रतिभूतियों पर व्याज २००० सकल	४,००० ,,
कुल आय	४२,५०० ,,

नोट—५०० रु० विद्यालय को दिए हुए चन्दा पर औसत-दर के छूट मिलेगी।

उदाहरण ४०—'क' एक आडिटर है जिसका निम्न रोकड़ खाता है—

रोकड़ का प्रारम्भिक शेष	रु० ६,०००	दफ्तर के व्यय	रु० ४,०००
आडिट फीस	१६,०००	शिक्षा के व्यय	५००
अन्य बही-खाता देखने की आय	५,०००	निजी व्यय	३,५००
विद्यार्थियों की फीस	१,०००	बीमा (जीवन) प्रीमियम	१,०००
परीक्षा की आय	३,०००	आय कर	२,०००
प्रतिभूतियों पर आय	४,०००	मोटरकार खरीदने का मूल्य	४,०००
मकान का किराया	४,०००	मोटरकार पर व्यय	५००
		मकान का बीमा	५००
		रोकड़ का अन्तिम शेष	२६,०००
	४२,०००		४२,०००

दफ्तर के व्यय में अपने कार्य के लिए १०० रु० की पुस्तकों तथा ५० रु० का फर्नीचर खरीदने का मूल्य सम्मिलित है। मोटरकार का १/२ व्यय उसके व्यापार से सम्बन्धित है तथा १/२ निजी व्यय है। उसका अपना निवासगृह है जिसका म्युनिसिपल मूल्य ६०० रु० है पुस्तकों तथा फर्नीचर पर ४० रु० ह्रास है.।

उसकी आय—			
ऑडिट फीस			रु० १६,०००
अन्य बही-खाता देखने से			५,०००
विद्यार्थियों की फीस			१,०००
परीक्षा की आय			३,०००
कुल व्यापार की आय			२५,०००
घटाया ऐसा व्यय जिस पर छूट मिलती है—			
दफ्तर का व्यय		रु० ३८५०	
शिक्षा देने का व्यय		५००	
मोटरकार का व्यय १/२		२५०	
ह्रास		४०	४,६४०
व्यापार की करदेय आय			२०,३६०
कुल आय—			
(१) व्यापार की आय			रु० २०,३६०
(२) प्रतिभूतियों की आय ४००० सकल			५,३३३
(३) मकान का किराया—		४०००	
निवास गृह का मूल्य		६००	
		४६००	
घटाया मरम्मत का १/६	८१७		
„ बीमा	५००	१३१७	३,५८३
कुल आय			२६,२७६

नोट—मोटरकार के मूल्य से ऐसा प्रतीत होता है कि पुरानी कार खरीदी गयी है। इसलिए इस पर प्रारम्भिक ह्रास (Initial Depreciation) नहीं दिया जायगा। उसके खरीदने की तिथि भी नहीं मालूम है इसलिए ऐसा मान लिया गया है कि वह वर्ष के अन्त में खरीदा गया है और उस पर ह्रास नहीं दिया गया है।

उदाहरण ४१—निम्न लाभालाभ खाता एक चीनी फैक्टरी का है। जो गन्ना प्रयोग किया गया है उसमें कम्पनी के खेतों में उत्पन्न किया हुआ गन्ना भी है जिसको उत्पन्न करने का १५०००० रु० व्यय है और जिनका बाजार मूल्य १६०,००० रु० है। चीनी के उत्पादन के व्यय में ४००,००० रु० उत्पाद-कर (Excise Duty) है। तथा उसमें ५०,००० रु० वैज्ञानिक अन्वेषण को पूँजी-व्यय १०,००० रु० अन्वेषण का व्यय सम्मिलित है। स्थापन-व्यय (Establishment Charges) में कर्मचारियों के अप्रामाणित प्राविडेन्ट फन्ड का चन्दा २००० रु० सम्मिलित है। अन्य साधारण व्यय में एक स्थानीय विद्यालय को दिया हुआ ३००० रु० चन्दा तथा एक अस्पताल, जहाँ पर कर्मचारियों की दवा मुफ्त होती है, में दिया हुआ २००० रु० का चन्दा सम्मिलित है। ५०० रु० की चीनी एक अनाथालय को मुफ्त दी गई।

लाभालाभ खाता

	रु०		रु०
चीनी का प्रारम्भिक स्टॉक	१,५०,०००	बिक्री	२५,००,०००
गन्ने का मूल्य	१३,००,०००	अन्य आय	५,०००
चीनी-उत्पादन व्यय	७,००,०००	चीनी का अन्तिम स्टॉक	३,००,०००
मरम्मत	२५,०००		
स्थापन-व्यय (Estab.Exp.)	३५,०००		
बिक्री पर कमीशन	५०,०००		
अन्य साधारण व्यय	२०,०००		
डाइरेक्टर फीस	२,०००		
आडिटर फीस	२,०००		
मैनेजिंग एजेन्ट का कमीशन	७५,०००		
ह्रास	१२१,०००		
शुष्क लाभ	३,२५,०००		
	२८,०५,०००		२८,०५,०००
कर के लिए संचय	८०,०००	शुष्क लाभ	३,२५,०००
संचय कोष	२०,०००		
शुष्क लाभ	२,२५,०००		
	३,२५,०००		३,२५,०००

करदेय लाभ

शुष्क लाभ		रु० ३,२५,०००
जोड़ा ऐसा व्यय जिस पर छूट नहीं मिलती—		
अपने खेत के गन्ने का उत्पादन मूल्य	रु० १,५०,०००	
वैज्ञानिक अन्वेषण का पूँजी व्यय ⅘	४०,०००	
विद्यालय तथा अस्पताल का दिया हुआ चन्दा	५,०००	
अनाथालय को दी हुई चीनी	५००	१,९५,५००
		५,२०,५००
घटाया अपने खेत का बाजार मूल्य		१,९०,०००
करदेय लाभ		३,३०,५००

५,५०० रु० चन्दा पर औसत-दर से छूट मिलेगी।

उदाहरण ४२—एक चाय की कम्पनी का लाभालाभ खाता निम्न है—

	रु०		रु०
प्रारम्भिक स्टॉक	२,००,०००	चाय की बिक्री	८,००,०००
उपज तथा उत्पादन व्यय	४,२५,०००	अन्य आय	५०,०००
गाड़ी भाड़ा	२५,०००	चाय का अन्तिम स्टॉक	१,५०,०००
कमीशन तथा दलाली	४०,०००		
अन्य व्यय	१५,०००		
आडिट फीस	१,०००		
डाइरेक्टर फीस	२,०००		
ब्याज	२,०००		
ऋण-पत्र पर ब्याज	३०,०००		
बोनस	४,०००		
आय कर	१५,०००		
ह्रास	४०,०००		
शुष्क लाभ	२,०१,०००		
	१०,००,०००		१०,००,०००

उपज तथा उत्पादन व्यय में १,२५,००० रु० मकान बनाने तथा खेत खरीदने का मूल्य सम्मिलित है। अन्य व्यय में १००० रु० दान का है। ह्रास ३५,००० रु० ही नियमानुसार होना चाहिए।

		रु० २,०१,०००
शुष्क लाभ		
जोड़ा ऐसा व्यय जिस पर छूट नहीं मिलती—		
पूँजी-व्यय	१२५,०००	
दान	१,०००	
आय कर	१५,०००	
अधिक ह्रास	५,०००	१,४६,०००
		३४७०००
३४७००० रु० ६०% कृषि आय घटाया		२०८२००
कर देय आय		१३८८००

उदाहरण ४३—एक रजिस्टर्ड फर्म में 'क', 'ख' तथा 'ग' साझेदार हैं। उस फर्म को पिछले वर्ष १५००० रु० की हानि हुई है। इस वर्ष 'क' फर्म से हट गया और उसकी जगह पर 'घ' साझेदार हुआ।

ऐसी परिस्थिति में 'क' फर्म की हानि का अपना हिस्सा अपनी अन्य आय में प्रतिसाद (Set off) कर सकता था जिस वर्ष में हानि हुई थी। इस वर्ष वह उस हानि का अपनी अन्य आय में प्रतिसाद नहीं कर सकता क्योंकि वह साझेदार नहीं है। 'क' के हिस्से की हानि को 'ख', 'ग' या 'घ' अपनी आय में अथवा फर्म की आय में प्रतिसाद नहीं कर सकते। 'ख' तथा 'ग' अपने-अपने हिस्से की हानि को अपनी अन्य आय में प्रतिसाद कर सकते हैं।

यदि यह फर्म रजिस्टर्ड नहीं हो तो फर्म १०,००० रु० की हानि ('क' का हिस्सा छोड़ कर) को अगले वर्ष की आय में प्रतिसाद कर सकता है।

उदाहरण ४४—एक व्यापार ने १००,००० रु० की एक मशीन १९४७ जनवरी में खरीदा जिस पर १०% ह्रास-दर है। १९४८-४९ में २५०० रु० का ह्रास अविलयित (Unexhausted) रह गया है। मशीन का सदा दो शिफ्ट में प्रयोग किया गया है, केवल १९४८ में ५० दिनों के लिए तीन शिफ्ट में काम किया गया है। व्यापार में १९४८ में ८००० रु० का लाभ तथा १९४९ में १५००० रु० की हानि हुई। यह लाभ तथा हानि ह्रास काटे हुई है।

१९४८-४९ मशीन का मूल्य (१९४७ जनवरी)		रु० १००,०००
घटाया प्रारम्भिक ह्रास २०%	२०,०००	
,, साधारण ह्रास १०%	१०,०००	
,, दो शिफ्ट का ह्रास (५०%)	५,०००	१५,०००
कुल ह्रास	३५,०००	८५,०००

१४४९–५० मशीन का ह्रासित मूल्य		रु० ८५,०००
घटाया साधारण ह्रास १०%	८,५००	
,, दो शिफ्ट ह्रास २५० दिनों का (५०%)	३,५४२	
,, तीन शिफ्ट ,, ५० ,, (१००%)	१,४१७	
,, अविलयित ह्रास	२,५००	
कुल ह्रास	१५,९५९	

१९४८ का लाभ केवल ८००० रु० है और ह्रास १५९५९ रु० है इसलिए ७९५९ रु० अविलयित ह्रास हुआ। १९४९ की हानि १५००० रु० है। इसलिए पहले १५००० रु० की हानि को ही भविष्य के छः वर्षों तक के लाभ में प्रतिसाद (setoff) किया जायगा और अगले वर्ष का ह्रास तथा ७९५९ रु० अविलयित ह्रास दोनों को कभी भी लाभ अधिक होने से प्रतिसाद किया जा सकता है।

उदाहरण ४५—श्री राममोहन का लाभालाभ खाता निम्न है—

	रु०		रु०
वेतन	३५,०००	सकल लाभ	२८०,०००
कर्मचारियों की विधवाओं को	५,०००	मशीन बेचने पर लाभ	४०,०००
डाकव्यय तथा कागज	१,०००		
कमीशन (गुप्त रूप से दिया गया)	८,०००		
पटना विश्वविद्यालय को चन्दा	६,०००		
किराया	४,०००		
कर्मचारियों के प्राविडेन्ट फन्ड में चन्दा	८,०००		
प्रतिभूतियों के बेचने पर हानि	५०,०००		
पूँजी पर व्याज	३,०००		
शुध्द लाभ	१००,०००		
	३,२०,०००		३,२०,०००

जो मशीन बेंची गई उसका क्रयमूल्य ६०००० रु० था और उसका वर्त्तमान ह्रासित मूल्य ३०००० रु० था। राममोहन तथा उसकी पत्नी दोनों का एक साझे

का व्यापार है जिसका लाभ ३०,००० रु० है। इस फर्म की कुल पूँजी राममोहन ने दिया है और दोनों लाभ बराबर बराबर बाँटते हैं। राममोहन ने कुछ सम्पत्ति अपनी स्त्री के नाम लिख दिया है जिसकी आय ५००० रु० है। और कुछ सम्पत्ति अपने नाबालिग लड़कों के नाम लिख दिया है जिसकी आय ८००० रु० है।

शुष्क लाभ		रु० १००,०००
जोड़ा ऐसा व्यय जिस पर छूट नहीं मिलती—		
गुप्त कमीशन	८,०००	
प्रतिभूतियों की हानि	५०,०००	
पूँजी पर व्याज	३,०००	६१,०००
		१६१,०००
घटाया मशीन बेचने का लाभ (पूँजी लाभ)		१०,०००
व्यापार का लाभ		१५१,०००

नोट—मशीन का वर्त्तमान मूल्य ३०,००० रु० था। इसको ७०००० रु० में में बेचने से ४०००० रु० का लाभ हुआ। उसका क्रयमूल्य ६०,००० रु० है। इसलिए १०,००० रु० पूँजी है।

राममोहन की कुल आय—	
व्यापार से	रु० १,५१,०००
साझे से	१५,०००
अन्य आय—	
पत्नि का साझे का लाभ	१५,०००
सम्पत्तियों से आय	१३,०००
कुल करदेय आय —	१९४,०००

नोट १—६००० रु० चन्दा पर औसत-दर से छूट मिलेगी

२—जो आय पत्नी तथा पुत्रों को इस प्रकार होती है उस पर स्वयं कर देना पड़ता है। यह सम्पत्ति उनके नाम कर (Tax) बचाने के लिए तथा साझा भी, कर (Tax) बचाने के लिए किया गया था।

उदाहरण ४६—श्री रामलखन तथा श्रीमती रामलखन के व्यापार के लाभा-लाभ खाता निम्न है—

वेतन	रु० २८,०००	सकल लाभ	रु० १२०,०००
व्यापार-व्यय	८,०००	प्रतिभूतियों पर व्याज	३०,०००
डाक व्यय	३,०००		
किराया	७,०००		
मरम्मत	४,०००		
छलहरण (Embezzlement)	६,०००		
बोनस	४,०००		
कमीशन	६,०००		
शुष्क लाभ			
श्री रामलखन	४२ ०००		
श्रीमती रामलखन	४२,०००		
	१५०,०००		१५,००००

उन लोगों ने अपनी कुछ सम्पत्ति तथा उसकी आय अपने एक मात्र पुत्र (जिसकी आयु २० वर्ष है और जो अपना अलग व्यापार करता है) के नाम कर दिया है जिससे उसे ८००० रु० की आय है।

शुष्क लाभ—	रु० ८४,०००
जोड़ा ऐसा व्यय जिस पर छूट नहीं मिलती	—
	८४,०००
घटाया ऐसी आय जो व्यापार की नहीं है	३०,०००
व्यापार की आय	५४,०००

श्री रामलखन की आय

१. व्यापार की आय (अपना हिस्सा)	रु० २७,०००
२. प्रतिभूतियों पर व्याज (½)	१५,०००
३. अन्य आय—	
(अ) स्त्री की आय व्यापार से	२७,०००
(आ) ,, ,, व्याज से	१५,०००
	८४,०००
घटाया उपार्जित आय	४,०००
करदेय आय	८०,०००

नोट—इस ८००० रु० पर उसे कर नहीं देना होगा बल्कि उसका पुत्र अपने व्यापार की आय तथा ८००० रु० पर कर देगा। स्त्री की आय अलग नहीं समझी जायगी।

उदाहरण ४७—एक फर्म में 'क', 'ख' तथा 'ग' तीन साझेदार हैं जो लाभ-लाभ को ३ : ३ : २ के अनुपात में बाँटते हैं। १६४६ में फर्म में २४००० रु० की हानि हुई। उस वर्ष 'ग' को २००० रु० वेतन तथा 'क' और 'ख' को पूँजी पर क्रमशः २००० रु० तथा ४००० रु० ब्याज दिया गया है।

'क' की अन्य आय ८००० रु० की है। 'ख' और 'ग' की कोई अन्य आय नहीं है।

(१) यदि फर्म रजिस्टर्ड हो—

हानि		रु० २४,०००
घटाया—		
पूँजी पर ब्याज	रु० ६०००	
वेतन	२०००	८,०००
हानि		१६,०००

	'क'	'ख'	'ग'
	रु०	रु०	रु०
पूँजी पर ब्याज	२,०००	४,०००	—
वेतन	—	—	२,०००
	२,०००	४,०००	२,०००
घटाया हानि	३,७५०	३,७५०	२,५००
व्यापार की आय	−१,७५०	+२५०	−५००

'ख' तथा 'ग' को कर नहीं देना पड़ेगा। 'क' को ६२५० पर कर देना होगा।

(२) यदि फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो 'क' की हानि उसकी अन्य आय में से नहीं घटाई जायगी। उसे ८००० रु० पर कर देना होगा।

उदाहरण ४८—एक फर्म में 'क' तथा 'ख' दो बराबर के साझेदार हैं। इस फर्म को ३१ मार्च १६५० तक के वर्ष की हानि ५०,००० रु० हुई। इस हानि में 'क' की पूँजी पर दिया हुआ ब्याज ८००० रु० तथा सम्पत्ति की हानि ६०,००० रु० सम्मिलित है।

'क' को अपनी सम्पत्ति से २०,००० रु० की आय हुई है तथा 'ख' को अपने

निजी व्यापार से (जो ३१ मार्च १९४९ में बन्द हो गया था) पिछले वर्ष की हानि ३०,००० रु० की है।

व्यापार का लाभ (९०,००० – ५०,०००)	रु० ४०,०००
जोड़ा व्याज पूँजी पर	८,०००
	४८,०००
घटाया व्यापार की सम्पत्ति से हानि	९०,०००
हानि	४२,०००

	'क'	'ख'
	रु०	रु०
पूँजी पर व्याज	८,०००	—
व्यापार का लाभ	२०,०००	२०,०००
	२८,०००	२०,०००
घटाया सम्पत्ति की हानि	४५,०००	४५,०००
व्यापार की हानि	१७,०००	२५,०००

यदि फर्म रजिस्टर्ड होगा तो 'क' व्यापार की हानि को अपनी सम्पत्ति की आय से घटा कर शेष ३००० रु० पर कर देगा। ३००० रु० पर कर नहीं लगेगा। 'ख' अपनी भविष्य की आय से केवल २५००० रु० को प्रतिसाद (Set off) कर सकता है। अपने निजी व्यापार की हानि को अब नहीं प्रतिसाद कर सकता क्योंकि व्यापार बन्द हो चुका है।

यदि फर्म रजिस्टर्ड नहीं होगा तो फर्म के भविष्य की आय से ही इस वर्ष की हानि को प्रतिसाद किया जा सकता है। 'क' को अपनी सम्पत्ति की कुल आय पर कर देना होगा।

उदाहरण ४९—'अ' और 'ब' के फर्म को निम्न आय है—

(१) व्याज की आय		रु० ३०,०००	
घटाया 'अ' को व्याज दिया	८,०००		
,, 'ब' ,, ,, ,,	४,०००	१२,०००	रु० १८,०००
(२) एक फैक्टरी के मैनेजिंग एजेन्ट से कमीशन		३४,०००	
घटाया एक दूसरे व्यक्ति को एक प्रसंविदानुसार कमीशन दिया गया		३४,०००	
(३) फाटका बाजार की हानि		१२,०००	
जोड़ा 'अ' को कमीशन दिया गया		६,०००	१८०००
कुल आय			

किन्तु ३४००० रु० कमीशन उस वर्ष में नकद मिला है और शेष उसी वर्ष का कमीशन अगले वर्ष में २४००० रु० मिला है जिसे फर्म ने अगले वर्ष की आय करके लिखा है।

साझेदारों के निजी पास बुक में १०,००० रु० प्रत्येक के नाम से जमा है जिसके बारे में उनका कहना है कि वे अपने घर का गहना बेच कर जमा किये हैं परन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं दे सकते।

साझे की आय—

(१) ब्याज की आय		रु० ३०,०००
(२) मैनेजिंग एजेन्सी का कमीशन		
(३४०००+२४०००)	रु० ५८,०००	
घटाया जो दूसरे को देना पड़ा	३४,०००	२४,०००
(३) गुप्त आय (पासबुक की रकम)		२०,०००
		७४,०००
घटाया फाटका बाजार की हानि		१२,०००
कुल आय		६२,०००

उदाहरण ५०—'क', 'ख' तथा 'ग' के फर्म का वार्षिक खाता ३० जून को बन्द होता है। ३० जून १९४८ तक के वर्ष में २४००० रु० लाभ हुआ। और ३० जून १९४९ तक के वर्ष में ३६००० रु० लाभ हुआ। 'क' १ जनवरी १९५० को फर्म से हट गया और 'घ' नया साझेदार हुआ।

१९४८ के लाभ पर 'क', 'ख' तथा 'ग' को कर देना होगा और १९४९ के लाभ पर छः महीने की आय पर 'क', 'ख' तथा 'ग' कर देंगे और शेष छः महीने की आय पर 'ख' 'ग' तथा 'घ' कर देंगे—

	क	ख	ग	घ
३० जून १९४८	रु०	रु०	रु०	रु०
आय २४००० रु०	८,०००	८,०००	८,०००	—
३० जून १९४९				
आय ३६००० रु०				
पहले छः महीने की आय	६,०००	६,०००	६,०००	
पिछले छः महीने की आय	—	६,०००	६,०००	६,०००
कुल आय—	६,०००	१२,०००	१२,०००	६,०००

उदाहरण ५१—'क', 'ख' तथा 'ग' एक रजिस्टर्ड फर्म में साझेदार हैं। ३१ दिसम्बर १६४६ तक के वर्ष की हानि ३०,००० रु० है जिसमें 'ख' की पूँजी पर ३,००० रु० व्याज सम्मिलित है। 'क' की अन्य आय ४,००० रु० तथा 'ख' को ३,००० रु० की है। 'ग' को एक निजी व्यापार की हानि २००० रु० की है।

३१ दिसम्बर १६५० तक के वर्ष में फिर १८००० रु० की हानि हुई। १ अप्रैल १६५० को 'क' साझे से हट गया और 'घ' उसकी जगह पर साझेदार हुआ।

१९४९-५० की आय—

	क	ख	ग
	रु०	रु०	रु०
पूँजी पर व्याज	—	३,०००	—
अन्य हानि	−१०,०००	−१०,०००	−१०,०००
व्यापार की हानि	१०,०००	७,०००	१०,०००
अन्य आय घटाया	४,०००	३,०००	—
कुल हानि	६,०००	४,०००	१०,०००

'क' तथा 'ख' अपनी आय से इस हानि की पूर्ति कर सकते हैं। 'ग' अपने निजी व्यापार की हानि इसमें नहीं जोड़ सकता। हानि की पूर्ति के लिए इस फर्म के अगले छः वर्षों का लाभ होगा।

१९५०-५१ की आय—

	क	ख	ग	घ
	रु०	रु०	रु०	रु०
तीन महीने की हानि	१,५००	१,५००	१,५००	—
शेष ६ महीने की हानि	—	४,५००	४,५००	४,५००
कुल हानि	१,५००	६,०००	६,०००	४,५००

'क' अपनी हानि को भविष्य में प्रतिसाद (Set off) नहीं कर सकता।

उदाहरण ५२—एक रजिस्टर्ड फर्म में 'क', 'ख' तथा 'ग' बराबर के साझेदार हैं। फर्म के ३१ मार्च १६५० तक के वर्ष में ५०,००० रु० का लाभ हुआ। इस लाभ में पूँजी पर 'क' तथा 'ख' को २००० रु० तथा १००० रु० व्याज और 'ग' के चालू खाता पर लिया हुआ व्याज ५०० रु० सम्मिलित है। 'क' की अन्य आय ४००० रु०, 'ख' को १००० रु० तथा 'घ' का २००० रु० है। 'क' ३० सितम्बर १६४६ को साझे से हट गया और उसकी जगह 'घ' साझेदार हुआ।

व्यापार का लाभ—

लाभ	रु० ५०,०००
जोड़ा व्याज 'क' तथा 'ख' का	३,०००
	५३,०००
घटाया 'ग' से लिया हुआ व्याज	५००
कुल लाभ	५२,५००

	क	ख	ग	घ
	रु०	रु०	रु०	रु०
पूँजी पर व्याज	२,०००	१,०००	—	—
चालू खाता पर व्याज	—	—	—५००	—
व्यापार का लाभ (छः महीने का)	७,६१६॥=)८	७,६१६॥=)८	७,६१६॥=)८	—
व्यापार का लाभ (छः महीने का)	—	८,७५०	८,७५०	८,७५०)
व्यापार की कुल आय	९,९१६॥=)८	१७,६६६॥=)८	१६,१६६॥=)८	८,७५०)

कुल आय—

	क	ख	ग	घ
	रु०	रु०	रु०	रु०
व्यापार की आय	९,९१७	१७,६६७	१६,१६७	८,७५०
अन्य आय	४,०००	१,०००	—	२,०००
कुल आय	१३,९१७	१८,६६७	१६,१६७	१०,७५०

अध्याय ६

अन्य आय

(OTHER SOURCES)

पिछले अध्यायों में हमने उन आयों का उल्लेख किया है जो ऐक्ट में अलग-अलग शीर्षक में करदेय हैं अर्थात् (१) वेतन (२) व्याज (३) सम्पत्ति की आय (४) व्यापार का लाभ। परन्तु कुछ ऐसी आय भी हो सकती है जो इन चारों में से किसी शीर्षक में समाविष्ट नहीं है और जिस पर कर लगता है। ऐसी आय को अन्य आय कहते हैं।

अन्य आय का अर्थ—अन्य आय में निम्न प्रकार की आय सम्मिलित है—

(१) बैंक में जमा किए हुए रुपये पर व्याज

(२) लाभांश (Dividend)

नोट—लाभांश का वर्णन अध्याय ३ में ही कर दिया गया है क्योंकि लाभांश भी प्रतिभूतियों के व्याज की तरह होता है।

(३) मकान का कुछ अंश पुनः किराये (Sublet) में देना।

(४) परीक्षा का पारिश्रमिका।

(५) अधिकार शुल्क (Royalty) की आय।

(६) जमींदारी की ऐसी आय जो कृषि आय नहीं हो।

(७) संघ, साझा (फार्म), क्लब (Club) इत्यादि के जारी किए हुए ऋण-पत्र (Debenture) की आय।

(८) बस्ती ज़मीन की आय, हाट, बाजार, घाट की आय।

(९) वसीयत नामा (Will) द्वारा मिली हुई वार्षिक-वृत्ति (Annuity)

(१०) जमीन का किराया (Ground Rent)।

(११) डाइरेक्टर की फीस, कमीशन इत्यादि।

(१२) किसी विदेशी सरकार से मिला हुआ वेतन तथा पेन्शन।

(१३) करदेय प्रदेश (Taxable Territory) में रहने वाली पत्नी की वह रकम जो उसके पति से मिलती है जो स्वंय करदेय प्रदेश के बाहर रहता है।

(१४) प्लान्ट मशीन तथा फर्नीचर का किराया।

नोट—इस किराया की आय में से उस सम्पत्ति का ह्रास, बीमा, तथा मरम्मत का व्यय घटा दिया जाता है।

उपर्युक्त किसी भी प्रकार की आय में से उस आय के उपार्जन में जो कुछ भी व्यय करना पड़े उसे उसी आय में से घटा दिया जाता है।

विश्व की कुल आय (Total World Income)—विश्व की कुल आय जानने की आवश्यकता केवल विदेशी पर कर लगाते समय पड़ती है। उसको विश्व भर में कहीं से कोई करदेय आय हुई हो तो उसको जोड़ कर निकाल लिया जाता है। इसी विश्व की कुल आय के आधार पर उनसे कर लगाया जाता है।

विदेशियों को भी दो कोटि में विभाजित किया गया है—

(१) भारतीय नागरिक (Citizen of India) या ब्रिटिश प्रजा (British Subject)। ऐसे विदेशियों के विश्व की कुल आय निकाल ली जाती है और उसी के आधार पर उनसे कर लगाया जाता है। उनकी आय में से ४,५०० रु० की वैधिक छूट नहीं मिलती क्योंकि यह छूट केवल निवासियों की विदेशी आय पर मिलती है।

उदाहरण ५३—एक ऐसे विदेशी को जो ब्रिटिश प्रजा है ५०० रु० भारतीय आय है और ४५०० रु० उसे विश्व की अन्य आय है।

विश्व की कुल आय	=रु० ५,०००
५००० रु० पर आयकर	=रु० १६४—१

इसलिए ५०० रु० (भारतीय आय) पर कर $= \frac{५०० \times १६४-१}{५०००}$

आय कर = १६ रु० — ७ आ०

(२) अन्य विदेशी—उसे अपनी करदेय आय पर अधिकतम कर-दर के अनुसार कर देना पड़ता है, चाहे उसकी आय कितना भी कम क्यों न हो। उसका विश्व की कुल आय नहीं निकालना पड़ता।

कुल आय (Total Income)—कुल आय पर प्रत्येक निवासी को कर देना पड़ता है। कुल आय में पिछले अध्यायों में वर्णन की हुई पाँचों प्रकार की आय सम्मिलित होती है। उनके अतिरिक्त निम्न प्रकार की आय भी सम्मिलित की जाती हैं।

(१) सम्पत्ति का हस्तान्तरण (Transfer of Assets)—यदि कोई सम्पत्ति अपनी पत्नी अथवा अपने नाबालिग पुत्रों के नाम हस्तान्तरित कर दी जाय तो उस सम्पत्ति की आय भी हस्तान्तरण करने वाले की आय में जोड़ दी जाती है। किन्तु यदि यह हस्तान्तरण किसी अन्य व्यक्ति के नाम से या अपने बालिग पुत्र के नाम से किया गया है तो (१) यदि यह हस्तान्तरण प्रत्यादेश्य (Revocable) हो तो उस सम्पत्ति की आय हस्तान्तरण करने वाले व्यक्ति की आय में जोड़ कर (Tax) लगाया जाता है। किन्तु यदि यह हस्तान्तरण (अ) छः वर्षों तक प्रत्यादेश्य न हो और उसकी आय स हस्तान्तरण करने वाले को किसी प्रकार का लाभ न हो, या (आ) जिसके नाम से हस्तान्तरण किया गया है उसके जीवनकाल में यदि इस हस्तान्तरण का प्रत्यादेश नहीं किया जा सकता, तो उस हस्तान्तरित सम्पत्ति की आय को हस्तान्तरण करने वाले की आय में नहीं जोड़ा जाता है। (२) यदि यह हस्तान्तरण अप्रत्यादेश्य (Irrevocable) हो तो उसकी आय हस्तान्तरण करने वाले की आय में नहीं जोड़ी जाती।

(२) बेनामी लेन-देन (Benami Transaction)—बेनामी का यह अर्थ है कि कोई लेन-देन बिना असल लेन-देन करने वाले का नाम लिखे (बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के नाम से लेन-देन कर लेना) हो जिससे उस लेन-देन की आय पर कर नहीं देना पड़े। ऐसे लेन-देन की आय भी असली व्यक्ति की आय में ही जोड़ी जाती है। इसके लिए इनकम् टैक्स अफ़सर वास्तविक व्यक्ति का पता चलाता है।

(३) पत्नी की आय—यदि किसी करदाता (Assessee) की पत्नी को निम्न किसी ढंग से आय हुई हो तो उस आय को भी उसी व्यक्ति की आय में जोड़ दिया जाता है— (क) करदाता के साथ साझे में व्यापार करने के लाभ को। (ख) किसी सम्पत्ति के हस्तान्तरण करने से जो आय हो। किन्तु यदि वह पत्नी अपने पति से अलग रहती हो या उसने अपने पास के रुपये से कोई सम्पत्ति खरीदी हो तो ऐसी आय को पति की आय में नहीं जोड़ा जाता। पत्नी की किसी अन्य आय की जैसे डाक्टरी करने से, या मास्टरी करने से, गाने से, बीमा की एजेन्सी करने से, पति की आय में नहीं जोड़ा जाता।

(४) नाबालिग पुत्रों की आय—यदि किसी करदाता के नाबालिग पुत्रों को किसी निम्न ढंग से आय हो तो उसे भी पिता की आय में जोड़ा जाता है—

(क) पिता के साथ नाबालिग पुत्र (या पुत्री) का साझे में व्यापार करने की आय। (ख) नाबालिग पुत्र (या पुत्री जिसकी शादी नहीं हुई हो या जो नाबालिग हो) के नाम हस्तान्तरित की हुई सम्पत्ति की आय। किन्तु जब पुत्र (या पुत्री) बालिग हो जाता है तो उस सम्पत्ति की आय उसी पुत्र (या पुत्री) की आय समझी जाती है।

(५) तृतीय पक्ष के नाम हस्तान्तरित सम्पत्ति (Transfer of Asset to Third Parties)—यदि किसी तृतीय पक्ष या अन्य व्यक्ति या संघ के नाम कोई सम्पत्ति हस्तान्तरित कर दी जाय तो उसकी आय नहीं जोड़ी जाती। किन्तु कोई व्यक्ति ऐसा हस्तान्तरण अपनी स्त्री या नाबालिग बच्चों के लाभार्थ करता है तो उस सम्पत्ति की आय भी उसकी अन्य आय में जोड़ी जाती है।

(६) सम्पत्ति का विदेश में हस्तान्तरण करना—जब कोई सम्पत्ति किसी विदेशी या किसी असाधारण निवासी के नाम हस्तान्तरण की जाती है जिससे कर न देना पड़े तो इनकम् टैक्स अफसर उस सम्पत्ति की आय भी जोड़ सकता है।

ऐसा पद (Clause) इसलिए रखा गया है कि यदि कोई धनी व्यक्ति अपनी सम्पत्ति किसी विदेशी कम्पनी के नाम कर दे (जिस कम्पनी का एकमात्र मालिक वह स्वयं हो) और उस कम्पनी से ऋण ले-लेकर आय वसूल किया करे तो उसकी आय भी कर से न बचने पावे। असली व्यापारी को ऐसी आय पर कर नहीं देना पड़ता।

(७) बान्ड वाशिंग (Bond Washing)—कभी-कभी ऐसा होता है कि प्रतिभूतियों पर ब्याज मिलने से कुछ दिन पहले या शेयरों पर लाभांश मिलने से जरा पहले प्रतिभूतियों या शेयरों को लाभ-सहित (Cum-dividend) बेच दिया जाता है और फिर ब्याज या लाभांश मिल जाने पर उसी प्रतिभूति को पुनः खरीद लिया जाता है। ऐसा करने से ब्याज या लाभांश पर कर नहीं लगने पाता क्योंकि यह आय प्रतिभूतियों को खरीदने वाले को मिलती है। लाभ-सहित प्रतिभूतियों को बेचने से जो अधिक दाम मिलता है वह पूँजी-लाभ है जिस पर कर नहीं लगता। फिर उसको खरीद लेने से विक्रेता को कम दाम देना पड़ता है क्योंकि वह लाभ-रहित (Ex-dividend) खरीदता है। इस प्रकार उसको लाभ भी होता है और इस लाभ पर (पूँजी-लाभ होने के कारण) उसे कर भी नहीं देना पड़ता।

इस प्रकार के क्रय-विक्रय को बान्ड-वाशिंग कहते हैं।

परन्तु इनकम् टैक्स अफसर को यह अधिकार है कि जब प्रतिभूतियों को पुनः खरीदा जाय तो उस पर का मिला हुआ ब्याज या लाभांश विक्रेता की आय में ही जोड़ ले और खरीदने वाले की आय में उसको न जोड़े। इस क्रय-विक्रय की पूर्ण खबर इनकम् टैक्स अफसर को माँगने पर देना पड़ता है नहीं तो देर करने पर प्रतिदिन ५०० रु० तक का जुर्माना हो सकता है।

उदाहरण ४४—'क' को निम्न आय होती है—वेतन ७००० रु०, मकान भाड़ा ७०० रु०, कर मुक्त प्रतिभूतियों की आय ६०० रु०, कर-युक्त प्रतिभूतियों की आय ८०० रु०, सरकारी बान्ड से ६४० रु०, वार लोन (War-Loan) कर मुक्त से

४०० रु०, मकान से ६०० रु०, निवासगृह का मूल्य २०० रु०, फर्म का हिस्सा २००० रु०, हिन्दू अविभाजित परिवार से २५०० रु०, डाइरेक्टर-फीस १००० रु०, विश्वविद्यालय परीक्षा से १०० रु० । लाभांश ४२०० रु०

आय के सूत्र (Sources)	रु०	रु०
१. वेतन—		
वेतन	७,०००	
मकान भाड़ा	७००	
	७,७००	
घटाया ⅕ उपार्जित आय	~~१,५४०~~ १,४८०	६,३२०
२. प्रतिभूतियों का व्याज—		
करमुक्त प्रतिभूतियाँ		८००
कर युक्त ,,		८००
,, ,, सरकारी बान्ड		६४०
करमुक्त वार लोन	(छूट मिलेगी)	४००
३. सम्पत्ति की आय—		
किराया	६००	
घटाया मरम्मत ⅙	१००	५००
निवासगृह	२००	
घटाया मरम्मत ⅙	३३	१६७
४. व्यापार का लाभ	२,०००	
घटाया उपार्जित आय ⅕	४००	१,६००
५. अन्य आय—		
डाइरेक्टर फीस	१,०००	
विश्वविद्यालय परीक्षा	१००	
	१,१००	
घटाया ⅕ उपार्जित आय	२२०	८८०
लाभांश	५,६००	५,६००
कुल आय		१७,५४७

अध्याय ७

व्यवहारात्मक दृष्टिकोण से आय-कर

(INCOME TAX FROM PRACTICAL POINT OF VIEW)

खाता-बही लिखने की विधि—ऐक्ट में खाता बही लिखने की विधि निश्चित नहीं की गई है। खाता-बही लिखने के सम्बन्ध में केवल निम्न दो बातें ऐक्ट में उल्लिखित हैं—

(क) खाता-बही लिखने का ढंग ऐसा हो कि उससे पिछले वर्ष की आय ठीक-ठीक मालूम हो जाय, तथा

(ख) एक ही ढंग से खाता-बही को सदा लिखना चाहिए।

यदि खाता-बही सुचारु रूप से नहीं लिखी गई हो जिससे लाभ का ठीक-ठीक पता चले तो इनकम टैक्स अफसर को यह अधिकार है कि अपने अनुभव के अनुसार कर लगा दे। किन्तु केवल इसलिए कि खाता-बही का लेखा जटिल (Complicated) है इन्कम टैक्स अफसर उसको अस्वीकार नहीं कर सकता। हाँ, यदि खाता-बही से आय स्पष्ट नहीं विदित होती हो तब इनकम् टैक्स अफसर करदाता (Assessee) की आय का अनुमान लगाता है। अनुमान लगाने के लिए भी उसको कोई आधार चाहिए। यह आधार पिछले वर्ष की आय हो सकती है अथवा उसकी खाता-बही के आंकड़े हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में करदाता को उसी अनुमानित आय पर कर देना होगा।

यदि करदाता खाता-बही लिखने के ढंग में परिवर्तन करना चाहता है तो उसे इनकम् टैक्स अफसर की अनुमति ले लेना चाहिए। इनकम् टैक्स अफसर को जब यह विश्वास हो जाता है कि इस ढंग के परिवर्तन से कर में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा तथा ढंग में परिवर्तन करने का कारण कर बचाने का नहीं है तब वह अपनी अनुमति दे देता है।

इस देश में खाता-बही लिखने के तीन ढङ्ग हैं—

(१) रोकड़ विधि (Cash System)—इस विधि में केवल नक़द रुपया पाने तथा देने का ही लेखा होता है। उधार लेन-देन का लेखा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए इस विधि से लाभ का ठीक-ठीक पता नहीं चलता। डाक्टर, वकील, अथवा एकाउन्टेन्ट (Accountant) इस विधि को प्रायः अपनाते हैं क्योंकि उनका लेन-देन प्रायः नक़दी ही होता है। स्कूल, क्लब, इत्यादि के लिए भी यह विधि ठीक है। यदि कोई छोटा व्यापारी इस विधि से अपनी बही लिखता है तो उसके माल के स्टॉक का प्रारम्भिक तथा अन्तिम शेष भी जानना आवश्यक होगा जिससे उसका लाभ मालूम हो।

(२) व्यापारिक खाता विधि (Mercantile Accountancy System)—इस विधि में नकद तथा उधार दोनों प्रकार के लेन-देन का लेखा होता है। इससे लाभालाभ (Profit and Loss) खाता भी तैयार किया जा सकता है। जिस ता० को लेन-देन होता है उसी ता० को बहियों में लेखा कर दिया जाता है चाहे रुपया कभी मिले। इससे ऐसी आय या व्यय का भी लेखा हो जाता है जो उधार हो। इस विधि से व्यापार का असल लाभ मालूम हो जाता है।

(३) मिश्रित विधि (Mixed System or Hybrid System of Accounting)—उपर्युक्त दोनों विधियों को किसी प्रकार से मिश्रित करने को मिश्रित विधि कहा जा सकता है ; जैसे, माल के क्रय-विक्रय का लेखा व्यापारिक खाता विधि से किया जाय और आय-व्यय का लेखा रोकड़-विधि से किया जाय।

बहियों को अच्छी प्रकार रखने तथा उनके लेखों को ऑडिट (Audit) करा लेने से कर लगाने में बड़ी सुविधा होती है। धारा ३४ (Section 34) के अनुसार पिछले आठ वर्षों तक की बहियो को इनकम् टैक्स अफसर पुनः मांग कर जांच कर सकता है इसलिए आठ वर्षों की बहियों तथा रसीद इत्यादि को सुरक्षित रखना चाहिए।

कभी-कभी कोई व्यक्ति कोई भी बही नहीं लिखता और ऐसी परिस्थिति में इनकम् टैक्स अफसर अनुमान से कर लगा देता है।

यदि व्यापार-खाता-विधि से बहियों में लेखा किया गया हो तो अपनी आय का विवरण (Return) देते समय लाभालाभ खाता तथा आर्थिक चिट्ठा (Balance Sheet) की एक प्रति भी देना चाहिए। यदि रोकड़-विधि से बहियों में लेखा किया गया हो अथवा किसी अन्य ढंग से लेखा हुआ हो तो उस विधि की नाम तथा लाभ का विवरण देना चाहिए। कम्पनियों को ऑडिटर का रिपोर्ट भी देना पड़ता है।

कर का पेशगी शोधन (Advance Payment of Tax)

धारा १८ अ के अनुसार निम्न परिस्थितियों में कर को पेशगी दिया जा सकता है—

(१) ऐसी आय जिस पर आय देने वाला स्वयं कर नहीं काट लेता है।

(२) ऐसा करदाता जिसकी आय पिछले वर्ष ६००० रु० से अधिक थी।

(३) ऐसा करदाता जो अभी तक कर नहीं देता हो किन्तु वह अब समझता है कि उसकी आय ६००० रु० से अधिक होगी।

इस धारा के अनुसार एक नई योजना (Scheme) बनी है जिसे 'जब अर्जन तब शोधन' (Pay-as-you-earn) कहते हैं। जब आय होती है तो प्रत्येक तीन महीने पर कर जमा किया जाता है जिससे एक बार बहुत अधिक कर देने में असुविधा न होने पावे। जब सचमुच कर लगाया जाता है तब यह पेशगी जमा रकम यदि अधिक हो तो वापस मिल जाती है और यदि कम हो तो उतनी रकम देनी पड़ती है। जब पेशगी कर जमा किया जाता है तब उस पर सरकार २% प्रतिवर्ष की दर से व्याज देती है। इस व्याज को आय नहीं समझा जाता।

पेशगी कर अपनी आय का अनुमान लगाकर दिया जाता है। अपनी आय का अनुमान १५ मार्च के पहले बदलने का अधिकार करदाता को रहता है। यदि आय का अनुमान बदल जाय तो कमी या बेशी अगले किस्त में ठीक कर लिया जाता है।

पेशगी कर पिछले वर्ष की आय की रकम के आधार पर दिया जाता है। ऐसा करने में कोई हानि नहीं है। अपनी आय के अनुमान पर भी पेशगी कर दिया जा सकता है। किन्तु ऐसा करने में एक कठिनाई है। यदि अनुमान ८०% अशुद्ध हुआ (अर्थात् जितना कर सचमुच लगता है यदि उसका ८०% ही पेशगी कर जमा किया गया था), तब उसे उस कमी पर १ जनवरी से कर लगाने की तिथि तक ६% व्याज देना पड़ता है और यदि यह सिद्ध हो जाय कि कर दाता ने ऐसा जान बूझ कर किया था तो उस पर कमी के १½ गुना जुर्माना भी लग सकता है। इससे अच्छा यही है कि जो आय पिछले वर्ष हुई हो उसी के आधार पर इस वर्ष भी पेशगी कर जमा किया जाय।

पेशगी कर १५ जून, १५ सितम्बर, १५ दिसम्बर तथा १५ मार्च को जमा करना पड़ता है। परन्तु यदि करदाता का वर्ष ३१ दिसम्बर तथा ३० अप्रैल के मध्य में कभी खतम होता हो तो उसे केवल तीन किस्तों में ही पेशगी कर जमा करना पड़ता है, अर्थात् १५ सितम्बर, १५ दिसम्बर तथा १५ मार्च।

किन्तु किसी व्यापारी के वर्षों के आरंभ से यदि छः महीनों के बीच में किसी किस्त की तिथि पड़े तो वर्षों के आरंभ से छः महीना तथा १५ दिन के बाद जो तिथि पड़े, उस तिथि से उसकी किस्त आरंभ होगी। जैसे यदि किसी व्यापारी का वर्ष

१ अप्रैल को आरंभ होता है तो १ अप्रैल से छः महीना १५ दिन १६ अक्टूबर हुआ। उसकी किस्त १६ अक्टूबर से ही आरंभ होगी; १५ सितम्बर से नहीं होगी।

कर-निर्धारण (Assessment)—इनकम टैक्स अफ़सर कर निर्धारक (Assessor) है। उसे धारा २२ (१) के अनुसार पत्रों में एक साधारण नोटिस देना पड़ता है जिसमें उसके क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को अपनी अपनी आय का विवरण (Return) देने का आदेश रहता है। वह धारा २२ (२) के अनुसार भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को भी नोटिस देता है जिन्हें वह समझता है कि वे कर देय हैं।

आय का विवरण लिखने के लिये एक छपा हुआ फार्म इनकम टैक्स आफिस से मुफ्त मिलता है जिस पर प्रत्येक प्रकार की आय का विवरण लिख कर देना पड़ता है।

आय का विवरण साधारण नोटिस के प्रकाशित होने के ६० दिनों तक तथा वैयक्तिक नोटिस मिलने के ३० दिनों तक के भीतर दे देना चाहिये। यदि विवरण देने में कुछ छूट गया हो या कोई अशुद्धि हो गई हो तो उसे कर लगने के पहले कभी भी शुद्ध किया जा सकता है। नोटिस के बाद निश्चित दिनों के भीतर विवरण नहीं देने से असल कर के १½ गुना जुर्माना भी लगाया जा सकता है। किन्तु जिसकी आय ३५०० रु० से कम हो उस पर जुर्माना नहीं लगता। विदेशी के किसी प्रतिनिधि पर वैयक्तिक नोटिस देना आवश्यक है नहीं तो जुर्माना नहीं लग सकता। यदि कोई व्यक्ति वैयक्तिक नोटिस के मिलने पर भी विवरण नहीं देता है क्योंकि उसकी आय करदेय नहीं है तब उस पर केवल २५ रु० जुर्माना हो सकता है।

कर-निर्धारण दो प्रकार से होता है

(१) अस्थायी कर निर्धारण (Provisional Assessment)—धारा २३ (ब) के अनुसार इनकम टैक्स अफसर आय के आधार पर अस्थायी रूप से कर निर्धारित कर सकता है। एक साझेदार की आय पर जिसके फर्म की आय अभी निश्चित नहीं हो सकी है, अस्थायी कर लगाया जा सकता है। या अनधिकृत साझे की आय पर अस्थायी लगाया जा सकता है जब तक उसकी रजिस्ट्री नहीं हो जाती और उसने रजिस्ट्री के लिए अर्जी दिया है।

अस्थायी कर की अपील नहीं होती। इस कर को निश्चित तिथि के भीतर ही जमा कर देना चाहिए नहीं तो कर के बराबर ही जुर्माना लग सकता है। जब स्थायी कर लग जाता है तब इस जमा किए हुए कर की कमी-वेशी ली या दी जाती है।

(२) स्थायी कर (Regular Assessment)—धारा २३ के अनुसार स्थायी कर लगाया जाता है। इस धारा के अनुसार निम्न तीन प्रकार से कर-निर्धारण होता है—

(१) यदि इनकम टैक्स अफसर को आय के दिए हुए विवरण पर विश्वास हो तो वह उसी विवरण के आधार पर कर लगा देते हैं।

(२) यदि इनकम टैक्स अफसर को आय के विवरण पर कुछ सन्देह हो अथवा कुछ अन्य जानकारी की आवश्यकता हो तो वह धारा २३ (२) के अनुसार कर-दाता पर नोटिस दे सकता है कि वह एक निश्चित ता० पर स्वयं या किसी अधिकृत (Authorised) प्रतिनिधि के द्वारा अपने विवरण का प्रमाण पेश करे। वह धारा ३७ के अनुसार स्वयं करदाता को भी अपने दफ्तर में बुला सकता है।

वह धारा २२ (४) के अनुसार बहियों तथा अन्य रसीदों या कागजों को माँग कर देख सकता है। उसे पिछले तीन वर्षों की बहियों का निरीक्षण करने का अधिकार है।

इस प्रकार जांच कर लेने के बाद वह कर लगाता है।

(३) यदि इनकम टैक्स अफसर के पास कोई ठीक खाता-बही नहीं मिले तो वह अनुमान से कर निश्चित करता है। ऐसा उसे तीन परिस्थितियों में करना पड़ता है—

(अ) जब करदाता धारा २२ (२) या २२ (१) के अनुसार अपनी आय का विवरण न दे।

(आ) जब करदाता धारा २२ (४) के अनुसार अपनी बहियों को न पेश करे। या

(इ) जब करदाता धारा २३ (२) के अनुसार अपनी आय का विवरण न किसी को भेजे न प्रमाण दे।

धारा २३ (४) के अनुसार वह अनुमान से कर लगा सकता है। किन्तु इस प्रकार कर लगाने में इनकम टैक्स अफसर को बेईमानी अथवा अप्रसन्नता के कारण कर नहीं लगाना चाहिये। उसे ईमानदारी तथा सत्यतापूर्ण कर लगाना पड़ता है। उसको कर लगाने के लिये कोई न कोई आधार अवश्य होना चाहिये। मनमाना कर नहीं लगाया जा सकता।

ऐसे अनुमान से लगाये हुये करके विरुद्ध करदाता इनकम टैक्स अफसर के पास धारा २७ के अनुसार अपील कर सकता है तथा धारा ३० के अनुसार वह अपीलेट असिसटेन्ट कमिश्नर (Appellate Assistant Commissioner) के यहाँ भी अपील कर सकता है।

धारा २१ के अनुसार इनकम टैक्स अफसर कर निश्चित करने के बाद कर की रकम जमा करने की तिथि निश्चित करता है जिस तिथि तक कर जमा कर देना चाहिए; नहीं तो धारा ४६ के अनुसार जुर्माना हो सकता है। यदि बार-बार कर-

दाता कर जमा करने में विलम्ब करे तो जुर्माना बढ़ता जाता है। किन्तु कुल जुर्माना कर की रकम से अधिक नहीं हो सकता।

बाकी कर के वसूलने का भार जिलाधीश (Collector) पर होता है जो इसे उसी प्रकार वसूल सकता है जैसे ज़मीन का लगान। यदि वेतन पाने वाले के यहाँ कर बाकी हो तो वेतन देने वाला कर वसूलता है।

धारा २५ के अनुसार यदि कर निर्धारण में कुछ अशुद्धि हो गई हो तो पिछले चार वर्षों तक की अशुद्धि ठीक की जा सकती है।

यदि कोई करदाता नोटिस के बाद अपना विवरण नहीं देता है और उस पर अनुमान से कर लगा दिया जाता है तो धारा २७ के अनुसार (कर जमा करने की नोटिस के ३०. दिन के भीतर) यदि वह यह सिद्ध कर दे कि—

(अ) धारा २२ (२) या ३४ के अनुसार विवरण देने में कुछ विशेष कारणों से असमर्थ था, या

(आ) धारा २२ (४) या २३ (२) की कोई नोटिस उसे नहीं मिली या विशेष कारणों से वह उन नोटिसों की पूर्ति नहीं कर सका,

तो इनकम टैक्स अफसर उसका पुनः कर-निर्धारण कर सकता है।

असाधारण कर-निर्धारण (Emergency Assessment)—धारा २४ (अ) के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को वर्त्तमान वर्ष की आय पर कर-निर्धारण किया जाता है जो भारतवर्ष से सदा के लिये विदेश में जाने वाले हैं। इसके लिये बहुत कम दिनों की नोटिस दी जाती है। साधारणतः वर्तमान वर्ष की आय पर अगले वर्ष कर लगता है। इस धारा से विदेशी थियेटर कम्पनियों इत्यादि पर भी कर लग जाता है।

वंचित आय (Escaped Income)—धारा ३४ के अनुसार यदि इनकम टैक्स अफसर को यह विश्वास हो जाय कि पिछले ४ वर्षों में किसी आय पर बिल्कुल ही कर नहीं लगा है, या कम कर लगा है, या कम दर से कर लगाया गया है या अधिक छूट दी गई है तो वह उस वर्ष की आय का पुनर्निरीक्षण कर सकता है और कर लगा सकता है। यदि उसे यह विश्वास हो जाय कि पिछले वर्षों में कभी कर-दाता ने अपनी कुछ आय को छिपा लिया था तो वह आठ वर्षों तक की आय को फिर से जांच कर (Tax) लगा सकता है। ऐसी छिपाई हुई आय पर कर के अतिरिक्त इस अधिक कर के १½ गुना तक जुर्माना भी हो सकता है।

जुर्माना (Penalties)—निम्नधाराओं के अनुसार जुर्माना लगता है—

धारा २८ (२)—यदि कोई व्यापार, जिस पर कभी कर नहीं लगा था, बन्द हो गया हो तो उसके बन्द होने के १५ दिनों के भीतर इसकी सूचना इनकम टैक्स

अफसर को देना चाहिये नहीं तो यदि उसकी वर्तमान आय पर कर लगाने के बाद कर के बराबर जुर्माना भी हो सकता है।

धारा २८—इस धारा के अनुसार इनकम टैक्स अफसर (इन्सपेक्टिंग असिसटेन्ट कमीश्नर की अनुमति ले), अपिलेट असिसटेन्ट कमिश्नर या कमिश्नर करदाता पर निम्न जुर्माना कर सकते हैं—

(क) यदि करदाता ने धारा २२ (१) या (२) या धारा ३४ के अनुसार विवरण नहीं दिया हो।

(ख) यदि करदाता ने धारा २२ (४) या २३ (२) के अनुसार बहियों या सबूत को नहीं दिया हो, या

(ग) यदि कर दाता ने अपनी किसी आय को छिपा लिया हो।

(क) तो इसके लिये कर का १½ गुना जुर्माना लगता है तथा (ख) और (ग) के लिए बचाये हुए कर का १½ गुना जुर्माना लगता है (अर्थात् वह कर जो उसके विवरण को ही सही मानकर लगाया जाता तथा वह कर जो बहियों तथा सबूत को देखकर या छिपाई हुई आय को जोड़ कर लगता है दोनों का अन्तर बचाया हुआ कर हुआ)।

जिस व्यक्ति की आय करदेय नहीं है और वह नोटिस मिलने पर भी विवरण नहीं देता है तो उस पर २५ रु० जुर्माना हो सकता है।

धारा ४४—(इ) तथा ४४—(एफ)—बॉन्ड वाशिंग करने में प्रतिभूतियों के लेन देन के बारे में कुछ पूछ ताछ करने पर उत्तर देने में देर करने पर प्रत्येक दिन के लिए ५०० रु० जुर्माना हो सकता है।

धारा ४६ (१)—निश्चित तिथि तक कर नहीं जमा करने से करके बराबर तक जुर्माना हो सकता है।

धारा ५१—यदि कोई व्यक्ति बिना किसी विशेष कारण के निम्न कार्य को नहीं करता है तो उस पर प्रतिदिन १० रु० जुर्माना हो सकता है—

(१) धारा १८ या ४६ (५) के अनुसार यदि वह कर काट कर जमा नहीं करता है।

(२) धारा १८ (६) या २० के अनुसार यदि वह सर्टीफिकेट नहीं देता है।

(३) धारा १९ (अ), २० (अ), २१, २२ (२), या ३८ के अनुसार यदि वह विवरण नहीं देता है।

(४) धारा २२ (४) की नोटिस के अनुसार यदि वह कोई बही या कागज नहीं देता है।

(५) धारा ३६ के अनुसार निरीक्षण (Inspection) करने या नकल करने में बाधक होता है।

धारा ५२—यदि कोई व्यक्ति जानबूझ कर किसी अशुद्ध विवरण पर हस्ताक्षर करता है तो, उसे छः महीनों की सजा, या १००० रु० का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

सूचना देने का उत्तरदायित्व—इनकम टैक्स विभाग को निम्न सूचनाएँ (Information) देने का उत्तरदायित्व निम्न व्यक्तियों पर है—

(१) धारा १९ (अ) के अनुसार प्रत्येक कंपनी के मुख्य कर्मचारी (Principal officer) को प्रत्येक वर्ष १५ जून तक उन सभी शेयरदारों का नाम तथा पता देना चाहिए जिनके बीच ५००० रु० से अधिक के लाभांश का वितरण पिछले वर्ष में हुआ है और किसको कितना मिला है।

(२) धारा २० (अ) के अनुसार जो व्यक्ति किसी को व्याज (प्रतिभूतियों का व्याज नहीं) देता है उसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को १५ जून तक प्रत्येक वर्ष देना चाहिए जिसमें उन व्यक्तियों का नाम तथा पता रहना चाहिए जिन्हें ४०० रु० से अधिक व्याज दिया गया है। व्याज की रकम भी लिखना आवश्यक है।

(३) धारा २१ के अनुसार इनकम टैक्स अफसर के पास ३० अप्रैल तक उन व्यक्तियों का नाम भेजना चाहिए जिन्हें १६०० रु० से अधिक वेतन मिला हो।

(४) धारा २५ (२) के अनुसार किसी व्यापार को बन्द करने के १५ दिनों के भीतर इनकम टैक्स अफसर को सूचना देना चाहिए।

(५) धारा ३८ के अनुसार इनकम टैक्स अफसर या असिसटेन्ट कमिश्नर—

(क) किसी साझे या फर्म से साझेदारों का नाम तथा पता पूछ सकते हैं।

(ख) अविभाजित हिन्दू परिवार से उसके कर्त्ता, तथा बालिग सदस्यों का नाम तथा पता पूछ सकते हैं।

(ग) ट्रस्टी (Trustee), रक्षक (Guardian) या एजेन्ट (Agent) से उन व्यक्तियों का नाम तथा पता पूछ सकते हैं जिनका वह ट्रस्ट्री, रक्षक या एजेन्ट है।

(घ) किसी करदाता से उन व्यक्तियों का नाम तथा पता पूछ सकते हैं जिनको वह मकान का किराया, व्याज, कमीशन, अधिकार शुल्क, दलाली, या वार्षिक वृत्ति (जो ४०० रु० से अधिक हो) दिया हो और कितनी रकम दी गई है।

(६) धारा ४४ (ई) (६) तथा ४४ (एफ) (५) के अनुसार इनकम टैक्स अफसर के पूछने पर अस्थायी रूप (Temporarily) से प्रतिभूतियों या शेयरों के हस्तान्तरण करने की सूचना देना पड़ता है।

(७) कोई दलाल, एजेन्ट या फाटका बाजार के मुख्य कर्मचारी को उन सभी लोगों का नाम तथा पता देना पड़ता है जिन्हें कोई रकम उनकी पूँजी-सम्पत्ति (Capital Asset) के क्रय, विक्रय अथवा विनिमय या हस्तान्तरण के कारण मिली हो।

इनकम टैक्स विभाग को किसी प्रकार की कोई सूचना देने पर यह विभाग उसको गुप्त रखता है। यदि इस भेद को इस विभाग का कोई कर्मचारी किसी से बता दे तो उस पर जुर्माना हो सकता है। और उसे कैद की सजा मिलती है। इसलिए ब्लैक मार्केट के लाभ को भी इस विभाग में कहते हुए नहीं डरना चाहिए।

करदाता का प्रतिनिधि—धारा ६१ के अनुसार करदाता अपने कर-निर्धारण के सिलसिले में अपने किसी अधिकृत प्रतिनिधि को भेज सकता है। उसका स्वयं जाना आवश्यक नहीं है। केवल धारा ३७ के अनुसार उसे बुलाया जा सकता है।

करदाता का प्रतिनिधित्व निम्नव्यक्ति कर सकते हैं—

(१) कोई संबन्धी।

(२) उसका कोई कर्मचारी, जैसे मुनीम।

(३) वकील।

(४) ऑडिटर।

(५) इनकम टैक्स प्रैक्टिश्नर (Income Tax Practitioner)

इस प्रतिनिधि को करदाता का लिखित प्रमाण रखना चाहिए।

किन्तु सरकारी नौकरी से निकाला (Dismissed) हुआ व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो अनाचरण (Misconduct) के लिए सजा पा चुका हो प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता।

करदाता की मृत्यु (Deceased Assessee)—यदि कोई व्यक्ति मर जाय तो उसके बदले उसका वैधिक प्रतिनिधि (Legal Representative) या उत्तराधिकारी उस कर को देगा। कम्पनी के समाप्त हो जाने पर लिक्वीडेटर (Liquidator) को कम्पनी का कर देना पड़ता है।

यदि अविभाजित हिन्दू परिवार कर देने के पहले विभाजित हो जाय तो उसका कर उस परिवार के किसी सदस्य से वसूल किया जा सकता है। इसी प्रकार किसी साझा या संघ के टूट जाने पर उसके किसी साझेदार या सदस्य से कर वसूल किया जा सकता है।

करदेय प्रतिनिधि (Representative Assessment)—धारा ४० तथा ४१ के अनुसार करदाता के बदले उसके प्रतिनिधि पर कर लगाया जाता है। ऐसा उस समय

होता है जब करदाता नाबालिग, पागल, या विदेशी हो। ऐसी दशा में जो उस कर-दाता का प्रतिनिधि हो उसे कर देना पड़ता है।

यदि कोई सम्पत्ति ट्रस्ट में दे दी गई हो तो उस सम्पत्ति की आय उस सम्पत्ति को ट्रस्ट में देने वाले की आय में जोड़ दी जाती है।

निजी कम्पनियाँ (Private Companies)—धारा २३ अ के अनुसार निजी कम्पनियों को अपने लाभ का कम से कम ६०% लाभांश के रूप में वितरण करना आवश्यक है। यदि वे लाभ के ६०% से कम लाभांश वितरण करें या बिल्कुल ही वितरण न करें तब उनके लाभ का १००% वितरण किया हुआ लाभांश समझा जायगा और शेयरदारों की अन्य आय में इस लाभांश को (१००%) जोड़ कर कर लगाया जायगा।

यदि ऐसी कम्पनियों का संचय कोष (Reserve Fund) उनकी कुल पूँजी तथा शेयरदारों से लिए हुए ऋण की रकम से अधिक हो या स्थायी सम्पत्ति (Fixed Asset) के क्रय मूल्य से अधिक हो तो उन्हें कुल लाभ शेयरदारों में बाँट देना होगा।

कुछ परिस्थितियों में यदि ५५% ही लाभ वितरण हुआ है तो इनकम टैक्स अफसर कुछ समय देता है जिसमें उसे ६०% किया जा सके।

कर का वापस मिलना (Refund of Tax)—जब कर पहिले ही से अधिक जमा हो गया हो तो उस अधिक कर को वापस कर दिया जाता है। कर वापस लेने के लिए एक अर्जी देनी पड़ती है। कर वापस लेने का सबूत करदाता को ही देना पड़ता है। ४ वर्षों के भीतर ही कर वापस ले लेना आवश्यक है।

कर वापस न लेकर अगले वर्ष के कर की पूर्ति करने में भी प्रयोग किया जा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति मर जाने से, पागल हो जाने से या अन्य किसी कारण से स्वयं कर वापस नहीं ले सकता तो उसका प्रतिनिधि उस कर को वापस ले सकता है।

अपीलें (Appeals)—धारा ३० के अनुसार निम्न धाराओं के आधार पर आज्ञा देने के विरुद्ध अपील की जा सकती है।

(१) धारा १८ (३ अ), (३ ब), (३ स) तथा (६)—जो व्यक्ति विदेशी की आय पर कर काटने के उत्तरदायित्व को अपने ऊपर नहीं लेना चाहता है वह अपील कर सकता है।

(२) धारा २३—कर-निर्धारण की आज्ञा।

(३) धारा २३ अ—किसी कम्पनी के अवितरित लाभ को साधारण सभा (General meeting) के दिन वितरित लाभ समझना।

(४) धारा २४—किसी व्यापार की हानि को निश्चित करना।

(५) धारा २५—किसी व्यापार के बन्द होने की सूचना नहीं देना।

(६) धारा २५अ—किसी अविभाजित हिन्दू परिवार को विभाजित या अविभाजित परिवार को अविभाजित समझना।

(७) धारा २६— किसी व्यापार में मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी का साझेदार होना।

(८) धारा २६ अ—किसी फर्म करने को रजिस्टर्ड करने से इन्कार करना।

(९) धारा २६—किसी करनिर्धारण का पुनर्निधारण करने से इन्कार करना।

(१०) धारा २८—जुर्माना लगाना।

(११) धारा ४४ ई तथा ४४ एफ—जुर्माना लगाना।

(१२) धारा ४६ - जुर्माना लगाना।

(१३) धारा ४८—कर वापस करने से इन्कार करना।

(१४) धारा ४६—दोहरा कर से मुक्ति (Double Taxation Relief) देने से इन्कार करना।

(१५) धारा ४६ एफ—किसी वैधिक प्रतिनिधि को कर वापस करने से इन्कार करना।

अपील करने से पहले जो कर इनकम टैक्स अफसर ने लगाया हो उसे जमा कर देना पड़ता है। अपील से यदि कर कम हो जायगा तो अधिक जमा किया हुआ कर वापस मिल जायगा।

अपील का फैसला करने वाले निम्न अधिकारी हैं

(१) अपिलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर (Appellate Assistant Commissioner)—धारा ३० के अनुसार करदाता असिस्टेन्ट कमिश्नर के यहाँ इनकम टैक्स अफसर की आज्ञा के विरुद्ध अपील कर सकता है। असिस्टेन्ट कमिश्नर कर को कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है या वह उस कर-निर्धारण को इनकम टैक्स अफसर के पास पुनर्निधारण के लिए वापस भेज सकता है।

कर जमा करने के ३० दिनों के भीतर अपील करना चाहिए या जिस आज्ञा के विरुद्ध अपील करनी हो उसकी नोटिस मिलने के ३० दिनों के भीतर अपील करना चाहिए। विशेष कारण पड़ जाने पर ३० दिनों के बाद भी अपील की जा सकती है।

अपील करने के लिए विशिष्ट फार्म होता है और उस पर स्टाम्प लगाना पड़ता है। अपील की पैरवी प्रतिनिधि द्वारा भी की जा सकती है। असिसटेन्ट कमिश्नर

निजी तथा गुप्त ढंग से भी करदाता के बारे में जाँच कर सकता है। कोई नया सबूत अपील में लिया भी जा सकता है और नहीं भी लिया जा सकता है।

(२) अपिलेट ट्रिबुनल (Appellate Tribunal)—धारा ३३ के अनुसार अपिलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर के फैसले के विरुद्ध अपिलेट ट्रिबुनल के पास अपील की जा सकती है। यह अपील करदाता, तथा, कमिश्नर के आदेशानुसार, इनकम टैक्स अफसर दोनों को करने का अधिकार है। किन्तु करदाता की अपील की फीस १०० रु० है और इनकम टैक्स अफसर की अपील की फीस कुछ नहीं है। यह अपील असिस्टेन्ट कमिश्नर के फ़ैसले के पाने के ६० दिनों के भीतर हो जानी चाहिए। विशेष कारणों के होने पर बाद में भी अपील स्वीकार की जा सकती है।

ट्रिबुनल का फैसला अन्तिम फैसला होता है।

(३) हाई कोर्ट (High Court)—धारा ६६ के अनुसार यदि ट्रिबुनल के फैसले से किसी कानूनी बात पर संतुष्टि न हो तो ट्रिबुनल से यह प्रार्थना किया जा सकता है कि उस कानूनी बात पर हाई कोर्ट की राय ली जाय। करदाता को १०० रु० की फीस जमा करनी पड़ती है। यह प्रार्थना भी ट्रिबुनल के फैसले के ६० दिनों के भीतर होनी चाहिए।

(४) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)—धारा ६६ अ के अनुसार हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। किन्तु इसमें हाई कोर्ट को यह प्रमाण-पत्र देना पड़ता है कि यह अपील करने योग्य बात है।

(५) कमिश्नर (Commissioner)—असिस्टेन्ट कमिश्नर के फैसले के विरुद्ध ट्रिबुनल तक जाने में बहुत व्यय होता है। इसलिए छोटी-मोटी अपील कमिश्नर के पास ही की जा सकती है। धारा ३३ अ के अनुसार यह अपील होती है।

कमिश्नर स्वयं भी उस फैसले को देख सकता है और करदाता भी उसकी अपील कर सकता है। करदाता को एक वर्ष के भीतर २५ रु० फीस के साथ अपील करना होता है।

अध्याय ८

कठिन उदाहरण

(IMPORTANT ILLUSTRATIONS)

उदाहरण ५५—'क' को निम्न आय होती है—

(१) भारतवर्ष में ५,००० रु० ।

(२) भारतवर्ष के बाहर की आय ६००० रु० जिसका ५००० रु० भारत में लाया गया ।

(३) भारतवर्ष के बाहर के व्यापार की आय ८००० रु० जिसका संचालन भारतवर्ष से होता है और जिसका ३००० रु० भारतवर्ष में आया ।

'क' की कुल आय निकालो जब वह (१) साधारण निवासी है (२) असाधारण निवासी है (३) विदेशी है ।

आय के सूत्र	साधारण निवासी	असाधारण निवासी	विदेशी
	रु०	रु०	रु०
(१) भारतवर्ष की आय	५,०००	५,०००	५,०००
(२) भारतवर्ष के बाहर की आय जिसका ५००० रु० आया	५,०००	५,०००	—
भारतवर्ष के बाहर की आय जो यहाँ नहीं आई	१,०००	—	—
(३) भारतवर्ष से संचालित व्यापार की आय ८००० घटाया वैधिक छूट ४५००	३,५००	३,५००	—
	१४,५००	१३,५००	५०००

उदाहरण ५६—निम्न आय से करदेय आय निकालो—

भारतवर्ष की आय—वेतन ४००० रु० प्रतिभूतियों का व्याज ६००० रु० (सकल), व्यापार का लाभ ५,००० रु०, सम्पत्ति की हानि २०० रु० ।

अभारतीय आय—विदेशी आय जो भारत में आई ९००० रु०, भारतीय संचालन द्वारा विदेशी आय जो यहाँ नहीं आई ६००० रु०, सम्पत्ति की विदेशी आय जो यहाँ नहीं आई १०००, व्यापार की हानि ३०० रु० ।

आय के सूत्र			साधारण निवासी	असाधारण निवासी	विदेशी
			रु०	रु०	रु०
भारतीय आय					
वेतन	४,०००				
व्यापार	५,०००				
	९,०००				
१/५ उपार्जित आय	१,८००		७,२००	७,२००	७,२००
प्रतिभूतियों पर व्याज			६,०००	६,०००	६,०००
सम्पत्ति की हानि			—२००	—२००	—२००
कुल भारतीय आय			१३,०००	१३,०००	१३,०००
अभारतीय आय					
भारतवर्ष में भेजी हुई आय			९,०००	९,०००	—
भारतीय संचालन के व्यापार का लाभ		६,०००			
घटाया हानि	२००				
" वैधिक छूट	४५००	४,८००	१,२००	१,२००	—
सम्पत्ति की आय (शुष्क)			१,०००	—	—
कुल आय			२४,२००	२३,२००	१३,०००

उदाहरण ५७—निम्न आयों से कुल आय निकालो—वेतन ४००० रु०, सम्पत्ति की हानि ५०० रु०, प्रतिभूतियों का व्याज (सकल) ८००० रु०, लाभांश १२००० रु० रजिस्टर्ड फर्म का लाभ ११००० रु० ।

अभारतीय आय—व्याज जो यहाँ भेजी गई १०,०००, भारतीय संचालन के व्यापार का लाभ (जो यहां नहीं आई) ७००० रु०, सम्पत्ति की आय शुष्क १००० रु० (जो यहां नहीं आई)

		साधारण निवासी	असाधारण निवासी	विदेशी
		रु०	रु०	रु०
भारतीय आय—				
वेतन	४,०००			
व्यापार	११,०००			
	१५,०००			
१/५ उपार्जित आय	३,०००	१२,०००	१२,०००	१२,०००
प्रतिभूतियों का व्याज		८,०००	८,०००	८,०००
लाभांश	१२०००	१६,०००	१६,०००	१६,०००
सम्पत्ति की हानि		−५००	−५००	−५००
भारतीय आय		३५,५००	३५,५००	३५,५००
अभारतीय आय—				
भारतवर्ष में आई रकम		१०,०००	१०,०००	—
यहां न भेजी रकम				
व्यापार	७,०००			
सम्पत्ति	*१,०००			
	८,०००			
घटाया वैधिक छूट	४,५००	३,५००	२,५००*	—
कुल आय		४६,०००	४८,०००	३५,५००

*नोट—सम्पत्ति की आय नहीं भेजी गई है इसलिये इसे नहीं जोड़ा गया है।

उदाहरण ५८—एक सहकारी संस्था (Co-operative Society) को निम्न आय है—

परस्पर व्यापार से	२०,००० रु०
प्रतिभूतियों पर व्याज (सकल)	९,०००
लाभांश (सकल)	१६,०००

उस संस्था की करदेय आय निकालो।

परस्पर व्यापार से लाभ रु०	२०,०००
व्याज	९,०००
लाभांश	१६,०००
कुल आय	४५,०००

४५,००० रु० पर कर लगेगा। किन्तु औसत दर से २०,००० रु० (जो परस्पर व्यापार का लाभ है) पर छूट मिलेगी।

उदाहरण ५९—एक व्यक्ति की करदेय आय निकालो—

भारतीय आय–वेतन ५०० रु० तथा महंगाई १०० रु० मासिक, बोनस ८००रु० । प्रतिभूतियों पर व्याज (सकल) ८००० रु०, व्यापार का लाभ—रजिस्टर्ड फर्म से ४००० रु०, बिना रजिस्टर्ड फर्म से २००० रु०, लाभांश (सकल) १,००० रु०, बैंक का व्याज ३०० रु० सम्पत्ति की हानि ६०० रु० ।

अभारतीय आय—विदेशी आय जो यहाँ आई ६,००० रु०, भारतीय संचालन के व्यापार से विदेशी आय जो नहीं आई ८,००० रु०, विदेशी सम्पत्ति से ३,००० रु० काश्मीर सरकार से वेतन ६,००० रु०, विदेशी व्यापार की हानि ५०० रु० वह ६००० रु० बीमा के लिए देता है ।

आय के सूत्र	साधारण निवासी	असाधारण निवासी	विदेशी
भारतीय आय	रु०	रु०	रु०
१. वेतन ६,०००			
महंगाई १,२००			
बोनस ८००			
२. व्याज प्रतिभूतियों का	८,०००	८,०००	८,०००
३. सम्पत्ति की हानि	१,०००	१,०००	१,०००
४. व्यापार का लाभ	—६००	—६००	—६००
५. अन्य आय—	६,०००	६,०००	६,०००
लाभांश	१,०००	१,०००	१,०००
बैंक का व्याज	३००	३००	३००
अभारतीय आय—	१५,७००	१५,७००	१५,७००
१. जो यहाँ भेजी गई	६,०००	६,०००	—
२. ,, ,, नहीं भेजी गई—			
व्यापार से ८०००			
घटाया हानि ५०० ७,५००			
सम्पत्ति ३,०००			
१०५००			
घटाया वैधिक छूट ४५००	६,०००	३०००	—
६. काश्मीर की आय	६,०००	—	—
कुल आय	३३,७००	२४,७००	१५,७००
अन्य विदेशी आय			१६,५००
विश्व की कुल आय			३२,२००

छूट की रकम—	(१)	(२)	(३)
	रु०	रु०	रु०
१. अनरजिस्टर्ड फर्म का लाभ	२,०००	२,०००	२,०००
२. काश्मीर की आय	६,०००	—	—
३. बीमा प्रीमियम (⅙ तक)	५,६१७	४,११७	२,६१७
४. रजिस्टर्ड फर्म की आय	—	—	४,०००
	१३,६१७	६,११७	८,६१७

उदाहरण ६०—एक व्यक्ति को निम्न आय है—

(१) प्राविडेन्ट फन्ड तथा आय-कर काट कर वेतन १४७०० रु० जिस पर १५०० रु० आयकर तथा १८०० रु० प्राविडेन्ट फन्ड कटा है।

(२) मालिक का प्राविडेन्ट फन्ड (प्रामाणित) में चन्दा १८०० रु०।

(३) प्राविडेन्ट फन्ड पर १२% व्याज ६०० रु०।

(४) लाभांश ३००० रु०।

(५) बीमा का प्रीमियम १६०० रु० देता है।

वेतन (१४७००+१५००+१८००)	१८,००० रु०
मालिक का प्राविडेन्ट फन्ड का चन्दा	१,८००
प्राविडेन्ट फन्ड पर व्याज	६००
लाभांश ३००० सकल	४,०००
कुल आय	२४,४००

	उपार्जित आय (२०४०० रु० पर)	=४००० रु०
छूट—	१. प्राविडेन्ट फन्ड का चन्दा (वेतन का ⅙ तक)	=३००० रु०
	२. बीमा (१८०००+४०००=२२००० का ⅙ तक प्राविडेन्ट फन्ड तथा बीमा)	६६६
	३. प्राविडेन्ट फन्ड का व्याज ६% तक	३००
		३,९६६

उदाहरण ६१—एक करदाता को निम्न आय है—

(१) केन्द्रीय सरकार की ओर से हैदराबाद स्टेट में काम करने के लिए ८ महीनों तक रहा तथा शेष चार महीनों के लिए वह पेरिस भेजा गया। उसे ३००० रु० मासिक मिलता है। वह अपने वेतन में से अपनी पत्नी को जो पटना में रहती है ६००० भेजा।

(२) एक विदेशी कम्पनी से उसे १००० रु० आयकर काट कर शेष ५००० रु० का लाभांश मिला था जो भारतवर्ष में नहीं आया।

आय के सूत्र		साधारण निवासी	असाधारण निवासी	विदेशी
		रु०	रु०	रु०
१. वेतन		३६,०००	३६,०००	३६,०००
२. लाभांश	६०००			
घटाया वैधिक छूट	४५००	१,५००	—	—
कुल आय		३७,५००	३६,०००	३६,०००
विश्व की अन्य आय				६,०००
विश्व की कुल आय				४२,०००

उदाहरण ६२—एक साधारण निवासी ५ महीनों की छुट्टी लेकर अमेरिका गया था। उसका मासिक वेतन ४००० रु० है। तीन महीनों तक उसका वेतन अमेरिका में भेजा गया और शेष २ महीनों का वेतन उसे यहाँ लौटने पर अगले वर्ष मिला।

उसके पास एक निवास-गृह है जिसके आधा हिस्सा के किराये से उसे २१०० रु० की आय है और जिस पर ३०० रु० वसूली व्यय है।

उसे एक चाय की कम्पनी से ४५०० रु० लाभांश मिलता है जिसकी आय का ४०% कर देय है।

फाटका बाजार के लेन-देन का पिछले वर्ष की हानि ३००० रु० है। उसको पिछले वर्ष ५०,००० रु० की हानि हुई थी लेकिन उस वर्ष में उसकी सम्पत्ति तथा वेतन की आय ४७००० रु० की थी। यह कार्य इस वर्ष बन्द हो गया है।

आय के सूत्र			आय
			रु०
१. वेतन			४८,०००
२. सम्पत्ति—			
किराया ½		२,१००	
निवास गृह ½		२,१००	
		४,२००	
घटाया मरम्मत ⅙	७००		
वसूली व्यय (२१०० का ६%)	१८६	८८६	३,३१४
३. लाभांश $\left(4500 \times \frac{1}{1-\left(\frac{40}{100} \times \frac{48}{192}\right)}\right)$			५,०००
		कुल आय	५६,३१४

नोट—फाटका बाजार की हानि को प्रतिसाद (Set-off) नहीं किया जा सकता क्योंकि यह कार्य अब बन्द हो गया है।

उदाहरण ६३—एक साधारण निवासी को निम्नलिखित आय होती है—

(१) काश्मीर में उसकी जमीन पर गेहूँ पैदा करके उसे कानपुर में बेचने से १३,००० रु० मिला। इस आय में से उसे काश्मीर में कृषि-कर (Agricultural-कर) १,००० रु० देना पड़ा तथा उसका उत्पादन व्यय तथा कानपुर भेजने का व्यय १५०० रु० हुआ।

(२) काश्मीर में कुछ अपनी जमीन बेचने से पूँजी लाभ ६००० रु० का हुआ। जमीन की विक्रय-मूल्य काश्मीर के बैंक में जमा कर दिया गया।

(३) एक विदेशी चाय की कम्पनी में उसे ६००० रु० लाभांश मिला। उस कम्पनी को आय-कर नहीं देना पड़ता है तथा उसकी चाय भारतवर्ष में बिकी।

(४) अविभाजित हिन्दू परिवार से उसे ४००० रु० मिला। इस परिवार की कुल आय काश्मीर में हुई थी।

कुल आय—

१. काश्मीर की कृषि से आय (१३०००–१५००)	रु० ११,५००
२. लाभांश (चाय कम्पनी की आय भारत में होने से)	६,०००
कुल आय	१७,५००

उदाहरण ६४—एक व्यक्ति की निम्न आय पर आय-कर निकालो—

वेतन १२,५०० रु० सम्पत्ति की आय ३६०० रु० प्रतिभूतियों का ब्याज शुल्क २५०० रु० लाभांश शुल्क १२०० रु० है।

आय के सूत्र		आय	कर जो काटा जा चुका है
		रु०	रु०
१. वेतन		१२,५००	७१०–१५
२. ब्याज		२,०००	५००–०
३. लाभांश		१,६००	४००–०
४. सम्पत्ति	३६००		
घटाया मरम्मत	६००	३,०००	—
		१६,१००	१६१०–१५

आय कर १६१००–उपार्जित आय २,५०० = १६६०० रु० पर = रु० २०४८–७

दिया हुआ आय-कर	=	१६१०–१५
देय कर	=	४३७–८

उदाहरण ६५—एक व्यक्ति को निम्न आय होती है—

वेतन ५००० रु०, सम्पत्ति की आय ६००० रु० जिस पर म्युनिसिपल कर ३०० रु०, उसके रेहन का व्याज ६०० रु०, जमीन का किराया ३०० रु० (जो अभी उधार है), अग्निबीमा ४०० रु०, अनधिकृत फर्म का लाभ ४,००० रु० (इस व्यापार में केवल उसकी पूँजी है वह सक्रिय (Active) नहीं है), सरकारी प्रतिभूतियों पर व्याज ४००० रु० डाइरेक्टर फीस ३०० रु०, लाभांश ४२०० रु०।

वह १२०० रु० प्रीमियम देता है। उनके जीवन पर १०,००० रु० का बीमा हुआ है।

१.	वेतन			रु० ५,०००
२.	प्रतिभूतियों का व्याज			४,०००
३.	सम्पत्ति की आय		६,०००	
	घटाया ¼ मरम्मत	१५००		
	,, रेहन का व्याज	६००		
	,, बीमा	४००		
	,, जमीन का किराया	३००	२,८००	६,२००
४.	व्यापार का लाभ			४,०००
५.	अन्य आय—			
	डाइरेक्टर फीस		३००	
	लाभांश		५,६००	५,६००
				२५,१००
	घटाया उपार्जित आय (५०००+३०० का ⅕)			१,०६०
	करदेय आय			२४,०४०
	छूट—			
	अनधिकृत फर्म का लाभ			रु० ४,०००
	जीवन बीमा प्रीमियम (१०%तक)			१,०००
				५,०००

उदाहरण ६६—एक व्यक्ति जो पहले भारत सरकार की नौकरी में था और साधारण निवासी है निम्न आय पाता है—

उसे २०० रु० मासिक पेन्शन मिलता है। उसे नौ महीने का पेनशन तो यहाँ मिला और ३ महीने का पेनशन उसके पास लंका (Ceylon) में भेजा गया था जहाँ वह गया था।

उसे काश्मीर की एक कम्पनी से ३,००० रु० लाभांश मिला जो अपना कुल कार्य काश्मीर में ही करती है और जिसकी आय का ५०% कृषि से मिलता है।

उसे कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर ४००० रु० ब्याज मिलता है। किन्तु उसे ब्याज वसूलने के लिए १० रु० बैंक को कमीशन देना पड़ा तथा उन प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए ऋण पर ३,००० रु० ब्याज देना पड़ता है। उसे बैंक से यह ऋण लेने में १०० रु० दलाली देनी पड़ी।

उसके पास एक निवासगृह है जिसका मूल्य २,५०० रु० है।

वह एक रजिस्टर्ड फर्म में साझेदार है। फर्म का वर्ष ३१ अक्टूबर को खतम होता है। इस फर्म से उसे ६००० रु० लाभ मिला था। उसकी पत्नी भी उस फर्म में साझेदार है जिसका हिस्सा ४,५०० रु० था और वह उस आय का विवरण (Return) इनकम टैक्स दफ्तर में दे चुकी है।

१.	वेतन (पेनशन)			रु० २,४००
२.	कर मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज		४,०००	
	घटाया वसूली व्यय	१०		
	,, ऋण पर ब्याज	३०,००	३,०१०	९९०
३.	संपत्ति की आय—			
	निवासगृह		२,५००	
	किन्तु वैधिक सीमा १०%(मरम्मत घटाकर)			१,५३५
४.	रजिस्टर्ड फर्म की आय (पत्नी की भी आय)			१०,५००
५.	लाभांश			३,०००
	कुल आय			१८,४२५

उदाहरण ६७—एक व्यक्ति को निम्न आय होती है—

उसके पास चार मकान हैं जिनका मूल्य ५५,००० रु०, १०,००० रु०, २००० तथा २५०० रु० है। एक रजिस्टर्ड फर्म से उसे २०,००० रु० का लाभ है और एक अनविकृत फर्म से उसे ६००० रु० का लाभ है। उसके पास एक निवासगृह है जिसका मूल्य १००,००० रु० है और जिस पर वह बीमा तथा जमीन का किराया ३,००० रु० देता है (जो निम्न आय व्यय खाता में सम्मिलित नहीं है)।

उसका आय-व्यय खाता निम्न है—

	रु०		रु०
सम्पत्ति पर व्यय—		सम्पत्ति की आय	७५,०००
मरम्मत	३०,०००	अधिकृत फर्म का लाभ	२०,०००
किराय वसूली व्यय	५,०००	अनधिकृत ,, ,,	९,०००
जमीन का किराया	३,०००	अपने निजी व्यापार का लाभ	५०,०००
बीमा	१,५००	मैनेजिंग एजेन्सी का कमीशन	२००,०००
वेतन	३०,०००	सरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियों से	१००,०००
अन्य व्यय	२,०००	ऋण पर व्याज	२१०,०००
अप्राप्य ऋण संचय	१५,०००		
सम्पत्ति के रेहन पर व्याज	१६,०००		
अन्य व्याज	८०,०००		
शुष्क लाभ	४८१,५००		
	६६४,०००		६६४,०००

निजी व्यापार की आय—

		रु०
निजी व्यापार का लाभ		५०,०००
घटाया—		
वेतन	३०,०००	
अन्य व्यय	२,०००	
व्याज	८०,०००	११२,०००
हानि		६२,०००

उसकी कुल आय—

		रु०	रु०
१. सम्पत्ति		रु० ७५,०००	
घटाया मरम्मत $^1/_6$	१२,५००		
,, वसूली व्यय ६%	४,५००		
,, जमीन का किराया	३,०००		
,, बीमा	१,५००		
,, रेहन का व्याज	१६,०००	३७,५००	३७,५००
निवास		१,००,०००	
किन्तु वैधिक सीमा $^1/_{11}$		४६,५००	
घटाया बीमा इत्यादि		३,०००	४३,५००

		१,००,०००
२. प्रतिभूतियों पर ब्याज		
३. व्यापार		
अधिकृत फर्म का लाभ	२०,०००	
अनधिकृत ,,	९,०००	
	२९,०००	
घटाया निजी व्यापार की हानि	६२,०००	—३३,०००
४. अन्य आय—		
ऋण पर ब्याज	२,१०,०००	
मैनेजिंग एजेन्ट कमीशन	२,००,०००	४,१०,०००
	कुल आय	५,५८,०००

छूट—

कर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज	रु० १,००,०००
अनधिकृत फर्म की आय	९,०००
	१०९,०००

उदाहरण ६८—एक व्यक्ति को निम्न आय होती है—

भारतीय आय—वेतन १०,००० रु०, प्रतिभूतियों का ब्याज ४००० रु०, डाइरेक्टर फीस १००० रु०, अनधिकृत व्यापार से ५००० रु० ।

काश्मीर की आय—कृषि आय ४००० रु०, ब्याज २००० रु०, जो भारतवर्ष में आया, काश्मीर में ऋण देने का ब्याज ५००० रु०, (साहूकारी का)।

उनको एक भारतीय अधिकृत फर्म की हानि २००० रु० हुई।

आय के सूत्र		साधारण निवासी	असाधारण निवासी	विदेशी
भारतीय आय—		रु०	रु०	रु०
वेतन		१०,०००	१०,०००	१०,०००
प्रतिभूतियों का ब्याज		४,०००	४,०००	४,०००
व्यापार का लाभ	५०००			
घटाया	२०००	३,०००	३,०००	३,०००
डाइरेक्टर फीस		१,०००	१,०००	१,०००
		१८,०००	१८,०००	१८,०००

काश्मीर की आय—			
भेजी हुई आय	२,०००	२,०००	—
नहीं भेजी हुई आय ६०००			
घटाया वैधिक छूट ४५००	४,५००	५००	—
कुल आय	२४,५००	२०,५००	१८,०००
अन्य विदेशी आय			११,०००
विश्व की कुल आय			२६,०००

उदाहरण ६९—एक कम्पनी का निम्न लाभालाभ खाता ३१ मार्च १९५० तक के वर्ष का है—

माल का प्रारंभिक स्टॉक	रु० ४५,०००	बिक्री	रु० ३००,०००
माल का क्रय	८०,०००	माल का अन्तिम स्टॉक	४०,०००
उत्पादन व्यय	१,०५,०००	प्रतिभूतियों पर ब्याज (शुष्क)	१,२००
मरम्मत	१२,०००	अन्य ब्याज	१,८००
स्थापन व्यय	४,०००		
विज्ञापन	६,०००		
यात्रा-व्यय	४,०००		
आडिट फीस	१,०००		
अन्य व्यय	२,० ००		
आयकर	२,०००		
मशीन बेचने की हानि	१,०००		
प्रतिभूतियों पर ह्रास	३,०००		
लोकप्रियता का ह्रास	८,०००		
स्थायी संपत्तियों पर संचय	८,०००		
शुष्क लाभ	६२,०००		
	३४३,०००		३४३,०००

प्रारम्भिक स्टॉक का क्रय-मूल्य ३५००० रु० है। अन्तिम स्टॉक का क्रय-मूल्य ही लिखा गया है। मरम्मत में नये मकान के बनाने का व्यय २००० रु० सम्मिलित है जो जुलाई १९४९ में बना और जिसे गोदाम के लिए प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन में १००० रु० पूँजी-व्यय है। अन्य व्यय में ५०० रु० वकील की फीस है जो इनकम

टैक्स ट्रिब्यूनल के सामने वकालत करने के लिए दी गई है। मशीन जो बेची गई उसका क्रय मूल्य १०,००० रु० था और ह्रासित मूल्य २००० रु० था। उसकी जगह एक नई मशीन १५,००० रु० में दिसम्बर १९४९ में खरीदी गई। संपत्तियों पर १५,००० रु० ह्रास है।

		रु०
शुष्क लाभ		६२,०००
जोड़ा—व्यय जिन पर छूट नहीं मिलती—	रु०	
प्रारंभिक माल का अधिक मूल्य	१०,०००	
नये मकान का मूल्य	२,०००	
विज्ञापन-पूँजी-व्यय	१,०००	
वकील की फीस	५००	
आय-कर	२,०००	
प्रतिभूतियों का ह्रास	३,०००	
लोकप्रियता का ह्रास	८,०००	
स्थायी संपत्तियों पर संचय	८,०००	३४,५०
		९६,५००
घटाया—ह्रास—		
पुरानी संपत्तियों पर.	१५,०००	
नया मकान : प्रारंभिक ह्रास १५%	३००	
साधारण ह्रास २½% (८ महीने का)	३३	
अधिक ह्रास	३३	
नयी मशीन : प्रारंभिक २०%	३,०००	
साधारण ह्रास १०% (३ महीनों का)	३७५	
अधिक ह्रास	३७५	१९,११६
		७७,३८४
घटाया—प्रतिभूतियों का ब्याज		१,२००
व्यापार की आय		७६,१८४

कुल आय—

१. व्यापार की आय	रु० ७६,१८४
२. प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल)	१,६००
कुल आय	७७,७८४

उदाहरण ७०—एक कंपनी का जिसका वर्ष ३१ दिसम्बर १६४६ को खतम होता है निम्न लाभालाभ खाता है—

माल का क्रय	८०,०००	बिक्री	रु० २,५०,०००
उत्पादन व्यय.	७५,०००		
वेतन, मजदूरी	४०,०००		
ह्रास	२०,०००		
अन्य व्यय	२५,०००		
शुष्क लाभ	१०,०००		
	२,५०,०००		२,५०,०००
१६४८ का लाभांश	३५,०००	शुष्क लाभ	१०,०००
संचय	१५,०००	पिछले वर्ष का लाभ	४०,०००
	५०,०००		५०,०००

कम्पनी की स्थायी सम्पत्ति का क्रय-मूल्य ३१ दिसम्बर १६४८ को ३००,००० रु० है। १ जून १६४६ को नया मकान ७५,००० रु० का, तथा नई मशीन ६०,००० रु० की खरीदी गई। पिछले वर्ष फैक्टरी के मकान का ह्रासित मूल्य १६०,००० रु० तथा मशीन का १,२०,००० रु० था जिन पर २½°/॰ तथा १०°/॰ ह्रास मिलना चाहिए। मशीन सालभर दो शिफ्ट काम करती रही। बिक्री में से १०,००० रु० सीधे संचय कोष में रख दिया गया है। पिछले वर्ष ६००० अप्राप्य ऋण था जिस पर छूट नहीं मिली थी। उसी अप्राप्य ऋण में से इस वर्ष २००० रु० मिला है। इसे भी संचय-कोष में जमा कर दिया गया है। वेतन में १००० रु० मिला है। इसे भी संचय-कोष में जमा कर दिया गया है। वेतन में १००० रु० पुराने मैनेजर की विधवा स्त्री को पेनशन दिया हुआ सम्मिलित है और नये मैनेजर को २००० रु० पेशगी दिया हुआ वेतन भी सम्मिलित है। अन्य व्यय में एक सितम्बर १६४६ के बने हुए नये स्कूल के मकान का व्यय ६००० रु० है। इस स्कूल में कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते हैं। इसमें इस स्कूल के मास्टरों का वेतन ३००० रु० भी सम्मिलित है तथा कर्मचारियों के क्लब के लिए ५०० रु० में रेडियो का मूल्य भी सम्मिलित है जिसे अप्रैल १६४६ में खरीदा गया।

	रु०	रु०
शुष्क लाभ		१०,०००
जोड़ा—व्यय जिन पर छूट नहीं मिलती—		
बिक्री से संचय कोष में दी हुई रकम	१०,०००	
मैनेजर का पेशगी वेतन	२,०००	
स्कूल के मकान का व्यय (पूँजी-व्यय)	६,०००	
रेडियो (पूँजी-व्यय)	५००	
ह्रास	२०,०००	३८,५००
		४८,५००

घटाया—ह्रास—

फैक्टरी का मकान १६००० रु० पर ५%	८,०००	
नया मकान ७५००० पर प्रारंभिक ह्रास १५%	११,२५०	
,, ,, ,, साधारण ह्रास २½%(६ महीना)	९३७	
,, ,, ,, अधिक ह्रास	९३७	
स्कूल के मकान पर प्रारंभिक ह्रास १५% ६००० रु० पर	९००	
,, ,, साधारण ,, २½% (३ महीना)	३७	
,, ,, अधिक ,,	३७	
मशीन पर १०% १२०००० रु० पर	१२,०००	
नई मशीन पर प्रारंभिक ह्रास ६०,००० पर २०%	१२,०००	
,, ,, साधारण ,, (छः महीना) १०%	३,०००	
,, ,, अधिक ,,	३,०००	
मशीन पर दो शिफ्ट का ह्रास (१५,००० का ५०%)	७,५००	
रेडियो पर २५% ५०० रु० पर ८ महीने का	५०	५९,६४८
हानि		११,१४८

उदाहरण ७१—अफ्रीका का एक संघ जो यहाँ व्यापार करता है उसे सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रेव्युन्यु ने कंपनी होने की घोषणा किया है। ३१ मार्च १९५० के वर्ष में उस संघ को निम्न आय हुई।

बंबई में बैंकिंग के कार्य से लाभ		रु० ४०,०००
,, की एक कंपनी से मिला हुआ सकल लाभांश		६,०००
,, में कृषि की आय		४,०००
अफ्रिका में बैंकिंग के कार्य का लाभ (अफ्रिका में ही रह गया)		१०,०००
,, में कृषि की आय (वहीं रह गई)		५,०००
भारतीय आय—		रु०
बैंकिंग कार्य से		४०,०००
लाभांश		६,०००
		४६,०००
विदेशी आय—		
बैंकिंग कार्य से	१०,०००	
कृषि आय	५,०००	
	१५,०००	
घटाया वैधिक छूट	४,५००	१०,५००
		५६,५००

कुल आय

नोट—कंपनी की भारतीय आय (४६००० + ४०००) विदेशी आय (१५,००० रु०) से अधिक है। इसलिए यह कंपनी साधारण निवासी हुई।

उदाहरण ७२—एक व्यक्ति नैपाल का निवासी है। १ अप्रैल १९४८ को उसने ५०,००० रु० का मकान इलाहाबाद में खरीदा और उसी दिन इलाहाबाद के एक फर्म को ६% ब्याज पर २५,००० रु० ऋण दिया। मकान की आय ६००० रु० है। यह दोनों आय उसे नैपाल में मिला करती है। उसकी आय निकालो।

वह व्यक्ति विदेशी है। किन्तु उसकी भारतीय आय निम्न है—

१. मकान का किराया	रु० ६०००	रु०
घटाया $^1/_6$ मरम्मत	१०००	५,०००
२. ब्याज २५००० रु० पर ६%		१,५००
भारतीय आय करदेय		६,५००

उदाहरण ७३—एक विदेशी व्यापारी की भारतवर्ष में कोई दूकान नहीं है न कोई एजेन्ट है। किन्तु वह बहुत माल वी० पी० पी० द्वारा भारतवर्ष में भेज कर बेचता है।

इस परिस्थिति में भी उसे कर देना होगा और डाकखाना उसके एजेन्ट की तरह काम करता है। इसलिये उसकी भारतीय आय पर कर लगेगा।

उदाहरण ७४—एक फैक्टरी जिसका हेड-आफिस भारतवर्ष में है और जो अपने खातों को ३१ दिसम्बर को बन्द करता है।

फैक्टरी काश्मीर में है और माल वहीं तैयार होता है। १९४९ में कम्पनी की आय ४५०,००० रु० की है।

कम्पनी ने अपने माल को कुछ काश्मीर में बेचा और कुछ भारतवर्ष में। काश्मीर में उसकी बिक्री १०,००,००० रु० की तथा भारत में ८००,००० रु० की है। काश्मीर की बिक्री का रुपया काश्मीर में और भारत की बिक्री का रुपया भारत में रह गया।

उसकी कर देय आय निकालो।

कम्पनी विदेशी समझी जायगी क्योंकि उसका पूर्ण सञ्चालन यहाँ से नहीं होता और न आधी से अधिक आय यहाँ होती है।

भारतीय बिक्री		८००,००० रु०
काश्मीर की बिक्री		१०००,०००

इसलिए दोनों बिक्री का अनुपात ८ : १० या ४ : ५ का हुआ।

कम्पनी की कुल आय		४५०,००० रु०
इसलिए भारतीय हिस्सा	=	$\frac{४५०,००० \times ४}{९}$
	=	२००,०००

कम्पनी को २००,००० रु० पर कर देना होगा।

उदाहरण ७५—'क' तथा 'ख' एक व्यापार में १९१५ ई० से ही साझे में हैं और १९१८ के इनकम टैक्स के अनुसार कर दे चुके हैं किन्तु अधि-कर (Supet Tax) उन्होंने पहले पहल १९२९-३० में दिया। उनका वर्ष १ अप्रैल से आरंभ होता है।

'क' ३० सितम्बर १९४९ को मर गया और उसके दोनों पुत्र 'ग' तथा 'घ' साझे में सम्मिलित हुए। दोनों को $\frac{१}{२}$ हिस्सा मिला।

३१ मार्च १९५० के वर्ष में फर्म को २००,००० रु० लाभ हुआ। साझेदारों को निम्न अन्य आय हुई—

'क' की जायदाद से १०,००० रु० लाभांश (सकल) तथा जमीन का किराया ५,०० रु० पहले छः महीनों में और ७,५०० लाभांश (सकल) तथा ६००० रु० ...न का किराया अगले छः महीनों में हुआ।

'ख' को गेहूँ के व्यापार में १०,००० रु० की हानि हुई।

'ग' को एक अनधिकृत साझे से १०,००० रु० हानि हुई और वह जीवन बीमा पर ४००० रु० प्रीमियम देता है।

'घ' को जमीन का किराया २००० रु० तथा डाइरेक्टर फीस १००० रु० मिला।

इस प्रश्न को धारा २५ (४) के अनुसार हल करना होगा क्योंकि इस फर्म ने १६१८ के ऐक्ट के अनुसार कर दिया है।

'क' की जायदाद की आय—इस आय पर उसके वैधिक प्रतिनिधि को कर देना होगा। १६४६–५० वर्ष के पिछले छः महीनों के फर्म की आय का उसका हिस्सा ५०,००० रु० हुआ। इस आय पर धारा २५ (४) के अनुसार निम्न छूट मिलेगा—

(१) इस पर आय-कर नहीं लगेगा (अधि-कर लगेगा क्योंकि फर्म ने १६२० या १६२१ के वर्ष में अधिकर नहीं दिया है)।

(२) यदि पिछले वर्ष उसे फर्म से ५०,००० रु० से कम लाभ हुआ था तो 'क' का प्रतिनिधि इनकम टैक्स अफसर से यह प्रार्थना कर सकता है कि इस ५०,०००रु० को पिछले वर्ष (१६४८–४६) की आय समझें और यदि उसके मरने से पहले फर्म पर कुछ कर लग चुका हो (१९४६–५० वर्ष के लिए) तो उसे वह वापस ले सकता है। वापस लेने के लिए उसे ३० सितम्बर १९५० के पहले प्रार्थना करना पड़ेगा।

'क' की अन्य आय (लाभांश या किराया) पर कर लगेगा।

'ख' की आय—'ख' को फर्म की आय १००,००० रु० मिलती है और उसे अन्य व्यापार में १०,००० की हानि हुई है। इसलिए उसे ६०,०००–४००० (उपार्जित आय) ८६००० पर देना होगा।

'ग' की आय—उसे इस फर्म से २५००० रु० की आय हुई। अनधिकृत फर्म की हानि का प्रतिसाद इस आय में नहीं किया जा सकता। इसलिए उसे २५०००–४००० (उपार्जित आय) = २१००० रु० पर देना होगा।

'घ' की आय—उसे इस फर्म से २५००० रु० मिलता है तथा अन्य आय ४००० रु० की है। इसलिए उसे २५०००+४०००–४००० (उपार्जित आय) = २५००० रु० पर कर देना होगा।

अध्याय ६

परीक्षा के प्रश्न

(EXAMINATION QUESTIONS)

76. From the following particulars of X, ascertain the total income : He is a part-time Secretary of a Textile Mill on a salary of Rs. 450 p. m. which he receives after deduction of Income Tax. He holds shares on which he gets Rs, 3,000 as net dividend and on debentures of Rs. 15,000 he gets 6% interest. He also holds free of tax Government Bonds 4% for Rs. 40,000. During his spare time he works as an Insurance agent and therefrom gets Rs. 4,000. His Pass Book of a Bank shows a credit of Rs. 300 as interest. He also owns a house property of annual value of Rs. 12,000. The property is mortgaged and interest thereon is Rs. 6,000. His other admissible expenses on his property are Rs. 1,500. He is a pensioner of Nepal State and gets Rs. 4,000. He is appointed examiner in the Banaras Hindu University and gets Rs. 2,000. He is also a director of a Mill and thereby gets Rs. 600.

(Total Income Rs. 25,300)

77. Ram Govind draws Rs. 400 p. m. salary and Rs. 40 conveyance allowance in a Sugar Factory. He is allowed ⅛rd of the Net Profit of the company as commission for guaranteeing recovery of book debts. Net profit of the company was Rs. 120,000, before providing for his commission. Losses on account of non-recovery of book debts amounting to Rs. 15,000 have been entered in the Co's books.

Find the assessable income of Ram Govind.

(Total Income Rs. 24,800)

78. Shyam draws a salary of Rs. 2,000 p. m. in a Ltd. Co. He is also granted rent-free quarters besides free medical advice and free conveyance. He contributes to a recognised provident fund Rs. 2,000 p. a. and the Co, also contributes a like amount. Interest on P. F. amount @ 7½% is Rs. 750. He also possesses a house of rental value of Rs. 2,000 and was let out for Rs. 200 p. m. The house was vacant for one month.

इस अध्याय में कुछ परीक्षा के प्रश्न दिये जाते हैं जो केवल बी० कॉम०, तथा एम० कॉम० के विद्यार्थियों के लिए हैं। इसलिए प्रश्न अंग्रेजी में हैं।

Calculate his taxable income

(Total Income Rs. 31,515, Rebate on Rs. 4,600)

79. The following is the Income and Expenditure A/C of an advocate.

	Rs.		Rs.
To Household Expenses	16,000	By Legal Fees	60,060
,, Office Expenses	15,600	,, Acting in a Commission	1,800
,, Charity	2,000	,, Gain in Race course	1,580
,, Income Tax	2,800	,, Dividends (Net)	1,240
,, Loss on Shares Sold	4,500	,, Profit on Sale of Securities	1,020
,, Gratuity to one of his disabled clerks	2,300	,, Interest on Advances	2,780
		,, Director's fees	100
,, Net income	28,410	,, Bank Interest	170
		,, Interest on Post office Deposit	860
		,, Dividends from Co-operative society declared out of mutual profit.	2,000
	71,610		71,610

Calculate his taxable income.

(Professional Income Rs. 43,960; Total Income Rs. 48,663)

80. Find out the taxable income of an accountant from the following P. & L. A/C :—

	Rs.		Rs.
To Motor Car Expense	2,000	By fees	40,000
,, Depreciation on Car (25%)	500	,, Interest on Bonds.	1,000
,, Salaries (Self)	7,000	,, Profit on Sale of House (Residential)	6,000
,, Salaries to staff	3,000		
,, Bad Debts.	1,000		
,, Doubtful Debts	200		
,, Repairs of Residential House	200		
,, Income Tax	250		
,, General Expenses	700		
,, Goodwill	3,000		
,, Profit	29,150		
	47,000		47,000

(Total Income Rs. 33,900)

81. A doctor's income consists of Rs. 5,400 from profession, 5% interest on Rs. 10,000 Government securities and Rs. 100 as director's fees.

He owns a bungalow which he uses for his own residence, the municipal valuation of which is Rs. 1,000. He paid Rs. 150 for fire insurance premium and Rs. 50 ground rent. The bungalow is mortgaged and the interest on the mortgage amounts to Rs. 800.

He paid Rs. 1,200 as premium on a policy on his own life.

Ascertain the taxable income. (Agra B. Com. 1944)

(Total Income Rs. 5,455)

82. From the following information relating to the previous year ended 31st March 1947 prepare the assessment of A :—

He is the chief accountant of a large mill Co. drawing a salary of Rs. 600 and a house-rent allowance of Rs. 50 p. m. During the year he contributes Rs. 800 to a recognised provident fund to which his employer also contributed the same amount. The interest on his P. F. a/c for the year was Rs. 915.

On the occasion of the Co.'s silver jubilee he was given two months' salary as bonus during the year. His other taxable income consisted of (*a*) Rs. 900 as share of profits from an unregistered firm which has been taxed; (*b*) Rs. 1,275 from property; (*c*) Rs. 500 as interest from tax-free Govt. securities; and (*d*) Rs. 810 received as dividends.

The premiums paid on his life insurance policies amounted to Rs. 865.

(Agra B. Com. 1946)
(Patna B. Com. 1949 A.)

(Total Income Rs. 14,568)

83. The following are the particulars of the income of D. D. Pande, a Govt. servant, for the previous year ended 31st March 1947 :—

(*a*) His salary was Rs. 750 p. m. and his travelling allowance bills for the whole year amounted to Rs. 1,660, the actual expenditure incurred by him on travelling being Rs. 1,140.

(*b*) He contributed one anna in the rupee to Government. P. F., his employer contributing an equal amount. Interest on his P. F. A/C balance for the year amounted to Rs. 1,580.

(*c*) He owns two bungalows, one of which is let at Rs. 125 p. m. and the other, the annual value of which is Rs. 800 is occupied by him for his own residence. He pays Rs. 150 per year as ground rent and insurance charges in respect of the first bungalow and Rs. 210 p. a. in respect of the second one.

(*d*) His investments during the year were as follows:—(*i*) Rs. 5,000 5% tax-free Government securities (*ii*) Rs. 8,000 6% pref-shares in a sugar mill Co.

(*e*) He is insured and pays an annual premium of Rs. 1,250.

You are required to find out for his assessment (*i*) his total income (*ii*) earned income allowance that will be granted to him (*iii*) his taxable income, and (*iv*) the amount on which he can claim exemptions. (Agra B. Com. 1947)

(i) Rs. 11,329, (ii) Rs. 1,800, (iii) Rs. 9,529, (iv) Rs. 2,062)

84. From the following information about the income of A (an ordinary resident) find out taxable income for the year 1948-49—

(*a*) Salary Rs. 300 p. m.
(*b*) 3% Government Loan of Rs. 15,000.
(*c*) 6% (free-of tax) Dividend on 100 pref. shares of Rs. 100 each in a Ltd. Co.
(*d*) Share of profit from an unregistered firm Rs. 2,000.
(*e*) Interest on Postal Savings Bank A/C Rs. 100.
(*f*) A monthly pension of Rs. 100 from an Indian State.
(*g*) Rs. 500 being share of the income of a H. U. F.
(*h*) Rs. 500 received as dividend from a Tea Co.

The assessee owns a residential house of an annual valuation of Rs. 2,000, paid Rs. 2,000 as insurance premia on his life policy and that of his wife, and received Rs. 3,000 on the maturity of an endowment insurance policy during the year. (Rajputana B. Com. 1949)

(Total Income Rs. 9,483. Taxable Income Rs. 8,523)

85. An individual had the following income in Br. India (now Indian Union) during the calendar year 1946—(*a*) Property—annual letting value Rs. 4,8000 (*b*) Salary Rs. 12,000, (*c*) 8 annas share of profits in a registered' firm Rs. 10,000. and (*d*) 8 annas share of loss in an unregistered firm Rs. 5,000.

You are required to determine his taxable income after considering the following facts :—

(1) Rs. 2,000 a year is payable for the ground rent of the land on which the property is situated, but as this sum was in arrears since 1943, Rs. 8,000 had to be paid during the year.

(2) The property has been constructed with a borrowed capital of Rs. 100,000 on which interest @ 4% p. a. is payable.

(3) He spent a sum of Rs. 6,000 on the repair of the property and paid Rs. 1,000 as salaries to the staff employed for collecting the rent.

(4) The particulars of his life insurance policies are (*a*) whole-life policy on his own life, capital sum assured Rs. 50,000 and

premium paid Rs. 2,000. (*b*) Endowment policy on the life of his wife, capital sum assured Rs. 30,000, and premium paid Rs. 5,000, (*c*) Marriage endowment policy for daughter for Rs. 10,000 payable on the happening of the marriage but not otherwise, premium paid Rs. 1,000. (Agra M. Com. 1945)

(Total Income Rs. 55,000, Premium Relief Rs. 6,000)

86. An American came out to Bombay for the first time on 1st July 1946 to take up the post of chief chemist in a large chemical works under a 'five years' agreement, and on a monthly salary of Rs. 2,000 payable on the last day of each month. His other incomes in Br. India up to 31st March 1947 were as follows :—

1. One-half year's interest on Rs. 25,000 3% Govt. securities 26% dividend (less tax) on Rs. 10,000 pref-shares in a Jute Mill Co.
3. A dividend of Rs. 3 and a bonus of Rs. 2 per share (both free of tax) on 1,000 shares in an engineering Co., 80% of whose profits are taxable.
4. Rs. 250 as director's fees.

He earned Rs. 50,000 from agriculture in America, half of which was remitted to him in Bombay in October 1946.

He is insured for 10,000 dollars with an American insurance Co. and he paid in New York 400 dollars as premium.

Prepare his income tax assessment. (Nagpur B. Com. 1948)

(Total Income Rs. 50,891)

87. Mrs. D' Souza having no dwelling-house in India, came for the first time to Madras from Ceylon on 1st Nov. 1947, to take up a two years' appointment on the staff of a Govt. Hospital on a salary of Rs. 1,500 p. m. plus Rs. 200 p. m. as house allowance. Her income from private practice in Madras during the period ended 31st March 1948 amounted to Rs. 5,000. She holds 500 shares of Rs. 100 each in a textile mill in Madras, which declared a dividend of Rs. 12 (less tax) per share in Dec. 1947.

Her income arising outside Br. India during the year ended 31st March 1948 amounted to Rs. 7,000 of which Rs. 2,000 was actually received by her in Madras.

Explain clearly Mrs. D' Souza's taxation liability for the assessment year 1948-49. Do not calculate the amount of tax payable by her.

Would it make any difference in her taxation liability, if she had commenced her service in Madras in (*a*) Sept. 1938 or (*b*) June 1947.

(Rajputana B. Com. 1949)

(Total Income Rs. 17,800, Total World Income Rs. , ?, Earned Income allowance Rs. 2,369. For 1948-49 she is

Resident. (a) In this case he is ordinarily Resident, (b) In this case she is not ordinarily Resident)

88. From the following particulars relating to the year ended 31st March 1947, furnished by A, who is trading as a general merchant ascertain his total income and the amount of income entitled to income tax relief :—

He owns properties in four places and their annual values are Rs. 57,380, Rs. 9,840, Rs. 2,060, and Rs. 2,000 respectively. He is interested in the following concerns of which he is a partner :—

A. B. & Co. (registered) whose assessable income for the year ended Diwali Samvat 2003 is Rs. 41,708 and A's share is 8 annas.

C. D. & Co. (unregistered) whose assessable income for the year 1946 amounts to Rs. 24,331 and A's share is 6 as.

His Income & Expenditure A/C for the year ended 31st March 1947 is as follows :—

Property Expenses :—

	Rs.		Rs.
Repairs	20,000	Property Rents	78,000
Collection charges	4,660	Share of Profits.	
Ground Rent.	2,824	A. B. & Co.	20,854
Insurance Prem.	1,568	C. D. & Co.	9,124
Salaries & wages.	27,000	Remuneration as Liquidator.	140,000
General Expenses.	3,000	Profits of his own business	96,000
Reserve for Bad Debts.	17,800	Interest on tax free Govt. securities.	120,000
Interest to mortgages of property	18,000	Interest on Loans.	180,000
Other Interest	72,000		
Net Profit.	477,126		
	643,978		643,978

Rs. 500 being collection charges in connection with properties has been debited to salaries and wages A/C by mistake.

He also owns a property which is used solely as his residence and the municipal valuation of which is Rs. 90,000. Insurance premium and ground rent for the same amounted to Rs. 2,976, which is not included in any figure stated above.

(Agra. B. Com. 1945)

(Total Income Rs. 5,44,833, Relief on Rs. 1,29,124)

89. A and B are the two ordinarily resident partners in a cloth dealing registered firm of Calcutta which closes its accounts on 31st Dec each year. The individual incomes of A and B for

the year ended 31st March 1948 besides the income from the firm are :—

	A.	B.
	Rs.	Rs.
(a) Income from Indian Govt. securities (Gross)	5,000	7,000
(b) Rupee Dividend (Gross)	3,000	4,000
(c) Rent from Buildings.	—	6,000
(d) Sterling income (not remitted to Br. India (Rate 1s. 6d. per Re.)	£225	£50

The following is the Profit and Loss A/c of the firm for the year ending 31st Dec. 1947 and, you are required to prepare the individual assessment of A and B for 1948-49—

		Rs.		Rs.
To General Expenses ...		6,000	By Gross Profit ...	34,600
,, Salaries and Bonus ...		4,000	,, Bank interest ...	1,000
,, Bengal Sales Tax ...		3,000	,, Profit on sale of Investments ...	3,000
,, Office rent ...		1,300		
,, Reserve for Depreciation ...		1,200		
,, Bad Debts written off		300		
,, Bad Debts Reserve ...		800		
,, Advertising ...		2,000		
,, Subscription & Charities ...		1,000		
,, Loss on sale of Motor-car ...		2,000		
,, Partner's salaries :				
A ...	1,200			
B ...	1,800	3,000		
,, Int. on Cap :				
A	1,500			
B	1,500	3,000		
,, Commission to B@1% on sales		1,000		
,, Net Profit		10,000		
		38,600		38,600

The following points are to be considered with regard to the above Profit and Loss A/c—

(a) General Expenses include Rs. 200 for legal expenses regarding new Partnership Deed.

(b) Advertising comprises—(i) cost of permanent signs Rs. 700 and (ii) Insertion in Trade Journals Rs. 1,300.

(c) Subscription and Charities consist of (i) Local Hospital Rs. 200, (ii) Recognised Girls' School (run on private subscription) Rs. 200 (iii) cost of constructing a chhappar (temporary) for refugees Rs. 400 and (iv) Trade Associations Rs. 200.

(d) Motor car is used for private purposes.

(e) The net profit was divided equally between A and B.
(Rajputana B. Com. 1949)

(Firm's Profit Rs. 19,000. A's Total Income Rs. 16,700

B's Total Income Rs. 26,300)

90. The Profit and Loss Account for 1946 of a firm consisting of 3 partners A, B, and C (with shares of 4, 3 and 1) showed a net loss of Rs. 16,000, after charging the following items :

Interest on Capital A, Rs. 3,000, B Rs. 2,000 and C's salary of Rs. 3,000.

A's taxable income from other sources is Rs. 5,000 while B and C have no other income.

Explain how assessment would be made (a) when the firm is registered and (b) when it is unregistered. (Agra. B. Com. 1945.)

(Firm's Income A—5000, B—4000, C+1000).

91. From the following particulars, find out the Income Tax payable by Mr. A :—

(a) Salary Rs. 350 p. m.

(b) Interest on 4% Victory Bonds on an Investment of Rs, 15,000.

(c) Income from House Property—Rs. 1,800 (annual value being Rs. 1,500).

(d) Fees as Director—Rs. 600.

(e) Business Profits—Rs. 1,200.

(f) Interest on 3% (free of Tax) Independence Bonds on an investment of Rs. 4,000.

(g) Insurance Premium paid by A during the year Rs. 1,950.
(Patna B. Com. 1950S.)

(Total Income, Rs. 8,220, Tax less Rebate Rs. 378-7).

92. Enumerate the heads of income and explain why the bases of assessment should be different. Illustrate your answer by using imaginary figures.

Show the entire structure of an assessment.
(Patna B. Com. 1950 S.)

93. X, an ordinary resident, prepared a return of his income for the year ended 31st March, 1948, as follows:—

		Rs.
Salary		24,000
Dividend from a tea company assessed on 40% of its profits declared in December 1947 (certificate under section 20 produced)		6,000
Loss from speculation business discontinued in January 1947 determined in his assessment for 1947-48 as under :		
Speculation Loss	40,000	
Less Salary and Property income of the year ended 31st March 1947 set off ...	36,000	
	4,000	
Total income		30,000

Insurance Premiums (receipt produced) Rs. 3,000. On enquiry the assessee supplied the following information—

(*a*) Monthly salary Rs. 3,000. The assessee was on leave for four months ex-India and out of four months leave salary at the rate of Rs. 3,000 p. m. two months leave salary was drawn ex-India the balance being drawn in British India on return from leave during the following year.

(*b*) The dividend income of Rs. 6,000 represented the amount declared by the Co. in favour of the assessee, but 60% of the Co's. income was derived from agriculture.

(*c*) One-fourth of the assessee's house property was reserved for his own occupation. The correct rental value of the other part of the house was Rs. 4,800 but the assessee's agent charged 1/6 of the rent as his commission.

(*d*) The particulars of his insurance policies are—

(*i*) Endowment policy on the life of his wife; capital sum assured Rs. 10,000, premium Rs. 2,000.

(*ii*) Whole life policy on his own life, capital sum assured Rs. 10,000, premium Rs. 500.

(*iii*) Marriage endowment policy for daughter for Rs. 5,000, payable on the happening of the marriage but not otherwise, premium Rs. 500.

Determine the total income of the assessee and his exempted income for the assessment year 1948-49.

(*Patna B. Com. 1950 A.*)

(Total income Rs. 47,903, Rebate on 2,000 Prem).

94. R. Basu is a practising Registered Accountant who also runs a private accountancy training institute. He keeps his books on a cash basis and his summarised cash A/c for the year ending 31st March 1946 is given below—

	Rs.		Rs.
To Balance b/d ...	9,654	By Office Expenses ...	4,150
" Audit fees ...	14,750	" Institute Expenses ...	900
" Income from other accountancy works ...	5,475	" Personal Expenses ...	3,600
" Institute fees ...	2,100	" Annual Registration-fees ...	32
" Examiner's fees ...	645	" Life Insurance Prem.	1,250
" Interest on Investments (Net)	4,500	" Income Tax ...	2,500
" Rent from Property ...	4,200	" Motor Car purchased	3,450
		" " " expenses	420
		" Insurance of Property	300
		" Cost of Bungalow purchased ...	18,000
		" Balance C/d ...	6,722
	41,324		41,324

Bearing the following information in mind, ascertain his taxable income from profession and also his total income for the previous year 1945—46 :—

Office expenses include Rs. 108 for technical books and Rs. 65 for furniture purchased for the business. One-third of the motor-car expenses are in respect of his profession. He lives in a house of his own whose gross annual valuation may be taken to be Rs. 600. His investments are all in government securities and Port Trust Debentures. Depreciation allowance for the books and furniture used for purpose of his profession is Rs. 65.

(Professional income Rs. 17,856. Total income Rs. 27,556)
(Patna B. Com. 1949 S).

95. M. Z requests to you to ascertain his total assessable income and his income from business for the year 1943-44. His profits and loss account for the year ended 31st March 1940 showed as follows :—

	Rs.		Rs.
To salaries including Z's salary Rs. 2,400 ...	8,400	By Gross Profits from Trading A/c ...	35,000
,, Office Expenses ...	1,500	,, Interest from Tax-free securities ...	1,400
,, Reserve for Doubtful Debts ...	1,200		
,, Fire Insurance ...	300		
,, Bad Debts ...	500		
,, Rent ...	3,000		
,, Advertising ...	1,000		
,, Income Tax for 1941-42	600		
,, Discounts ...	800		
,, Loss on sale of furniture	125		
,, Interest on Bank over draft	350		
,, Interest on Z's Cap.	450		
,, Depreciation @ 10% on written down value	400		
,, Net Profit transferred to Capital A/c ...	17,775		
	... 36,400		36,400

There is a carried forward business loss of Rs. 1,560 from the assessment year 1942-43. (Patna B. Com. 1948 S)

(Business Income Rs. 36, 815. Total Income Rs. 38,681)

96. Mr. A. N. Vakil, a solicitor, has prepared the following Income & Expenditure A/C for the year ending 31st March 1945 :—

	Rs.		Rs.
To office Expenses	13,000	By Professional Earnings	125,000
,, Purchase of ornaments for his wife	9,000	,, Profit on Sale of Property (Purchased in 1920)	20,000
,, Household Expenses.	36,000	,, Ground Rent.	1,000
,, Wedding Expenses for his daughter.	10,000	,, Fees as Director	3,000
,, Charity.	5,000	,, Interest on Tax-free securities,	8,000
,, Life Ins. Prem — His own life. 12,000; wife's life 5,000	17,000	,, Gifts on the occasion of daughter's wedding.	16,000
,, School and College fees and other expenses of children.	4,000		
,, Net Loss–Share Bazar Transactions	15,000		
,, Balance being excess of Income over Expenditure	64,000		
	173,000		

He lives in a bungalow which belongs to him. Its net or rateable value as per Municipal Bill is Rs. 16,000. Expenses on this bungalow were: Ground Rent Rs. 1,000 and fire Ins. Prem. Rs. 200.

Prepare his income tax liability for 1945-46.

(Patna B. Com. 1948 A)

(Total Income Rs. 120,508)

97. x had the following incomes during the year 1944-45. show his assessable income ---

(a) Salary as college teacher Rs. 250 p. m.
(b) Fees as Director of a Ltd. Co. Rs. 500
(c) Dividend from a chemical Co. Ltd. Rs. 5,000 (Tax-free)
(d) Interest from 5% War Bonds Rs. 4,500 (Tax free)
(e) Remuneration as Examiner and Paper Setter Rs. 450.
(f) House Property Income Rs. 5,000.

He has two houses. In one he lives and the other he lets out and the rent income is Rs. 5,000. The following additional information is available in connection with the house that has been let out :—

		Rs.
(1)	Insurnce Premium	50
(2)	Ground Rent.	32
(3)	Municipal Taxes.	1,050
(4)	Repairs.	1,500
(5)	Collection charges.	500

(g) He contributed Rs. 1,000 to Red Cross Fund.
(h) His wife earned Rs. 750 during the year as Examiner and Paper-Setter.

(i) He maintains a life policy on his wife's life and the premium paid during the year amounted to Rs. 2,500.

(Patna B. Com. 1947 S)

(Total Income Rs. 20,946 ; Rebate on Rs. 3,500)

98. The following is the P/L A/C of the Standard & Co. Ltd. You are required to prepare P/L Adjustment A/C for assessment purposes and to find out the total amount of tax payable.

Trading and P/L Account

	Rs.		Rs.
To opening Stock	50,000	By sale	300,000
,, Purchases	150,000	,, Stock	45,000
,, Direct charges	5,000		
,, Gross profit	140,000		
	345,000		345,000

अन्तिम खाता—अन्तिम खाता (Final Account) का दो भाग होता है—
(१) व्यापार वृद्धिखाता (Trading A/c) तथा (२) लाभालाभ खाता
(Profit and Loss A/c)

किसी व्यापारी अथवा साझा के लिए अन्तिम खाता बनाने का कोई ढंग निश्चित नहीं है। वे अपना लाभ किसी भी ढंग से निकाल सकते हैं। किन्तु ऐक्ट के अनुसार प्रत्येक कम्पनी के लिए लाभालाभ खाता इस ढंग से बनाना आवश्यक है कि उससे कुछ निश्चित सूचना प्राप्त हो सके। ऐक्ट में लाभालाभ के रूप के बारे में कुछ नहीं है किन्तु उसमें निम्न सूचनाओं का होना धारा १७ (२), १३२ (३) तथा टेबुल ए (A) के १०७ नियमानुसार आवश्यक है—

(१) लाभालाभ खाता से सकल आय (Gross Income) सूचित होना चाहिए और उससे विभिन्न सूत्र (Sources) जिनसे आय हुई है उनका भी स्पष्टीकरण हो।

नोट—इसमें 'सकल आय' शब्द का प्रयोग किया गया है। सकल आय तथा सकल लाभ (Gross Profit) में अन्तर है क्योंकि सकल आय शब्द अधिक व्यापक है। इससे माल का क्रय-विक्रय तथा अन्य आय का भी बोध होता है। प्रत्येक प्रकार की आय को अलग अलग लिखना पड़ता है।

(२) लाभालाभ खाता में सकल व्ययों (Gross Expenditure) को भिन्न-भिन्न शीर्षकों में स्पष्टीकरण करना चाहिए।

(३) वर्ष के कुल व्यय को (जो व्यय दिये जा चुके हों तथा जो बाकी हों) लिखना चाहिए।

नोट—कुल आय को (जो मिल चुकी हो या बाकी हो) लिखना अनिवार्य नहीं है। क्योंकि पूँजी-लाभ (Capital Profit) या असाधारण आय को लाभालाभ खाता में नहीं भी लिखा जा सकता है।

(४) यदि कोई असाधारण व्यय हुआ हो तो साधारण सभा की सम्मति से उसको कई वर्षों में लाभालाभ खाता में लिखा जा सकता है।

(५) मैनेजिंग एजेन्ट या डाइरेक्टर को किसी प्रकार की दी हुई रकम को अलग-अलग विस्तार में लिखना चाहिए।

(६) ह्रास (Depreciation) की रकम को विस्तार में लिखना चाहिए।

(७) यदि कम्पनी के किसी डाइरेक्टर को किसी अन्य कम्पनी का भी डाइरेक्टर चुना जाय तो उस अन्य कम्पनी से मिली हुई रकम को भी लाभालाभ खाता में नोट के रूप में

ऐक्ट में लाभालाभ खाता बनाने की विधि नहीं निश्चित है इसलिए इसको भिन्न-भिन्न स्थानों में अलग-अलग ढंग से बनाया जाता है। किन्तु निम्न ढंग से लाभालाभ खाता साधारणतः बनाया जाता है। इसको दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है (१) व्यापार वृद्धिखाता (Trading A/c) तथा (२) लाभालाभ खाता (Profit and Loss A/c)। दोनों का शीर्षक एक बार ही दिया जाता है—

........कम्पनी लिमिटेड

३१-१२-१९५० के वर्ष का व्यापार वृद्धि तथा लाभालाभ खाता

		रु०			रु०
प्रारम्भिक शेष माल		...	माल की बिक्री	...	
क्रय	......		घटाया वापिसी बिक्री	...	...
घटाया वापिसी क्रय	......	...	माल का अन्तिम शेष		...
माल के क्रय के व्यय		...			
माल बनाने का व्यय (मजदूरी, गैस, तेल इत्यादि)		...			
सकल लाभ		...			
		...			...
वेतन		...	सकल लाभ		...
अन्य स्थापन व्यय		...	अन्य आय— (ब्याज, मकान भाड़ा, कमीशन, लाभांश, इत्यादि		...
माल की बिक्री के व्यय— (विज्ञापन, पैकिंग एजेन्ट, कमीशन, छूट इत्यादि)		...			
अन्य व्यय—		...			
डाइरेक्टर फीस		...			
मैनेजिंग एजेन्ट का कमीशन		...			
ह्रास		...			
संचय		...			
शुद्ध लाभ (Net Profit)		...			
		...			...

To Rent.	6,000	By Gross Profit.	140,000
,, Salaries	24,000	,, Dividend on Shares	5,000
,, Commission.	10,000	,, Interest on fixed Deposit	4,000
,, Depreciation.	2,000	,, Profit on Sale of a motor car.	2,000
,, Contribution to War Fund	15,000	,, Sundry Receipts.	5,000
,, Repairs.	1,000		
,, Bad Debts	250		
,, Bad Debt Reserve	2,500		
,, Income Tax.	40.000		
,, Donation to Calcutta Relief Fund.	1,000		
,, Preliminary Expenses.	5,000		
,, Net Profit.	49,250		
	156,000		156,000

(Business Profit Rs. 95,750)

(Patna B. Com. 1947 A)

99. The profit and Loss A/C of Vikaji for the year ended 31st March 1947 was as under :—

	Rs.		Rs.
Salaries	157,500	Gross Profit	357,000
General charges.	4,500	Bank Deposit Interest	1,530
Ground Rent.	800	Dividends (Net)	3,960
Rates.	5,000		
Municipal tax on business premises.	2,500		
Repairs to premises.	3,750		
Carriage.	7,010		
Advertising.	4,300		
Discounts and Bad Debts.	6,430		
Bad Debt Reserve.	1,350		
Subscriptions.	120		
Patent Royalties.	500		
Interest on mortgage.	1,200		
Interest on Capital.	9,000		
Net Profit.	158,530		
	362,490		362,490

After taking the following information into account you are required to prepare computation of Vikaji's assessment for the assessment year 1947-48. You are not required to calculate the amount of income tax and super tax.

1. Salaries include Rs. 16,000 on account of Vikaji's salary,

2. General charges include (*a*) Rs. 260 legal expenses re. purchase of business premises (*b*) Rs. 360 legal expenses re. debt

collecting and (e) Rs. 210 legal expenses re. employment agreements with travellers.

3. The business premises are owned by Vikaji.

4. Repairs to premises include Rs 1,750 in respect of improvements.

5. Advertising comprises Rs. 3,000 cost of permanent signs and Rs. 1,300 insertions in trade papers.

6. Subscriptions consist of Rs. 50 to a local hospital, Rs. 40 charity and Rs. 30 to a trade association.

7. Vikaji created an irrevocable trust on 1st April 1946 whereby he settled shares of the value of Rs. 500,000 and a house property of the value of Rs. 300,000, the income of which is to go to his wife for her life, and after her death to Vikaji, if he survived her. The trust income was dividend gross Rs. 20,000 and property income Rs. 10,000. At the date of the assessment for 1947-48 both the husband and wife were alive.

8. Vikaji's other incomes were as follows :—

(a) Loss in silver speculation in Bombay Rs. 10,000.

(b) Business income in Baroda State not brought into Br. India Rs. 30,000 (Note-then Baroda State was outside India).

(c) Dividends from companies registered in Hyderabad State and deposited there in a Bank Rs. 20,000 (Note-Again Hyderabad was then outside Taxable territory as is not the case now).

(d) Loss in cotton speculation in Indore (i.e. not in taxable territory) Rs. 15,000.

He paid life insurance premiums amounting to Rs. 8,000.

(R. A. Final 1946)

(Business Income Rs. 186,020. Total Income Rs. 242,280. Rebate on Prem. 6,000 and on unremitted Indian State Income Rs. 30,500)

100. Given below is the P. & L. A/C of a Ltd. Co. for the year ended 31st March 1949 :—

	Rs.		Rs.
Salaries and Bonus	100,000	Gross Profit.	500,000
Office Rent.	10,000	Interest.	10,000
Fire Ins. Prem.	10,000	Profit on Sale of shares.	25,000
Postage & Stationery	10,000		
General charges.	20,000		
Reserve for Depreciation.	25,000		
Income Tax.	50,000		
Provision for Taxation.	200,000		
Net Profit.	110,000		
	5,35,000		5,35,000

You are required to prepare a statement showing the taxable income of the Co. after considering the following :—

(*a*) General charges included Rs. 5,000 for advertising, Rs. 1,000 for charity, Rs. 2,000 paid to a motor-car Co. for exchanging the old car for a new one, Rs. 5,000 for miscellaneous repairs.

(*b*) The depreciation admissible to the Co. is worked out at Rs. 15,000 only.

(*c*) The shares held by the Co. were sold in May 1948 and the Co. contends that they were purchased in 1925 and it is no part of its business to deal in shares.

(*d*) The depreciation reserve was separately invested in securities and an amount of Rs. 20,000 derived therefrom was directly credited to the Reserve Account without being shown in the P. & L. A/C.

(Agra. M. Com. 1945)

(Total Income Rs. 368,000)

अध्याय १०

प्रकाशित खाता

(PUBLISHED ACCOUNTS)

प्रकाशित खाता का अर्थ—लोक-कम्पनियों (Public Co.) के प्रकाशित अन्तिम खातों (Final A/c) तथा आर्थिक चिट्ठा (Balance Sheet) को ही प्रकाशित खाता कहा जाता है। वैयक्तिक कम्पनियों (Private Co.) को अपना खाता प्रकाशित नहीं करना पड़ता। साझा तथा अन्य व्यापारी को भी अपना खाता प्रकाशित करना आवश्यक नहीं है। केवल लोक-कम्पनियों को ही अपना अन्तिम खाता तथा चिट्ठा प्रकाशित करना आवश्यक है। कम्पनी ऐक्ट के धारा १३० तथा टेबुल ए (A) के १०५ नियमानुसार प्रत्येक लोक कम्पनी को नियमित खाता-बहियों को अपने पास रखना पड़ता है जिन में निम्न लेन-देन का लेखा हो सके—

(अ) कम्पनी को रुपया मिलने या कम्पनी का रुपया देने का।

(आ) कम्पनी के क्रय-विक्रय का, तथा

(इ) कम्पनी की सम्पत्ति तथा देने का।

ऐक्ट में खाता-बही लिखने के ढंग तथा उसकी भाषा के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है। खाता-बहियों को कम्पनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना पड़ता है। उचित खाता-बही रखने का भार कम्पनी के डाइरेक्टर या मैनेजिंग एजेन्ट पर रहता है। सुचारु रूप से खाता-बही नहीं रखने पर उनको १००० रु० तक जुर्माना हो सकता है।

बहियों का निरीक्षण प्रत्येक डाइरेक्टर कर सकता है। ऐक्ट के टेबुल ए (A) के १०५ नियमानुसार यदि साधारण सभा (Ordinary meeting) में शेयरदार यह निश्चित करें कि वे भी बहियों का निरीक्षण कर सकते हैं तो वे भी ऑफिस खुला रहने पर उन बहियों को देख सकते हैं।

कम्पनी के डाइरेक्टर को ऐक्ट के धारा १३१ (१) के अनुसार प्रत्येक अंगरेजी वर्ष में एक बार शेयरदारों की साधारण सभा में कम्पनी का अन्तिम खाता तथा चिट्ठा देना पड़ता है। धारा १३१ (२) के अनुसार उन खातों को ऑडिट (Audit) कराना अनिवार्य है। धारा १३१ (३) के अनुसार इस अन्तिम खाता तथा चिट्ठा की एक प्रति सभा की तिथि से १४ दिन पहले प्रत्येक शेयरदार के पास भेजना आवश्यक है (वैयक्तिक कम्पनी को ऐसा करना आवश्यक नहीं है, किन्तु शेयरदार प्रति १०० शब्दों के लिए ६ आना देकर उसकी नकल ले सकता है)। धारा १३४ के अनुसार इसी की तीन प्रति कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास सभा के बाद २१ दिन के भीतर भेजना पड़ता है।

अन्तिम खाता—अन्तिम खाता (Final Account) का दो भाग होता है— (१) व्यापार वृद्धिखाता (Trading A/c) तथा (२) लाभालाभ खाता (Profit and Loss A/c)

किसी व्यापारी अथवा साझा के लिए अन्तिम खाता बनाने का कोई ढंग निश्चित नहीं है। वे अपना लाभ किसी भी ढंग से निकाल सकते हैं। किन्तु ऐक्ट के अनुसार प्रत्येक कम्पनी के लिए लाभालाभ खाता इस ढंग से बनाना आवश्यक है कि उससे कुछ निश्चित सूचना प्राप्त हो सके। ऐक्ट में लाभालाभ के रूप के बारे में कुछ नहीं है किन्तु उसमें निम्न सूचनाओं का होना धारा १७ (२), १३२ (३) तथा टेबुल ए (A) के १०७ नियमानुसार आवश्यक है—

(१) लाभालाभ खाता से सकल आय (Gross Income) सूचित होना चाहिए और उससे विभिन्न सूत्र (Sources) जिनसे आय हुई है उनका भी स्पष्टीकरण हो।

नोट—इसमें 'सकल आय' शब्द का प्रयोग किया गया है। सकल आय तथा सकल लाभ (Gross Profit) में अन्तर है क्योंकि सकल आय शब्द अधिक व्यापक है। इससे माल का क्रय-विक्रय तथा अन्य आय का भी बोध होता है। प्रत्येक प्रकार की आय को अलग अलग लिखना पड़ता है।

(२) लाभालाभ खाता में सकल व्ययों (Gross Expenditure) को भिन्न-भिन्न शीर्षकों में स्पष्टीकरण करना चाहिए।

(३) वर्ष के कुल व्यय को (जो व्यय दिये जा चुके हों तथा जो बाकी हों) लिखना चाहिए।

नोट—कुल आय को (जो मिल चुकी हो या बाकी हो) लिखना अनिवार्य नहीं है। क्योंकि पूँजी-लाभ (Capital Profit) या असाधारण आय को लाभालाभ खाता में नहीं भी लिखा जा सकता है।

(४) यदि कोई असाधारण व्यय हुआ हो तो साधारण सभा की सम्मति से उसको कई वर्षों में लाभालाभ खाता में लिखा जा सकता है।

(५) मैनेजिंग एजेन्ट या डाइरेक्टर को किसी प्रकार की दी हुई रकम को अलग-अलग विस्तार में लिखना चाहिए।

(६) ह्रास (Depreciation) की रकम को विस्तार में लिखना चाहिए।

(७) यदि कम्पनी के किसी डाइरेक्टर को किसी अन्य कम्पनी का भी डाइरेक्टर चुना जाय तो उस अन्य कम्पनी से मिली हुई रकम को भी लाभालाभ खाता में नोट के रूप में लिखना चाहिए।

ऐक्ट में लाभालाभ खाता बनाने की विधि नहीं निश्चित है इसलिए इसको भिन्न-भिन्न स्थानों में अलग-अलग ढंग से बनाया जाता है। किन्तु निम्न ढंग से लाभालाभ खाता साधारणतः बनाया जाता है। इसको दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है (१) व्यापार वृद्धिखाता (Trading A/c) तथा (२) लाभालाभ खाता (Profit and Loss A/c)। दोनों का शीर्षक एक बार ही दिया जाता है—

.........कम्पनी लिमिटेड

३१-१२-१९५० के वर्ष का व्यापार वृद्धि तथा लाभालाभ खाता

		रु०			रु०
प्रारम्भिक शेष माल		...	माल की बिक्री	...	
क्रय	......		घटाया वापिसी बिक्री	...	...
घटाया वापिसी क्रय	......	...	माल का अन्तिम शेष		...
माल के क्रय के व्यय		...			
माल बनाने का व्यय		...			
(मजदूरी, गैस, तेल इत्यादि)					
सकल लाभ		...			
		...			...
वेतन		...	सकल लाभ		...
अन्य स्थापन व्यय		...	अन्य आय—		...
माल की बिक्री के व्यय—		...	(ब्याज, मकान भाड़ा,		
(विज्ञापन, पेकिंग			कमीशन, लाभांश, इत्यादि		
एजेन्ट, कमीशन, छूट इत्यादि)					
अन्य व्यय—		...			
डाइरेक्टर फीस		...			
मैनेजिंग एजेन्ट का कमीशन		...			
ह्रास		...			
संचय		...			
शुष्क लाभ (Net Profit)		...			
		...			...

लाभांश (Dividend)—लाभ को कम्पनी वार्षिक साधारण सभा में बाँटने का निश्चय करती है। पहले लाभांश की दर को डाइरेक्टर निर्धारित करते हैं। इस लाभांश का लेखा लाभालाभ खाता में निम्न किसी ढंग से किया जाता है।

(१) इसको लाभालाभ खाता में बिल्कुल नहीं लिखा जाता है। जब सभा में लाभांश की दर स्वीकार हो जाती है तो उसका लेखा अगले वर्ष के लाभालाभ खाता में कर दिया जाता है क्योंकि जब तक साधारण सभा में इसकी दर निश्चित न हो जाय लाभांश का देना वैधिक नहीं समझा जाता।

(२) दूसरे ढंग में लाभांश का लेखा लाभालाभ खाता में कर दिया जाता है और चिट्ठा में भी देय-भाग (Liability side) में लिख दिया जाता है। यही आधुनिक ढंग है।

(३) तीसरा ढंग उपर्युक्त दोनों ढंगों का मिश्रण है। इसमें लाभालाभ खाता के नाम-भाग (Debit side) में लाभांश को नोट के रूप में लिखकर यह दिखाया जाता है कि लाभांश देने के बाद लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

ऐक्ट के धारा १३१ (अ) के अनुसार डाइरेक्टरों की रिपोर्ट भी चिट्ठे के नीचे रहना आवश्यक है। इस रिपोर्ट में निम्न दो बातों को होना चाहिए —

(१) कम्पनी की कैसी दशा है। तथा

(२) कम्पनी के लाभ का वितरण किस प्रकार होगा अर्थात् लाभांश तथा संचय (Reserve)।

आर्थिक चिट्ठा (Balance sheet)—इस चिट्ठा में कम्पनी की बहियों का सारांश रहता है। जो खाते खुले रह जाते हैं तथा जिनको लाभालाभ खाता में नहीं लिखा गया है उन सबको इस चिट्ठा में ही लिखा जाता है। लाभालाभ खाता का शुष्क लाभ भी इस चिट्ठा में लिखा जाता है। इसके बाँयें भाग में देन तथा पूँजी (Liabilities and Capital) को लिखा जाता है। और दाहिने भाग में सम्पत्तियों को लिखा जाता है।

कम्पनियों को चिट्ठा धारा १३२ (१) तथा (२) तथा १०५ (बी०) के अनुसार बनाना पड़ता है। इसको फार्म एफ़ (F) के आधार पर बनाया जाता है। फार्म एफ़ (F) के अनुसार चिट्ठा में निम्न बातों का लिखना आवश्यक है—

देय भाग (Liabilities Side)—(१) पूँजी। पूँजी को निम्न ढंग से विभाजित करके लिखा जाता है—

		रु०
पूँजी—		
अधिकृत पूँजी—...रु० के...शेयर		...
जारी की हुई पूँजी—...रु० के...शेयर		...
(१) किसी संविदा के अनुसार बिना मूल्य के दिये हुये शेयर—...रु० के...शेयर		
(२) मूल्य पर जारी किये हुये...रु० के...शेयर		
बिकी पूँजी—...रु० के...शेयर		...
माँगी हुई पूजी—...रु० के...शेयर		...
घटाया बाकी माँग—		
(१) मैनेजिंग एजेन्ट के यहाँ बाकी	...	
(२) अन्य शेयरदारों के यहाँ बाकी	...	...
जोड़ा जब्ती शेयर		...
		...
		...

नोट—यदि कई प्रकार के शेयर हों तो उनको अलग अलग उपर्युक्त शीर्षकों में लिखना चाहिये।

यदि वापसी अधिमान्य शेयर (Redeemable Preference Share) जारी किये गये हों तो उनको वापस करने की ता: भी लिख देना चाहिये। यदि ता: निश्चित न हो तो यह लिख देना चाहिये कि कितने दिनों की नोटिस देने पर उन्हें वापस किया जायगा।

यदि पूँजी की माँग का कुछ रुपया पेशगी (advance) मिला हो या शेयर पर प्रीमियम मिला हो तो उसको अलग लिखा जाता है।

(२) संचय (Reserves)—संचय साधारण (General) अथवा विशेष (Specific) हो सकता है। विशेष संचय किसी भी कार्य के लिये रखा जा सकता है।

विशेष संचय के निम्न उदाहरण हैं :—

(१) लाभांश समकरण संचय (Dividend Equalization Reserve)
(२) ऋण-पत्र वापसी संचय (Debenture Redemption Fund)
(३) भू-कम्प बीमा संचय (Earthquake Insurance Reserve)
(४) दानहित संचय (Charity Reserve)

(५) अग्नि तथा दुर्घटना बीमा कोष (Fire and Accident Insurance Fund)
(६) श्रमिक बीमा कोष (Workmen's Insurance Fund)
(७) उपज बीमा कोष (Crop Insurance Fund)
(८) कर्मचारी लाभहित कोष (Employees Benefit Fund)
(९) कर संचय (Taxation Reserve)
(१०) मशीन उन्नति संचय (Machinery Improvement Reserve)
(११) ह्रास सचय (Depreciation Reserve)
(१२) विनियोग ह्रास संचय (Investment Depreciation Reserve)
(१३) शत्रु ऋणार्थ संचय (Reserve for Enemy Debts)
(१४) फैक्टरी नष्टहित संचय (Reserve for Damage to Factory)
(१५) मूल्य गिरने का संचय (Reserve for Fall in Prices)

इसी प्रकार अनेक कार्यों के लिए विशेष संचय हो सकता है। इनके अतिरिक्त पूँजी-संचय (Capital Reserve) भी होता है। पूँजी-संचय को शेयरदारों में बाँटा नहीं जा सकता। निम्न प्रकार की आय को पूँजी संचय में रखा जाता है—

(१) पूँजी-लाभ, जैसे कम्पनी स्थापित होने के पहले का लाभ (Profit prior to Incorporation), व्यापार खरीदने में लाभ, शेयर या ऋण-पत्र को प्रीमियम पर जारी करने का प्रीमियम, जब्त शेयर (Forfeited share) को पुनः जारी करने का लाभ, ऋण पत्र को वापस करने का लाभ, इत्यादि।

(२) यदि पूँजी-महासन खाता (Capital Reduction A/c) का कुछ शेष बच गया हो।

(३) असाधारण ढंग से मिला हुआ लाभ, इत्यादि।

फार्म एफ० के अनुसार संचय को इस प्रकार चिट्ठे में लिखना पड़ता है।

साधारण संचय	रु०
विशेष संचय	...
(प्रत्येक प्रकार के विशेष संचय को अलग अलग	...
लिखना चाहिये।	
पूंजी संचय	...

(३) ऋण-पत्र तथा अन्य ऋण (Debentures and Loans)—कंपनी अपनी नियमावली के अनुसार ऋण ले सकती है। ऋण की जमानत में वह अपनी कुछ या कुल सम्पत्ति का पट्टा रख सकती है।

कम्पनी को जब तक व्यापार आरम्भ करने का अधिकार पत्र नहीं मिलता तब तक वह ऋण नहीं ले सकती। किन्तु वह ऋण-पत्र बेच सकती है।

फार्म एफ० में इनको निम्न ढङ्ग से लिखा जाता है—

		रु०
ऋण-पत्र		
(जमानत को भी स्पष्ट करना चाहिए)		...
अन्य ऋण,—		
(१) प्रतिभूत (Secured) ऋण	...	
(२) अप्रतिभूत (Unsecured) ऋण	...	...

(४) अन्य देन (Other Liabilities)—फार्म एफ० में अन्य देन को इस प्रकार लिखा जाता है—

	रु०	रु०
अन्य देन—		
(१) माल खरीदने का	...	
(२) उधार व्यय	...	
(३) बिल स्वीकार करने का	...	
(४) अन्य देन	...	...

(५) लाभालाभ खाता का शेष—यदि लाभ हो तो उसे देय-भाग में लिखा जाता है। यदि हानि हो तो उसे सम्पत्ति भाग में लिखा जायगा। कुछ कम्पनियाँ लाभ के वितरण का विस्तार भी चिट्ठा में ही लिखती हैं, जैसे—

		रु०	रु०
लाभालाभ खाता—			
पुराना लाभ		...	
इस वर्ष का लाभ		...	
घटाया—		...	
कर संचय	...		
साधारण संचय	...		
लाभांश	...	...	...

(६) संभाव्य देन (Contingent Liability)—संभाव्य देन ऐसे देन को कहा जाता है जो देन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि यह सच-मुच देन हो जाय तो उस समय कम्पनी को उतना रुपया देना होगा। जैसे किसी मुकदमे का फैसला सुनाने से पहले वह संभाव्य देन रहेगा। ऐसे देन को चिट्ठा के नीचे नोट के रूप में लिखा जाता है।

सम्पत्ति भाग (Assets Side)—स्थायी पूँजी व्यय Fixed Capital Expenditure)—जिस सम्पत्ति से व्यापार का कार्य चलता है उसे स्थायी सम्पत्ति कहते हैं। स्थायी सम्पत्ति को ब्लॉक (Block) भी कहा जाता है। इसे पूँजी व्यय भी कहा जाता है।

फार्म एफ० के संपत्ति-भाग में सर्व प्रथम स्थायी पूँजी व्यय लिखा जाता है। प्रत्येक का विवरण, उसका क्रय-मूल्य, आजतक का कुल ह्रास, तथा इस वर्ष का ह्रास लिखा जाता है, जैसे—

मशीन	रु	
	५००,०००	
घटाया आज तक का ह्रास	३००,०००	
	२००,०००	
,, ,, इस वर्ष का ह्रास	३० ०००	१७०,०००

स्थायी पूँजी व्यय के निम्न उदाहरण हैं—

(१) लोकप्रियता (Goodwill)
(२) भूमि (Land)
(३) गृह (Building)
(४) पट्टा (Leasehold)
(५) रेल की लाईन (Ry. Sidings)
(६) प्लान्ट तथा मशीन (Plant and Machinery)
(७) फर्नीचर (Furniture)
(८) पेटेन्ट (Patents)
(९) ट्रेड मार्क (Trade Mark)
(१०) निर्माण के समय पूँजी से दिया हुआ ब्याज (Interest paid out of Capital during construction)
(११) प्रारंभिक व्यय (Preliminary Expenses)
(१२) कमीशन तथा दलाली (Commission or Brokerage) (शेयर या ऋण पत्र बेचने के लिये)
(१३) शेयर पर अवमूल्यन (Discount on Issue of Shares)
(१४) पशु तथा सवारी (Livestock and Vehicles)

नोट—प्रत्येक स्थायी संपत्ति में नई खरीदी हुई संपत्ति जोड़ी जाती है तथा उसमें से बची हुई संपत्ति घटा दी जाती है।

(२) संग्रहण तथा फालतू पुर्जे (Stores and Spare Parts)—फार्म एफ० के अनुसार संग्रहण तथा फालतू पुर्जे को अलग लिखना चाहिये। यह फैक्टरियों तथा मिलों में होती है।

(३) माल का स्टाक (Stock-in-trade)—इसको चिट्ठा में अलग लिखना पड़ता है। स्टॉक के मूल्यांकन करने की विधि (बाजार दाम या क्रय-मूल्य) को भी स्पष्ट लिखना चाहिये। कई प्रकार के माल के स्टॉक को भी एक में मिलाकर लिखा जा सकता है।

(४) ऋणी (Book Debts)—फार्म एफ० के अनुसार ऋणी के बारे में यह भी लिखना पड़ता है कि कितने ऋणी अच्छे हैं और उन पर जमानत है, कितने ऋणी सन्देहजनक (Doubtful) तथा कितने अप्राप्य (Bad) हैं।

(५) पेशगी व्यय (Advances)—किसी को पेशगी दिया हुआ व्यय या रकम चिट्ठा में लिखा जाता है। किसी सहायक (Subsidiary) कंपनी को अथवा कंपनी के मैनेजर या डाईरेक्टर को दिया हुआ सामयिक ऋण अलग-अलग लिखना चाहिए।

(६) विनियोग (Investment)—विनियोग को निम्न ढंग से लिखा जाता है—

(१) सरकारी या ट्रस्ट की प्रतिभूतियों में विनियोग।

(२) शेयर, ऋण-पत्र या बान्ड में विनियोग।

(३) सहायक कंपनी के शेयर तथा ऋण-पत्र में विनियोग।

(४) अचल संपत्ति में विनियोग।

विनियोग के मूल्यांकन का ढंग (बाजार दाम या क्रय-मूल्य) भी लिखना चाहिए।

(७) नकद शेष (Cash Balance)—अन्त में नकद रुपये का शेष तथा बैङ्क का जमा रुपया लिखा जाता है।

आर्थिक चिट्ठा का निरीक्षण करके आडिटर (Auditor) अपनी रिपोर्ट धारा १३१ (२) के अनुसार देता है।

अध्याय ११

प्रकाशित खाता की समालोचना

(CRITICISM OF PUBLISHED ACCOUNTS)

समालोचना का अर्थ—प्रकाशित खाता की समालोचना का अर्थ अन्तिम खाता, आर्थिक चिट्ठा, आडिटर रिपोर्ट, तथा डाइरेक्टर रिपोर्ट की समालोचना है। कम्पनी की उन्नति में वर्तमान तथा भावी (Prospective) शेयरदार दोनों का संबंध है। शेयरदारों के अतिरिक्त कंपनी के महाजनों का भी उसकी उन्नति में हित है। यदि शेयरदारों के लिए कंपनी की माली हालत अच्छी हो तो महाजनों के लिये तो अवश्य बहुत अच्छी होगी क्योंकि शेयरदारों से पहले महाजनों का हक होता है।

कंपनी के अन्तिम खाता तथा चिट्ठा का किसी विशेष उद्देश्य से निरीक्षण करना ही उसकी समालोचना कहलाता है। समालोचना करने के लिए कंपनी के कई वर्षों का अंतिम खाता, चिट्ठा तथा अन्य कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है।

समालोचना दो प्रकार की होती है—

(१) आकृति की समालोचना (Criticism of Form)—आकृति की समालोचना का यह अर्थ है कि कंपनी के प्रकाशित खाता तथा चिट्ठा के बनाने की विधि तथा उसकी आकृति (Form) की समालोचना करना। ऐक्ट के धारा १४५ के अनुसार आडिटर (Auditor) का यह कर्त्तव्य है कि वह अन्तिम खाता तथा चिट्ठा दोनों की आकृति को देखे कि फार्म एफ० तथा ऐक्ट के अनुसार बनाये गये हैं कि नहीं। उसे इस बात का प्रमाण-पत्र देना पड़ता है। इसलिए यदि आडिटर की रिपोर्ट ठीक है तब उसकी आकृति को ठीक मान लेना चाहिए।

फिर भी प्रकाशित खाता में आडिटर के रिपोर्ट के बाद भी कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं, जैसे माल के स्टॉक के मूल्यांकन करने की विधि न लिखी गई हो, डाइरेक्टर तथा आडिटर की फीस एक में ही मिला कर लिख दिया गया हो, इत्यादि।

(२) सारभूत की आलोचना (Criticism of Substance)—प्रकाशित खाता के सारभूत का विश्लेषण करना इसलिए आवश्यक है कि उससे कंपनी की असली माली हालत मालूम हो जाय। इस प्रकार की आलोचना सहज नहीं है।

सारभूत की जाँच करने के लिये तीन कसौटी हैं—

(१) प्रगति (Progress), (२) आर्थिक स्थिति (Financial Position), तथा (३) उन्नति की संभावना (Prospects)। इन तीनों का हम अध्ययन करेंगे।

(१) प्रगति (Progress)—किसी कंपनी की प्रगति देखने के लिए उस कंपनी का प्रकाशित खाता कई वर्षों पीछे का अध्ययन करना पड़ेगा। केवल एक दो

वर्षों का खाता देखने से सही निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता। इस अध्ययन के लिए उन आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण करना पड़ता है। इससे सही निष्कर्ष निकल जाता है। आडिटर तथा डाइरेक्टर की रिपोर्ट और सभापति का भाषण भी अध्ययन करना चाहिये।

लाभालाभ खाता में अनेक आंकड़े होते हैं। उनको निम्न तालिका के अनुसार तोड़ तोड़ कर लिखने से बहुत सी बातें स्पष्ट हो जायगी—

लाभालाभ खाता का विश्लेषण

	३१ दिसम्बर तक के वर्ष का						
	१६४४	१६४५	१६४६	१६४७	१६४८	१६४६	१६५०
विक्रय							
अन्य आय							
अन्तिम स्टॉक							
माल के उत्पादन का व्यय							
मैनेजिंग एजेन्ट का कमीशन							
अन्य व्यय							
सकल लाभ							
सकल लाभ का विक्रय से अनुपात							
ह्रास							
कर							
शुष्क लाभ							
पिछले वर्ष की हानि							
साधारण संचय							
विशेष संचय							
लाभांश :							
अधिमान्य शेयर—रकम—							
दर—							
साधारण शेयर—रकम—							
दर —							
लाभ का शेष अगले वर्ष							

के लिए फार्म एफ० बनाया है। किन्तु फिर भी चिट्ठा से निम्न बातों का पता नहीं चल सकता—

(क) चिट्ठा में स्थायी सम्पत्ति को क्रय-मूल्य में से ह्रास घटा कर लिखा जाता है तथा चल (Floating) सम्पत्ति को क्रय तथा बाजार दोनों में से कम मूल्य को लिखा जाता है। यह आँकड़ा शुद्ध नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन संपत्तियों का असल मूल्य कुछ अन्य ही हो सकता है। यदि कंपनी अपनी संपत्तियों को बेच दे तो उतना ही मूल्य नहीं मिलेगा।

(ख) कभी-कभी गुप्त संचय (Secret Reserve) भी रखा जाता है जो चिट्ठा से नहीं मालूम हो सकता।

इन सीमाओं के रहते हुए भी चिट्ठा ही एक मात्र ऐसा साधन है जिससे कम्पनी की आर्थिक स्थिति मालूम हो सकती है। इसलिए चिट्ठा को निम्न प्रकार से बना कर अध्ययन करना चाहिए।

आर्थिक चिट्ठा

१. स्थायी पूँजी—			१. सकल ब्लाक सम्पत्ति	...	
(क) पूँजी	...		घटाया कुल ह्रास	...	
(ख) संचय	...		शुष्क स्थायी सम्पत्ति		...
(ग) ऋण-पत्र या दीर्घकालीन ऋण	...	...	२. चल सम्पत्ति—		
(२) चल पूँजी—			(क) स्टॉक	...	
(क) अल्पकालीन ऋण	...		(ख) ऋणी	...	
(ख) महाजन	...	...	(ग) पेशगी	...	
			(घ) बिल	...	
			(ङ) विनियोग	...	
(३) लाभ			(च) नकद	...	...
		...	३. हानि (यदि हो)		...
		...			...

इस प्रकार चिट्ठा बनाकर निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए—

(१) पूँजी—शेयर के प्रकार तथा उसकी मात्रा को देखना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि पूँजी बहुत अधिक, कम या उचित है। यदि व्यापार की आवश्यकता से अधिक पूँजी होगी तो लाभांश कम हो जायगा, यदि पूँजी कम होगी तो व्यापार का काम ठीक से नहीं चल सकेगा। इसलिए उचित मात्रा की पूँजी का होना आवश्यक है।

२—ऋण-पत्र—ऋण-पत्र क्यों जारी किया गया था। उससे स्थायी-सम्पत्ति खरीदी गई है या चल सम्पत्ति-खरीदी गई है। उससे जो संपत्ति खरीदी गई है उससे कितना लाभ होता है और उस ऋण-पत्र पर कितना ब्याज देना पड़ता है। यदि ऋण-पत्र अधिक मात्रा में होगा तो व्यापार के लाभ पर सदा ब्याज देने का भार रहेगा। इसलिए पूँजी, ऋण, तथा ऋण-पत्र का अनुपात भी देखना होगा। यदि अधिमान्य शेयर जिन पर निश्चित दर का लाभांश देना पड़ता है तो इससे भी लाभ कम हो जायगा। यदि साधारण शेयर बहुत कम या अधिक हो तो उसका मूल्य सदा फाटका बाजार में बदलता रहेगा क्योंकि जब ज्यादा लाभ होगा तो साधारण शेयर का मूल्य बढ़ जायगा और जब लाभ कम होगा तो उसका दाम घट जायगा।

(३) संचय—संचय के बारे में भी यह देखना होगा कि उससे स्थायी सम्पत्ति खरीदी गई है अथवा चालू सम्पत्ति। यदि संचय पूँजी से अधिक हो तो व्यापार की स्थिति अच्छी समझना चाहिए। संचय अधिक रहने से ऋण लेने की आवश्यकता कम पड़ती है। यदि संचय तथा ऋण का अनुपात बहुत कम हो तो यह अच्छा है।

(४) अन्य देन—अन्य ऋण यदि छोटी रकम का है तो यह अच्छा समझना चाहिए। यह भी देखना होगा कि यह ऋण बढ़ता है या घटता है। इस ऋण की रकम को चल सम्पत्तियों की रकम से तुलना करना चाहिए। यदि इस ऋण से चल संपत्ति खरीदी गई है तो ठीक है और यदि चल संपत्ति खरीदने के लिए ही इस ऋण की रकम बढ़ती गई है तो भी कोई हानि नहीं है।

(५) स्थायी सम्पत्ति—स्थायी संपत्ति तथा स्थायी पूँजी की रकम की तुलना करना चाहिए और देखना चाहिए कि स्थायी पूँजी स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए पर्याप्त है कि नहीं। यदि स्थायी पूँजी काफी नहीं है तो यह कमजोरी की निशानी है। स्थायी संपत्ति के ह्रास की रकम भी देखना चाहिए कि वह उचित मात्रा में है अथवा नहीं। पुरानी मशीनों के नवकरण के बारे में भी देखना होगा कि कंपनी में इतनी रकम है कि नहीं कि उन्हें नया खरीदा जाय। यदि स्थायी संपत्ति में लोकप्रियता (Goodwill) तथा प्रारंभिक व्यय (Preliminary Expenses) की मात्रा अधिक हो तो इसे कमजोरी समझना चाहिए।

(६) चल सम्पत्ति—माल के स्टॉक के बारे में यह देखना चाहिए कि उनका उचित मूल्यांकन हुआ है कि नहीं और स्टॉक की मात्रा इतनी कम तो नहीं है कि व्यापार को कठिनाई हो। यह भी देखना होगा कि बिक्री की तुलना में स्टॉक बढ़ रहा है या घट रहा है।

विनियोग के बारे में यह देखना होगा कि वह किस प्रकार का विनियोग है और

नोट—इस विश्लेषण में आवश्यकतानुसार परिवर्त्तन कर लेना चाहिये।

इस विश्लेषण में निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए—

(१) यदि आँकड़े बहुत बड़े-बड़े हों तो उनको हजार में लिखना चाहिए और आँकड़े को गोल बना लेना चाहिए, जैसे १,०५,३८,६४० को केवल १,०५,३६ हजार लिखा जा सकता है या १०५.४ लाख भी लिखा जा सकता है।

(२) कुछ कम्पनियों में माल की बिक्री नहीं होती जैसे सिनेमा या मोटर ट्रांसपोर्ट। ऐसी स्थिति में टिकट की बिक्री ही लिखी जाती है।

(३) किसी विशेष व्यय को साधारण व्यय से अलग करके लिखना चाहिये जैसे विशेष विज्ञापन।

(४) यदि लाभालाभ खाता बनाने के ढंग में कुछ अन्तर हो तो प्रत्येक वर्ष के आंकड़े को इस प्रकार शुद्ध करके लिखना चाहिये कि उस अन्तर का प्रभाव न पड़ने पावे।

उपर्युक्त विश्लेषण के पश्चात् निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए—

(१) बिक्री—यह देखना चाहिए कि बिक्री घट रही है या बढ़ रही है या स्थायी है। व्यापार की आत्मा उसकी बिक्री में ही निहित है। किन्तु केवल बिक्री के बढ़ने से भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि व्यापार प्रगति पर है। सकल लाभ और बिक्री का अनुपात भी देखना होगा। जैसे, यदि एक कम्पनी की बिक्री १९४६ में ५ लाख, १९४७ में ६ लाख तथा १९४८ में ८ लाख है और उसका सकल लाभ क्रमशः ६०, ७५, तथा ८० हजार है तो देखने में १९४८ का वर्ष अधिक अच्छा मालूम होता है किन्तु अनुपात निकालने से सकल लाभ कुल बिक्री का १२%, १२½% तथा १०% है अर्थात् १९४७ का वर्ष ही सब से अच्छा है। यदि बिक्री के बढ़ने के साथ-साथ सकल लाभ का अनुपात भी नहीं बढ़ रहा हो तो विक्रय-विधि में अवश्य कोई दोष समझना चाहिए। माल के उत्पादन व्यय की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उत्पादन व्यय इतना अधिक बढ़ रहा हो कि लाभ कम होता जाता हो।

(२) माल का स्टॉक—यदि स्टॉक हर वर्ष बढ़ता जाय तो ऐसा समझना चाहिए कि बिक्री की विधि खराब है। यदि बहुत अधिक क्रय न किया गया हो तो स्टॉक की मात्रा लगभग स्थायी रहना चाहिए।

(३) अन्य आय—अन्य आय किन-किन सूत्रों से होती है और वे सूत्र स्थायी हैं अथवा अस्था[illegible] के ब्याज तथा लाभांश

से ही होती हो और यदि उन प्रतिभूतियों को बेच दिया जाय तो उस कम्पनी की आय भविष्य में कम हो जायगी।

(४) व्यय—व्यय से कंपनी का लाभ कम हो जाता है। व्यय को कम करने की संभावना कहाँ तक है तथा उसका और बिक्री का क्या अनुपात है। इस अनुपात से यह मालूम हो जायगा कि व्यय बहुत बढ़ रहा है या नहीं।

(५) संचय—लाभ का कुछ अंश संचय खाता में हस्तान्तरित किया जाता है। संचय शक्ति का सूचक है। संचय का अधिक होना अच्छा है किन्तु यह भी देखना चाहिए कि बहुत अधिक लाभ संचय खाता में हस्तान्तरित किया गया है या बहुत कम। बहुत अधिक संचय रखने का यह अर्थ होगा कि शेयरदारों का लाभ कम हो जायगा. अथवा बहुत कम संचय रहने से कंपनी की स्थिति कमजोर हो जायगी।

(६) लाभांश—लाभांश की दर से ही कंपनी की स्थिति का ज्ञान नहीं होता। यह देखना होगा कि कितने रुपये के विनियोग पर उतना लाभ हुआ है। जैसे यदि कंपनी की पूँजी ४ लाख तथा संचय ४ लाख रु० का है और उसका लाभ ८०००० रु० है तो वह कंपनी २०% का लाभांश दे सकती है। किन्तु असल में ८०००० रु० का लाभ ८ लाख के विनियोग पर है अर्थात् १०% का ही लाभांश हो सकता है।

(७) कम्पनी की परिस्थिति—कंपनी की आर्थिक परिस्थिति (Environment) भी देखना चाहिए। परिस्थिति में निम्न बातों को देखना चाहिए—

(क) स्थिति (Situation)—कंपनी किस स्थान में स्थित है। वहाँ कच्चा माल, अच्छा श्रम, गामक शक्ति उपलब्ध हैं कि नहीं तथा वह कंपनी बाजार से समीप है कि नहीं जहाँ उसका माल बिक सके।

(ख) उस कंपनी की मशीनें अच्छी तथा आधुनिक हैं कि नहीं।

(ग) उत्पादन कैसे माल का होता है। वह माल अच्छा है कि नहीं और वह बाजार में कितना पसन्द किया जाता है।

(घ) श्रम दक्ष तथा काफी मात्रा में उपलब्ध है कि नहीं।

(ङ) विशेष साधन किसी प्रकार का प्राप्य है कि नहीं।

(च) कोई विशेष कठिनाई है कि नहीं।

(छ) राजनैतिक स्थिति देश में कैसी है।

इन सब का भी प्रभाव कंपनी के लाभ पर पड़ता है।

(२) आर्थिक स्थिति (Financial Position)—कंपनी की आर्थिक स्थिति उसके चिट्ठे से मालूम होती है। ऐक्ट ने तो चिट्ठा को बहुत विस्तार में बनाने

उससे कितनी आय है। उनका किस प्रकार मूल्यांकन किया गया है। उनका ह्रास किया गया है या उनका अधिमूल्यन (Appreciation) किया गया है।

ऋणियों तथा महाजनों की तुलना करना चाहिए कि कम्पनी अधिक उधार बेचती है या अधिक उधार खरीदती है। ऋणियों का विभाजन उनकी जमानत अथवा उनके प्राप्य या अप्राप्य होने के अनुसार किया गया है कि नहीं। मैनेजर या डाइरेक्टर को कितना ऋण दिया गया है।

चल सम्पत्ति तथा स्थायी सम्पत्ति की तुलना करना चाहिए। अधिक चल संपत्ति होने से अच्छा समझना चाहिए। प्रत्येक वर्ष की सम्पत्ति की तुलना करना चाहिए। सम्पत्ति के बढ़ने से व्यापार के कार्यों का पता है। चल सम्पत्ति में भी यह देखना चाहिए कि उनका कौन अंश तरल (Liquid) है जैसे नकद रुपया तथा विनियोग।

यह भी देखना चाहिए कि नकद रुपया इतना काफी है कि उससे तत्काल देन (जैसे सरकारी कर या लाभांश) दिया जा सके।

(७) सक्रिय पूँजी (Working Capital)—चल संपत्ति में से चल देन घटाने से सक्रिय पूँजी निकलती है। जिस कम्पनी की सक्रिय पूँजी जितनी अधिक होगी उसे उतना अधिक व्यापार करने की सुविधा होगी। इससे यह मालूम होगा कि व्यापार के बढ़ाने की कहाँ तक संभावना है।

(८) कम्पनी के संचालकों की दशा के बारे में भी जानना आवश्यक है। संचालक की दक्षता पर ही व्यापार का भविष्य निर्भर है।

उन्नति की संभावना (Prospects)—कंपनी या व्यापार की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए निम्न व्यक्ति इच्छुक होते हैं—

(१) साधारण शेयरदार।
(२) अधिमान्य शेयरदार।
(३) ऋण-पत्र-धारी।
(४) महाजन।
(५) उस व्यापार के संभाव्य शेयर खरीदने वाले।
(६) उस पूरे व्यापार के संभाव्य खरीदने वाले।
(७) बैंक।
(८) फाटका बाजार के दलाल।
(९) स्पर्धक (Competitor)
(१०) प्रेस

प्रत्येक अपने अपने दृष्टिकोण से कंपनी की स्थिति देखता है। किन्तु सब तीन बातों को अवश्य जानना चाहते हैं—

(१) कंपनी की आय तथा शेयर पर लाभांश। यह हम प्रगति के अध्ययन में देख चुके हैं।

(२) कंपनी की आर्थिक शक्ति। यह हम आर्थिक स्थिति के वर्णन में देख चुके हैं।

(३) कंपनी का भविष्य।

कंपनी का भविष्य देखने के लिये उस कंपनी के व्यापार का औद्योगिक ज्ञान भी होना आवश्यक है। उपर्युक्त अध्ययन के पश्चात् निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए—

(क) आय (Yield)—कंपनी के शेयर की आय की गणना करना चाहिये। आय शेयर के मूल्य पर निर्भर करती है। जैसे यदि एक १०० रु० के शेयर का बाजार मूल्य १५० रु० हो और उस शेयर पर १५ रु० लाभांश मिले तो १५% लाभांश हुआ और १०% आय हुई, क्योंकि १५० रु० के विनियोग पर १५ रु० की आय है जो १०% हुई। यदि उस शेयर का बाजार मूल्य ७५ रु० हो तो आय २०% होगी।

(ख) शेयर मूल्य (Break-up value of share)—कंपनी के शेयर का मूल्य निम्न सूत्र से जाना जा सकता है—

(सक्रिय-पूँजी + स्थायी संपत्ति – ऋण-पत्र – अधिमान्य शेयर) ÷ साधारण शेयर की संख्या।

यदि अधिमान्य शेयर को साधारण शेयर से पहले लौटाने का प्रतिबन्ध न हो तो अधिमान्य शेयर को नहीं घटायेंगे बल्कि उसकी संख्या से भी भाग देंगे। इस प्रकार एक शेयर का मूल्य मालूम हो जायगा।

व्यापार का रोग—समालोचना दो प्रकार से किया जा सकता है—(१) व्यापार की प्रगति जानने के लिये (२) व्यापार का रोग जानने के लिये। प्रगति जानने की विधि का अध्ययन हमने अभी देखा है।

व्यापार का रोग निम्न प्रकार का हो सकता है—

(१) बिक्री—बिक्री प्रत्येक वर्ष कम होती जाती हो।

(२) व्यय—व्यय बहुत बढ़ रहा हो या आवश्यकता से अधिक होता हो।

(३) सक्रिय पूँजी—सक्रिय पूँजी की कमी हो जिससे माल खरीदने में कठिनाई होती हो।

(४) ऋणी—ऋणी रुपया देने में अधिक समय की याचना करते हों या अप्राप्य हो जाते हों।

(५) मशीन—मशीन जो बहुत पुरानी हो गई हों या जिनकी उचित मरम्मत नहीं हुई हो।

(६) पूँजी—पूँजी आवश्यकता से कम या अधिक हो सकती है। अधिमान्य शेयर तथा ऋण-पत्र का अनुपात बहुत अधिक हो सकता है।

(७) ह्रासी उपयोगिता नियम (Law of Diminishing Returns) भी व्यापार में लागू हो सकता है। इन रोगों को भी जाँचना चाहिये और देखना चाहिये कि उन्हें कहाँ तक दूर किया जा सकता है।

उदाहरण १०१*—Redraft the following Profit and Loss A/c in a manner you think proper—

Profit and Loss Account, 31 st Dec. 1948

	Rs.			Rs.
To Salaries	4,000	By Stock	1,00,000	
,, Purchases	2,50,000	Less Jan. 1st.	75,000	25,000
,, Returns	2,000	,, Int. on Investment	8,000	
,, Discounts	1,000	Less Loss on Sale of Investment	6,000	2,000
,, Depreciation	12,000	,, Balance from last year		22,000
,, Dividends paid	20,000	,, Sales		3,00,000
,, Directors fees	3,000	,, Errors in Books.		300
,, Manufacturing Expenses..	8,000	,,Unclaimed Dividend		2,700
,, Reserve fund	4,000			
,, Net profit	48,000			
	352,000			352,000

* ये उदाहरण बी. कॉम. के विद्यार्थियों के लाभ के लिए दिये जाते हैं। इसलिए उन्हें अंगरेजी में ही लिखा जाता है।

Redrafted Profit and Loss Account—

……………………Co. Ltd.

Trading and Profit and Loss A/c for the year ending 31 st. Dec. 1948

	Rs.			Rs.
To Stock Jan. 1	75,000	By Sales	3000,000	
,, Purchases.	2,50,000	Less Returns	2,000	2,98,000
,, Manufacturing Expenses	8,000	,,o Stck		1,00,000
,, Gross Profit	65,000			
	3,98,000			3,98,000
To Salaries	4,000	By Gross Profit		65,000
,, Discounts	1,000	,, Interest on Investments		8,000
,, Loss on Sale of Investments	6,000			
,, Directors fees	3,000			
,, Depreciation	12,000			
,, Net Profit	47,000			
	73,000			73,000

Profit and Loss Appropriation A/c

	Rs.		Rs.
To Reserve Fund	4,000	By Net Profit this year	47,000
,, Dividends	20,000	,, Previous profit	22,000
,, Balance Carried to B/s	45,000		
	69,000		69,000

समालोचना—(१) शीर्षक अशुद्ध था ।

(२) प्रारम्भिक स्टॉक को अन्तिम स्टॉक में से घटा कर नहीं लिखा जाता ।

(३) वापसी बिक्री में से ही घटा दिया जाता है ।

(४) व्यापार वृद्धि खाता में ही क्रय, विक्रय, स्टॉक तथा माल उत्पादन व्यय को लिख कर सकल लाभ निकाला जाता है ।

(५) विनियोग वेचने की हानि को विनियोग के व्याज में से नहीं घटाना चाहिए ।

(६) सञ्चय तथा लाभांश को लाभालाभ नियोजन खाता में लिखना चाहिए ।

(७) आंकड़ों की अशुद्धि तथा ऐसा लाभांश जो नहीं दिया गया है चिट्ठा में लिखना चाहिए ।

उदाहरण १०२—Criticise the following Balance Sheet and draw up one according to your views.

Balance Sheet, 31st Dec. 1948

Capital, etc	Rs.	Assets		Rs.
Share Capital	80,000	Land and Building A/c:—		
Profit and Loss A/c	30,000	Purchase price	60,000	
Reserves	50,900	Add increase in value	60,000	
			120,000	
		Less sales	40,000	8,000
		Development A/c : Cost of making roads and wells		25,000
		Cash in hand		55,000
	160,000			160,000

समालोचना—(१) इस चिट्ठा का शीर्षक अशुद्ध है ।

(२) केवल 'Capital etc' नहीं लिखना चाहिए, बल्कि 'Capital & Liabilities' लिखना चाहिए । इसी प्रकार 'Property and Assets' लिखना चाहिए ।

(३) पूँजी का विस्तार लिखना चाहिए ।

(४) भूमि तथा गृह के मूल्य की वृद्धि नहीं लिखना चाहिए ।

(५) ह्रास की कोई रकम नहीं लिखी गई है ।

नया चिट्ठा इस प्रकार बनाया जायगा—

............C. Ltd.
Balance Sheet as at 31st Dec. 1948

Capital and Liabilities	Rs.	*Property and Assets*	Rs.
Authorised Capital :		Land and Building: 60,000	
...shares of Rs...each	...	Less Sales 40,000	20,000
Issued & Subscribed Capital :		Development A/c: Cost of making roads and wells	25,000
...shares of Rs...each	...		
Paid up Capital		Cash in hand	55,000
...shares of Rs...each Rs...paid up	80.000	Profit and loss A/C	30,000
Reserves	50,000		
	1,30,000		1,30,000

उदाहरण १०३—Redraft the following Balance Sheet in proper form—

Traders & Co. Ltd.
Balance Sheet for the year ending Dec. 31, 1950

	Rs.		Rs.
Ordinary Share Capital 90,000		Stock on hand	40,000
		Uncompleted Contracts	150,000
Less forfeited shares 2,000	88,000	Cash	6,000
Preference share Capital	75,000	Goodwill and Trade Marks	40,000
Debentures of Rs. 100 each 500 Debentures issued at 90	45,000	Machinery	30,000
		Debtors	18,000
Bank overdraft and sundry Creditors	20.000	Unpaid Calls	2,000
Profit and Loss A/C	10,000		
Depreciation fund	48,000		
	286,000		286,000

Redrafted Balance Sheet—
Traders & Co. Ltd.
Balance Sheet as at Dec. 31, 1950

Capital and Liabilities	Rs.	*Property and Assets*	Rs.
Authorised Capital : ...ord. shares of Rs... each	...	Goodwill and Trade Marks	40,000
...Pref „ „ ... each	...	Machinery	30,000
	...	Debtors	18,000
Issued and Subscribed Cap. :—		Stock on hand	40,000
...ord. shares of Rs... each...	...	Uncompleted Contracts	1,50,000
...Pref	...	Loss on issue of Debentures	5,000
	...	Cash	6,000
Called up Capital : ...ord. shares of Rs... each... Rs...Called up	88,000		
...Pref. shares of Rs... each Rs....Called up	75,000		
	163,000		
Less unpaid Calls	2,000		
	161,000		
Debentures— 500 Debentures of Rs.100	50,000		
Depreciation Fund	48,000		
Bank overdraft and Creditors	20,000		
Profit and Loss A/C	10,000		
	289,000		2,89,000

पारिभाषिक शब्दावली

A

Accident	जोखिम
Account	खाता
Advance	पेशगी
Adventure	उपक्रम
Advertising	विज्ञापन
Agricultural Income	कृषि आय
Allowance	अधिदेय
Annual charge	वार्षिक प्रभार
Annuity	वार्षिक वृत्ति
Approved	प्रामाणित
Assessee	करदाता
Assessment	कर निर्धारण
Asset	सम्पत्ति
Association	संघ
Average Tax Rate	औसत कर दर

B

Bad Debt	अप्राप्य ऋण
Balance Sheet	आर्थिक चिट्ठा
Balancing Charge	संतुलनात्मक प्रभार
Balancing Depreciation	संतुलनात्मक ह्रास
Bonus	बोनस
Brokerage	दलाली
Business	व्यापार, रोजगार

C

Capital	पूँजी
Capital Expenditure	पूँजी-व्यय

Capital Reduction	पूँजी-प्रह्रासन
Capital Reserve	पूँजी-संचय
Cash	नकद
Casual Income	आकस्मिक आय
Charity	दान, खैरात
Circulating Asset	चल सम्पत्ति
Citizen	नागरिक
Clause	पद
Commerce	वाणिज्य
Commercial	व्यापारिक
Company	कंपनी
Compensation	हानिपूर्ति
Complicated	जटिल
Contingent	संभाव्य
Contract	प्रसंविदा, संविदा
Credit	साख
Credit Side	जमा-भाग
Criticism	समालोचना
Cum-Dividend	लाभ-सहित

D

Debenture	ऋण-पत्र
Debit	नाम
Deferred	आस्थगित
Depreciation	ह्रास
Discount	छूट, अवमूल्यन
Director	संचालक, डाइरेक्टर
Dividend	लाभांश

E

Earned	उपार्जित
Embezzlement	छलहरण
Employment	कर्मचारी

Employment	वृत्ति
Escaped Income	वंचित आय
Establishment charges	स्थापन व्यय
Exception	अपवाद
Excise Duty	उत्पाद-कर
Ex-Dividend	लाभ-रहित

F

Final Account	अन्तिम खाता
Firm	साझा, फर्म
Formula	सूत्र

G

Gift	उपहार
Goodwill	लोकप्रियता
Government	सरकारी
Gratuity	आनुतोषिक
Gross	सकल
Guardian	रक्षक

H

Hindu Undivided Family	अविभाजित हिन्दू परिवार
House	मकान, गृह

I

Incidental	आनुषंगित
Income	आय
Income Tax	आय कर
Individual	व्यक्ति
Initial Depreciation	प्रारम्भिक ह्रास
Insurance	बीमा
Interest	ब्याज
Introduction	परिचय
Investment	विनियोग
Irrevocable	अप्रत्यादेश्य

L

Land Revenue	मालगुजारी
Lease	पट्टा
Legal	वैधिक
Less Tax	कर-युक्त
Liability	देन
Liquidation	समापन
Livelihood	जीविका
Local	स्थानीय
Local Authority	स्थानीय सरकार
Lump Sum	एक मुष्टि

M

Manual Skill	हस्तकला
Manufacture	निर्माण, उत्पादन
Maximum	अधिकतम
Minimum	न्यूनतम

N

Net	शुष्क
Non-Recurring	अनावर्ती
Non-Resident	विदेशी
Not ordinarily Resident	असाधारण निवासी

O

Obsolescence Allowance	अप्रचलन छूट
Ordinary Meeting	साधारण सभा
Ordinary Resident	साधारण निवासी
Other Income	अन्य आय

P

Payment	शोधन
Penalties	जुर्माना
Preference	अधिमान्य
Preliminary Expenses	प्रारंभिक व्यय

Premium — प्रीमियम
Presents — भेंट
Private Company — वैयक्तिक कंपनी
Profession — व्यवसाय
Profit — लाभ
Profit and Loss Account — लाभालाभ खाता
Progress — प्रगति
Property — संपत्ति
Provident Fund — प्राविडेन्ट फन्ड
Public Company — लोक-कंपनी
Published — प्रकाशित

R

Rate — दर
Rebate — छूट
Recognised — प्रामाणित
Recurring — आवर्ती
Redeemable Preference Share — वापसी अधिमान्य शेयर
Registered — अधिकृत, रजिस्टर्ड
Remuneration — पारिश्रमिक
Rent — भाड़ा
Research — अन्वेषण
Reserve — संचय
Residence — वास स्थान
Resident — निवासी
Residential House — निवासगृह
Return (Income Tax) — विवरण
Revenue Expenditure — आगम व्यय
Revocable — प्रत्यादेश्य
Royalty — अधिकार शुल्क

S

Saiaries — वेतन

Scrap Value — क्षेप्य मूल्य
Scientific — वैज्ञानिक
Seasonal — सामयिक
Secret Reserve — गुप्त संचय
Section (of Act) — धारा
Secured — प्रतिभूत
Securities — प्रतिभूतियाँ
Set off — प्रतिसाद
Share — शेयर
Shareholder — शेयरदार
Skill — कौशल, दक्षता
Sources — सूत्र
Statutory — वैधिक
Stock Exchange — फाटका बाजार
Substance — सारभूत
Superannuation Fund — अधिवार्षिकीय कोष
Super Tax — अधिकर

T

Tax — कर
Taxable — करदेय
Taxable Territory — करदेय प्रदेश
Tax free — कर मुक्त
Third Party — तृतीय पक्ष
Total Income — कुल आय
Trade — व्यापार
Trading Account — व्यापार वृद्धिखाता
Transfer — हस्तान्तरण

U

Unabsorbed — अविलयित
Unrecognised — अप्रामाणित
Unregistered — अनधिकृत

V

Vocation — धंधा

W

Welfare — कल्याण
Will — वसीयतनामा
Working Capital — सक्रिय पूँजी
World Income — विश्व की आय

Y

Yield — आय